हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 2015 (प्रथम बैठक)

खण्ड-1, अंक-8

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

बुधवार, 18 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8) 22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8) 36
विभिन्न मामलों का उठाना	(8) 37
सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(8) 40
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	(8) 40
बहुत से गांवों के तालाबों में निरन्तर एकत्रित हो रहे गांवों के गंदे पानी से संबंधित	
वक्तव्य-	(8) 41
कृषि मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(8) 57
वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	(8) 59
भूतपूर्व उपाध्यक्ष का अभिनंदन	(8) 71
वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)	(8) 71

मूल्य :

313

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 18 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात : 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

Panchayat Land of Uhlawas Village (GGN)

***534. Shri Om Parkash Yadav :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that in 2009 December, 5 acres and 3 marla of Panchayat land of Uhlawas village Gurgaon was given to Rajiv Gandhi Charitable Trust on lease for 33 years for setting up a Charitable Eye Hospital at the rate of Rs. 3 lack per acre with 5 percent annual increase together with the stipulation that the hospital would be constructed within a period of two years of the lease; if so, the status of the project; and

(b) whether there was any illegality in abovesaid land lease?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हां, श्रीमान जी। हालांकि न्यास की प्रार्थना पर पत्र दिनांक 28-2-2014 द्वारा निर्माण की अवधि 07-01-2017 तक बढ़ाई गई थी। अभी तक 1200 वर्ग फुट के शैड का निर्माण किया गया हैं।

(ख) मामले का निरीक्षण किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऐसा सवाल पूछा है जो पहले काफी चर्चा में रहा है तथा इस प्रश्न के संबंध में इस महान सदन में पहले भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ चुके हैं तथा दो कोर्ट केसिज भी इस मामले में हो चुके हैं जिनको वापस लिया गया है। यह विषय अखबारों की सुर्खियों में भी रहा है कि यह जमीन राजीव गांधी धर्मार्थ न्यास को दी गई थी। मैं कहना चाहूंगा कि लीज पर दी जाने वाली जमीनों के मामले में बार-बार नियमों में संशोधन किये गये तथा लगातार नियम बदले गए। जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या वहां पर कोई निर्माण कार्य हुआ है अथवा नहीं, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर केवल एक टीन-शैड ही बना हुआ है, इसके अलावा वहां पर अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जहां तक बार-बार इस न्यास ने निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाने की अनुमति की प्रार्थना की है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस न्यास की प्रार्थना पर निर्माण की अवधि 7-1-2017 तक बढ़ाई जा चुकी है। चूंकि इस मामले में बार-बार प्रश्न उठ रहे हैं इसलिए इन सब तथ्यों व इसके इतिहास को देखते हुए लगता है तथा माननीय सदस्य की मंशा भी यही है कि इस सारे मामले की जांच की जाये क्योंकि बार-बार नियमों में संशोधन किया गया तथा निर्माण की अवधि बढ़ाई गई। इसलिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस मामले की जांच में हम आगे बढ़ेंगे।

श्री ओम प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी धर्मार्थ ट्रस्ट को जो यह जमीन दी गई, उसकी अलॉटमैंट के लिए क्या दूसरी धर्मार्थ संस्थाओं से एप्लीकेशन मांगी गई थी या केवल राजीव गांधी धर्मार्थ ट्रस्ट से एप्लीकेशन लेकरे जमीन अलाट कर दी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि दो साल की अवधि में यह हस्पताल बनना था लेकिन उस पर अभी तक हस्पताल नहीं बना है। इस लिए जिस परपज के लिए यह जमीन ली गई थी वह परपज पूरा नहीं हुआ है तो क्या यह जमीन ग्राम पंचायत को वापिस लौटाई जाएगी ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है कि दूसरी संस्थाओं को बुलाकर पहल के आधार पर यह जमीन दी गई हो। उस दौरान बहुत सी संस्थाओं को किसी अन्य स्थान पर भी जमीनें लीज पर दी गई हैं और यह विभाग के सामने जांच का विषय है। अध्यक्ष महोदय, दो सालों का समय ऐसा रहा है जिसमें काफी संस्थाओं को लीज पर जमीनें दी गई हैं। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमें उन सबके बीच में जाने की आवश्यकता है। पंचायत की तरफ से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है कि पंचायत अपनी भूमि वापिस लेना चाहती है तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का केस हमारे विधानसभा क्षेत्र गांव भाजरा श्योराज का है। एफ.सी., पंचायती राज द्वारा 6.12.2013 को उस गांव में 27 एकड़, 6 कैनाल और 13 मरला जमीन आर्डर नं. 480 दिनांक 7.8.2013 के तहत पी.पी.पी. मोड पर मैडीकल कालेज का आश्वासन देकर ग्राम पंचायत से ली गई थी। पी.पी.पी. मोड के तहत उस समय जो भी लोग थे उनकी क्या योजना थी इस बारे में हमें नहीं पता लेकिन वहां पी.पी.पी. मोड के तहत न ही अभी तक कोई कार्य शुरू हुआ है और न ही कोई आश्वासन दिया गया है और न ही कोई इस बारे में चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह सवाल अलग तो जरूर है लेकिन उससे सिमलर है इसलिए इस ग्राम पंचायत के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसको सरकार करने का प्रयास करे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिमलर तो है लेकिन स्पैसीफिक है इसलिए यह जानकारी हम माननीय सदस्य को उस हिसाब से दे देंगें । जैसाकि मैंने पहले कहा है कि दो-अढ़ाई साल का पीरियड ऐसा रहा है जिसमें बहुत सी जमीनें प्राइवेट कम्पनियों को पी.पी.पी. मोड के तहत या बिल्कुल प्राइवेट कम्पनियों को और ट्रस्टों को लीज पर दी गई थीं। ये जमीनें सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही हैं और उन पर जांच करने की आवश्यकता है। उन जमीनों पर यदि काम नहीं हुआ है और अगर पंचायतें अपनी जमीनें वापिस लेना चाहती हैं तो सरकार उस विषय पर विचार करेगी।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, हमारे रोहतक जिले के अंदर भी जो हुडा के सैक्टर्ज के लिए सैक्शन 4, 6 और 9 के तहत अवार्ड हो चुके थे लेकिन उसके बाद भी हुडा से यह जमीन एक्सचेंज करके वह जमीन प्राइवेट डीलर्ज को सैक्टर डिवैल्प करने के लिए दे दी गई। ऐसा

क्यों किया गया है ? अगर हुडा के पास यह काम होता तो गरीब लोगों को फायदा मिलता। प्राइवेट डीलर्ज को फायदा देने के लिए सैक्टर्ज 26, 27, 28 , 34, 35, 36 और 36 ए. की टोटल 76812 एकड़ जमीन प्राइवेट डीलरों को दे दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हुडा से एक्सचेंज करके वह जमीन प्राइवेट डीलर्ज को दे दी गई?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से संदिग्ध विषय हैं। कई बार हम कहते हैं कि दाल में काला है लेकिन कई बार दाल काली दिखाई देने लगती है। एक कार्यकाल के ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर निश्चित तौर पर स्पैसीफिक जानकारी और जांच की जरूरत है। मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे ही एक और विषय की तरफ इस गरिमामय सदन का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे सब विषयों के बारे में थे जानकारी मुझे देंगें तो निश्चित तौर पर विभाग उन पर जांच करवाएगा ।

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, गांव उहलावास में राजीव गांधी ट्रस्ट के लिए कुल 5 एकड़, 3 मरला जमीन दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जमीन जिस समय लीज पर दी गई उस समय कलैक्टर रेट क्या थे और उस ट्रस्ट में कौन कौन व्यक्ति ट्रस्टी थे। इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि राजनैतिक लाभ देने के लिए ऐसा किया गया है। कृपया मंत्री जी इसके बारे में जानकारी दें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिस समय यह जमीन दी गई थी उस समय 16 लाख रूपये कलैक्टर रेट था और आज उसमें कई गुणा वृद्धि हो गई है। जहां तक माननीय साथी ने ट्रस्टीज की स्पैसीफिक जानकारी मांगी है। इस बारे में बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी धमार्थ ट्रस्ट देश की प्रख्यात ट्रस्ट है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ट्रस्टीज के नाम की स्पैसीफिक लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है इसलिए यह जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। माननीय साथी को ट्रस्टीज के नाम की जानकारी बाद में भिजवा दी जायेगी।

श्री कृष्ण लाल पवार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उहलावास गांव के लोगों ने यह जमीन ट्रस्ट को देने के अगेंस्ट कोई केस कोर्ट में डाला था ? यदि गांव के लोग कोर्ट में गये थे तो क्या वह केस वापिस लिया गया और वापिस लिया गया तो उसके क्या कारण थे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, गांव के लोग जमीन देने के अगेंस्ट कोर्ट में गये थे और यह कह कर गांव के लोगों ने केस वापिस लिया था कि वे अच्छी तैयारी के साथ दोबारा से केस कोर्ट में प्रजैंट करेंगे लेकिन उसके बाद केस कोर्ट में प्रजेंट नहीं किया गया। इसमें ऐसा लगता है कि किसी ने किसी प्रैशर के कारण गांव के लोग फिर से कोर्ट में नहीं गये। इस विषय पर कई विवाद हुए हैं। मीडिया में भी यह विषय उठा था। इसको लेकर कानून में भी बार-बार संशोधन किए गए और बार-बार बनाने का टाईम एक्सटैंड किया गया है। इन बातों से ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कुछ ऐसा है जो निश्चित रूप से जांच के घेरे में आना चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस मामले का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जिक्र हो चुका है क्या उस पर सदन में चर्चा हो सकती है ? माननीय मंत्री जी इसमें जांच करने की बात कह रहे हैं । इसी तरह से मेनका गांधी जी गुड़गांव में एक एन.जी.ओ. चला रही हैं जिसकी जमीन भी पंचायत द्वारा दी हुई है क्या उसकी भी जांच मंत्री जी करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि उहलावास की जमीन को लेकर हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी थी वह वापिस ले ली गई थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का पहला पक्ष न्याय होता है। यदि किसी भी ट्रस्ट के बारे में किसी तरह से जमीन अलाटमैंट को लेकर कोई शिकायत आयेगी तो उसकी जांच करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।

Payments to Advocates

***543. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that a huge amount of Rs. 5.5 crore was paid to Sh. KTS Tulsi, Senior Advocate to contest the case of Maruti Arson and Rioting @ Rs. 13 lace per appearance in the Lower Court in Gurgaon;

(b) whether it is a fact that similar payments have also been made to Dr. Abhishek Manu Singhvi, Sh. Manish Tiwari and Dr. Ashwani Kumar and other Senior Advocates in different cases; if so, the details thereof;

(c) if the reply to part (a) and (b) above be in affirmative, who had authorized to make these payments at this rate togetherwith the head of account (s) from which payments have been made alongwith the name of department who maintains the books of such payments; and

(d) why the services of well paid 85 law officers at the disposal of Prosecution Department were not utilized for the above said purposes?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क), (ख), (ग) श्रीमान जी, 5,20,07,262/- रुपये की राशि मारुती सुजूकी मानेसर संयन्त्र में आगजनी तथा दंगे की घटना के लिए रजिस्टर्ड, गुड़गांव में निचली अदालत में एफ0आई0आर0 नं0 184 दिनांक 18-7-2012 में केस को लड़ने के लिए श्री के0टी0एस0 तुलसी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा तीन सहायक काउंसल को दी गई थी। श्री के0टी0एस0 तुलसी को 11,25,000/- रुपये में प्रति पेशी + 10% लिखाई की दर से दी गई है। किये गये भुगतानों के ब्यौरे अनुबन्ध-1 पर है।

केसों में बचाव करने के लिए डा0 अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा डा0 अश्वनी कुमार को भी भुगतान किये गये हैं, जिसके अभी तक प्राप्त सूचना पर आधारित ब्यौरो के साथ-2 प्राधिकारी जो भुगतान के लिए प्राधिकृत है, ऐसे भुगतानों का लेखा शीर्ष तथा हिसाब-किताब रखने वाले विभागों के नाम क्रमश : अनुबन्ध-2 तथा 3 पर संलग्न है। गृह विभाग के रिकार्ड तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनीष तिवारी को अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। विभिन्न विभागों/बोर्डों तथा निगमों द्वारा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को किये गये भुगतानों की सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है।

(ग) श्रीमान जी, अभियोजन विभाग के वरिष्ठ विधि अधिकारियों की सेवाएं साधारणतय सरकार के विभिन्न मामलों में बचाव में प्रयुक्त की जाती है। तथापि, अतिसंवेदन-शील/जटिल प्रकृति के महत्वपूर्ण मामलों के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पर्याप्त अनुभव/विशेषज्ञता वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लगाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/बोर्डों तथा निगमों का कार्य है।

अनुबन्ध-1

सत्र न्यायालय, गुड़गांव में संचालित मामले में श्री के0टी0एस0 तुलसी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उसके सहायक काउंसल को किये गये भुगतान :-

क्र0 सं0	केस का नाम तथा संख्या	दी गई राशि	प्राधिकारी का नाम जो भुगतान के लिए प्राधिकृत है	लेखा शीर्ष	विभाग जो के लिए भुगतानों का लेखा-जोखा
1	एफ0आई0आर0 नं0 184 दिनांक 18-7-12	43,90,500/- रुपये 1,00,06,250/- रुपये 47,50,000/- रुपये 13,75,000/- रुपये 45,55,000/- रुपये 51,02,137/- रुपये 9,70,936/- रुपये 14,00,000/- रुपये 14,71,250/- रुपये 31,05,000/- रुपये 18,46,250/- रुपये 77,80,000/- रुपये 39,07,439/- रुपये	मुख्यमंत्री के स्तर पर	"2055-पुलिस-109-जिला पुलिस-अन्य प्रभार (प्रभारित)	पुलिस विभाग
	कुल	**5,20,07,262 रुपये**			

अनुबन्ध-2

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में संचालित मामलो में श्री अभिषेक मनु सिंघवी तथा उसके सहायक काउंसल को किये गये भुगतान :-

क्र0 सं0	केस का नाम तथा संख्या	दी गई राशि	प्राधिकारी का नाम जो भुगतान के लिए प्राधिकृत है	लेखा शीर्ष	विभाग जो भुगतानों का लेखा-जोखा रखता है
1	रिट पेटिशन (सिविल) नं0 211/2010 असवन्त बनाम हरियाणा राज्य व अन्य	4,50,000/- रुपये प्रति पेशी की दर से 15,75,000/- रुपये	मुख्यमंत्री के स्तर पर	"2055-पुलिस-109- जिला पुलिस-अन्य प्रभार (प्रभारित)"	उपायुक्त कार्यालय हिसार
2	एस0एल0पी0 (अपराधिक) संख्या 3649/2008 हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम हरियाणा राज्य	1,65,000/- रुपये प्रति पेशी की दर से 3,30,000/- रुपये	मुख्य सचिव, हरियाणा	"2070-ओ0ए0एस0 -104-चौ0 (1)- निदेशक (डी0जी0) एस0बी0बी0 हरियाणा (कार्यालय खर्च)"	चौकसी विभाग
3.	एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 9623/2008 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रदीप कुमार सेठी तथा अन्य	1,65,000/- रुपये	डा0 एस0एस0 चहल, पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रक बोर्ड	बोर्ड द्वारा भुगतान किया गया	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
4.	एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 7553/2008 हरियाणा राज्य बनाम इरोस सिटी, डिवेलपर प्राईवेट लिमिटिड	2,50,000/- रुपये प्रति पेशी की दर से 7,50,000/- रुपये	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग	पर्यटन विभाग द्वारा भुगतान किया गया	पर्यटन विभाग
5.	एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 28411/2011- किशोर छाबड़ा, बनाम हरियाणा राज्य	(11,95,000/- रुपये तथा 7,35,000/- रुपये के दो बिल)	मुख्यमंत्री के मौखिक आदेशों से महानिदेशक, शहरी सम्पदा, विभाग, हरियाणा	हुडा के माध्यम से भुगतान किया गया	हुडा के माध्यम से शहरी सम्पदा विभाग
6.	एस0एल0पी0 दायर करने विरुद्ध आदेश दिनांक 28.7.07 सी0आर0एम0 नं012868/2003-जीया लाल बनाम हरियाणा राज्य	1,50,000/- रुपये	महाधिवक्ता, हरियाणा	2056-	जेल विभाग

7.	एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 11692/2007-एच0पी0जी0सी0एल0, बनाम ग्रीड कार0 ओरिसा लिमिटिड व अन्य	2,50,000/- रुपये	प्रबंध निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121	एच0पी0जी0 सी0एल0
8.	राष्ट्रपति सन्दर्भ पंजाब समझौता, निरस्तिकरण अधिनियम, 2004) विशेष सन्दर्भ संख्या1/2004	5,06,000/- रुपये	सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें	मुख्य अभियन्ता, कन्टीजेन्सी एवं चार्ज हेड	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
9.	ओरिजनल सूट संख्या 1/2007 एवं 3/2007 पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य	44,33,000/- रुपये	सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें	मुख्य अभियन्ता, कन्टीजेन्सी एवं चार्ज हेड	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
10.	ओरिजनल सूट 3/2009 पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य	4,45,500/- रुपये	सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें	मुख्य अभियन्ता, कन्टीजेन्सी एवं चार्ज हेड	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
11.	एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 9484/2008-9503, 9507/2008, 14330/2007,14354/07ख, 14360/07,10609/06,9484,9503,9507, 9511,9522,9526 पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य	4,45,500/- रुपये	सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें	मुख्य अभियन्ता, कन्टीजेन्सी एवं चार्ज हेड	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
12.	एस0एल0पी0 (सिविल) सी0सी0 08364/2007 हरियाणा राज्य बनाम मैसर्ज डेवलपमैंट सट्रेटजीस लिमिटिड	1,56,750/- रुपये	मुख्यमन्त्री/ महाधिवक्ता/ वित्त विभाग	-	खनन एवं भू-विज्ञान विभाग
13.	रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 735/2014 हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य व अन्य	रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 735/2014-हरभजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य में डॉ0 अभिषेक मनु सिंघवी तथा अन्य द्वारा 13,49,000/- रुपये माँगे गये, जो सरकार के विचाराधीन है, अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।			

अनुबन्ध-3

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में संचालित मामलो में श्री अश्वनी कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता को किया गया भुगतान :-

क्र0 सं0	केस का नाम तथा संख्या	दी गई राशि	प्राधिकारी का नाम जो भुगतान के लिए प्राधिकृत है	लेखा शीर्ष	विभाग जो भुगतानों को लेखा-जोखा रखता है
1.	सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4212/2013-डी0एल0 एफ0 लिमिटिड व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य	64,35,000/- रुपये	शहरी सम्पदा विभाग का कार्यभारी मन्त्री	हुडा के माध्यम से भुगतान किया गया	हुडा के माध्यम से शहरी सम्पदा विभाग
2.	सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 10509/2013-अन्शल प्रोपर्टी तथा इन्फ्रास्टैक्चर लिमिटिड बनाम हरियाणा राज्य व अन्य	17,60,000/- रुपये	शहरी सम्पदा का कार्यभारी मन्त्री	हुडा के माध्यम से भुगतान किया गया	हुडा के माध्यम से शहरी सम्पदा विभाग
3.	सिविल सूट संख्या 2/1996 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ	6,00,000/- रुपये	प्रबंधन निदेशक एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121	एच0पी0पी0एन0
4.	अलस्टोम प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 बनाम एच0पी0जी0 सी0एल0 के बीच केस संख्या 59/2001 में माध्यमस्थम पंचाट के विरुद्ध माध्यमस्थम अधिनियम की धारा 34 के अधीन केस	2,20,000/- रुपये	प्रबंधक निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121	एच0पी0जी0 सी0एल0
5.	अपील नं0 156/2009 मैसर्ज लान्को पावर लि0 बनाम एच0पी0 जी0सी0एल0	15,25,000/- रुपये	महाविधवक्ता; हरियाणा तथा वित्तायुक्त (पावर) -कम-अध्यक्ष, हरियाणा पावर युटिलिटी	76,121	एच0पी0जी0 सी0एल0
6.	सिविल अपील संख्या 1676/2010 एच0 पी0जी0सी0एल0 बनाम एच0ई0आर0सी0	2,47,500/- रुपये	प्रबंधक निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121	एच0पी0पी0सी0 एल0

7.	सिविल अपील संख्या 1737/2010-मैसर्ज लान्को कोण्डापाली पावर लि0 बनाम एच0पी0जी0सी0एल0	2,75,000/- रुपये	प्रबंधक निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121 एच0पी0जी0सी0 एल0
8.	पावर ट्रेनिंग कार्पोरेशन लि0 बनाम एच0पी0जी0 सी0एल0 तथा अन्य एच0ई0आर0सी0 के सम्मुख	2,25,000/- रुपये	प्रबंधक निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121 एच0पी0जी0सी0 एल0
9.	पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि0 (लान्को अमरकान्तक) पावर (पी0) लि0 बनाम एच0पी0जी0सी0 एल0 तथा अन्य एच0ई0 आर0सी0 के सम्मुख	5,50,000/- रुपये	प्रबंधक निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121 एच0पी0जी0सी0 एल0
10.	पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि0 (लान्को अमरकान्तक) पावर (पी0) लि0 बनाम एच0पी0जी0सी0 एल0 तथा अन्य एच0ई0 आर0सी0 के सम्मुख	5,03,900/- रुपये	प्रबंधक निदेशक, एच0पी0जी0 सी0एल0	76,121 एच0पी0जी0सी0 एल0
11.	एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 12498-99/2010-मैसर्ज के0एम0सी0 कन्सट्रक्शन लि0 बनाम हरियाणा राज्य	खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा एक बार पेश होने के लिए नियुक्त किये गये। विभाग द्वारा अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।		

श्री महीपाल ढांडा : स्पीकर सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इन वकीलों को इस केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त करने की प्रक्रिया थी क्या वह कोई साधारण प्रक्रिया थी या इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई गई थी।

कैप्टन अभिमन्यु : मान्यवर, इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति में जो प्रक्रिया अपनाई गई है अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सामान्यत : तो महाधिवक्ता का कार्यालय है वह तय करता है कि किसी मामले में उसके महत्व को देखते हुए और उसके स्तर को देखते हुए किस प्रकार के वकील की आवश्यकता है और महाधिवक्ता ऑफिस से ये नियुक्तियां की जाती हैं और यह काम दिया जाता है लेकिन इन मामलों में ऐसा देखने में आया है कि जो सामान्य प्रक्रिया है उससे थोड़ा अलग हटकर के कहीं-कहीं तो जिला के उपायुक्त के स्तर पर ही सीधे किसी सुप्रीम कोर्ट स्तर तक के वकील की अनुशंसा की गई है, सिफारिश की गई है। महाधिवक्ता

[कैप्टन अभिमन्यु]

ऑफिस की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी स्वीकृति है और रिकार्ड पर यह भी दर्शाया गया है कि कहीं-कहीं तो मुख्यमंत्री की वर्बल परमिशन के साथ भी इस प्रकार के वकीलों को एंगेज किया गया है। जिसकी बाद में कहीं स्वीकृति लेने की कोशिश भी है। इसमें यह बात तो स्पष्ट है कि इन वकीलों को हॉयर करने में अनियमितता बरती गई क्योंकि गुडगांव जैसी निचले स्तर की अदालत में एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने आकर रिप्रेजेंट किया। इससे थोड़ा सा इस प्रकार का आभास तो लगता है कि जो तयशुदा प्रकिया है उससे अलग हटकर ये नियुक्तियां हुई हैं।

श्री महीपाल ढांडा : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन वकीलों की नियुक्तियों के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उससे तो ऐसा लगता है कि ऐसा करके पिछली सरकार ने ए.जी. ऑफिस को ही पंगू बना दिया था और अगर पंगू बना दिया था तो क्या पिछली सरकार के लोगों का सदन में इस बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो भारी-भरकम पेमैंट इन वकीलों को इन केसों के लिए की है क्या यह अलग-अलग केसों में अलग-अलग थी मंत्री जी यह भी बतायें। इसके साथ-साथ मंत्री जी इस बात का भी जवाब दें कि क्या यह प्रकिया भी तयशुदा थी या फिर इसमें भी कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई गई।

कैप्टन अभिमन्यु : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरा विवरण तो तुरंत उपलब्ध नहीं है लेकिन प्रारम्भिक जानकारी में जो कुछ प्रमुख संकेत मिले हैं उनमें से एक तो यह है कि इसके लिए कौन वकील हॉयर करेगा इसकी प्रक्रिया है दूसरी बात यह है कि प्रति केस इन वकीलों को कितनी फीस दी जाये इसके लिए भी ए.जी. ऑफिस में कुछ नॉर्म्ज होते हैं इस प्रकार से जो पुराने रैफरैंस और रिकार्ड देखते हैं तो उनके मुकाबले भी इस स्तर की इतनी राशि के भुगतान में बहुत अंतर है। सामान्य फीस और किसी बड़े नामी वकील द्वारा किसी केस में ली जाने वाली फीस में भी अंतर है। इसमें एक बड़ा अंतर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह अंतर भी विचित्र सामने आया है कि उस वकील की किसी केस में कुछ फीस है और किसी केस में कुछ फीस है। इस प्रकार की कुछ अजीबोगरीब जानकारियाँ भी सामने आती हैं कि वे प्रक्रिया में हैं या नहीं यह अनुसंधान का विषय है और जो पेमैंट भी दी गई है उसके बारे में मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। गुडगांव में ट्रायल कोर्ट में मारूति का केस है। सामान्यत : वकील की फीस Department of Administration of Justice Affairs के माध्यम से ए.जी. ऑफिस तय करता है लेकिन पुलिस विभाग के जो सामान्य खर्च का अकाउंट था, पुलिस विभाग के लिए बजट में उसका प्रावधान है उस में से बड़ी राशि सीधे तौर पर इन माननीय वकीलों को दी गई है। उसमें थोड़े-बहुत प्रश्न जरूर खड़े होते हैं।

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी मानते हैं कि इसमें कुछ धांधली हुई है और अगर धांधली हुई है तो इस पर क्या सरकार एक्शन लेगी क्योंकि इस पर जनता की खून-पसीने की कमाई के करोड़ों रूपये का नुकसान पिछली सरकार के कारण हुआ है ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक चिन्ता व्यक्त की है कि इस पूरे मामले में कोई घांधली या गड़बड़-घोटाला तो नहीं हुआ है। इस बारे में मेरा कहना है कि इस केस की पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि इसमें कोई अनियमितता हुई है, इसमें कोई कानूनी गड़बड़ हुई है या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कानून-कायदे ताक पर रखे गये हैं, अगर ऐसी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आती हैं तो सरकार माननीय सदस्य की भावनाओं का निश्चित तौर पर सम्मान करेगी और सरकार का यह प्रयास होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इस जाँच के लिए कोई समय सीमा तय करेंगे?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री महिपाल ढांडा ने जाँच के लिए समय-सीमा तय करने की अपेक्षा की है । वर्तमान समय में जांच के लिए सदन के समक्ष कोई समय सीमा तय करना सम्भव नहीं है ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 2005 से 2010 तक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कितने केसिज में सरकार के खिलाफ फैसले आये हैं तथा कितने केसिज में सरकार के पक्ष में फैसले आये हैं और कितने केसिज में सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है ? कृपया माननीय मंत्री जी यह जानकारी देने का कष्ट करें।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि 2005-2010 तक कितने केसिज में फैसले सरकार के पक्ष में आये हैं और कितने केसिज में फैसले सरकार के खिलाफ आये हैं। यह एक सैप्रेट प्रश्न है और इस समय इस बारे में सदन के पटल पर जानकारी संकलन करके रख पाना सम्भव नहीं है ।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो इस सूची में वकीलों के नाम देखने में आये हैं वे केवल कांग्रेस पार्टी के हैं जो उस समय सत्ता में थी। क्या किसी दूसरी पार्टी का या कोई और ऐसा काबिल वकील योग्यता के आधार पर नहीं मिला जिसका चयन किया जा सके ? इसके क्या कारण थे ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, संबंधित प्रश्न के साथ में जिन वकीलों का नाम है वे किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं। सामान्यत : यह सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है कि वह अपनी प्रक्रिया के तहत किस केस में किसको वकील रखे। ये जो वकील रखे जाते हैं वे ए.जी. ऑफिस के साथ कंसल्टेंसी में रखे जाते हैं, उम्मीद और अपेक्षा यही रखी जाती है कि सरकार के हित में कानून के अच्छे जानकार जो वकील मामले के लिए उपयुक्त हों उनको रखा जाए। अध्यक्ष महोदय यह भी एक संयोग का विषय है कि जिन मान्यवर वकीलों के नाम हैं वे किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें से बहुत से वकील कांग्रेस पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी भी हैं। उनमें से एक वकील हाल ही में राज्य सभा में सांसद भी मनोनीत हुआ है। यह महज एक संयोग है या योजना बद्ध ढंग से पिछली सरकार ने हरियाणा की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को जो सरकार के खजाने में थी उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया, यह एक अलग विषय है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह सत्य है कि जितने भी ये सीनियर एडवोकेट हैं, ये अपने-अपने हिसाब से अपनी फीस लेते हैं। दूसरी बात क्या यह सत्य है कि जब कोई जरूरी मैटर होते हैं तब यह आम तरीका है कि सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ईवन लोवर कोर्ट में लेकर जाया जाता है। सब इस बात को जानते है। मैं एक एडवोकेट हूं मैं खुद इस बात को जानती हूं कि यह तो होता है। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन है कि इस बारे में हमें जानकारी दें।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी की अध्यक्षा हमारे सदन की वरिष्ठ नेता ने अपनी पार्टी के उन वकील साथियों की फीस के बारे में सवाल पूछा है। क्या वह सामान्यत : इतनी ऊंची फीस लेते हैं ? निश्चित तौर पर लेते होंगे। उनकी फीस की जानकारी सदन में नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह सरकार तय करती है कि किस वकील को रखना है और किस मामले में कितनी फीस देनी है। मैं तो उनके जवाब में इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्या ने जो चिन्ता व्यक्त की है और जो विषय उठाया है कि क्या देश के सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालतों में क्या कोई वकील पार्टी से बाहर थे और उनकी फीस क्या थी ? क्या और कोई विकल्प थे ? उन वकीलो को जो ऊंची फीस दी गई। यह विषय बार-बार निकल कर आ रहा है यह अनुसंधान का विषय है। जांच करने पर यदि कोई बात निकलेगी या कोई बेकायदगी सामने आएगी तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर अपनी कार्यवाही करेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, बेकायदगी का मामला नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी और बी0जे0पी0 से संबंध रखने वाले बहुत से वकीलों को जानती हूं जो बहुत ऊंची फीस लेते है।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुछना चाहूंगा कि ए.जी. ऑफिस में अब तक सरकार ने कितने एडवोकेट को एप्वाइंट किया है और उस से सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ता है। बहुत से प्रश्न सभी ने पूछे कि सरकार इतने बड़े-बड़े वकील हायर करती है जिन पर करोड़ों रूपये खर्च होते हैं तो क्या ए.जी. ऑफिस में इतने एडोकेटस को रखना वायबल है ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जो सवाल पूछा है कि वर्तमान सरकार ने ए.जी. ऑफिस में कितने वकील रखे हैं और उनके रखने से सरकार पर क्या बोझ पड़ा है ? अध्यक्ष महोदय, यह सैप्रेट प्रश्न है इसकी जानकारी माननीय सदस्य को अलग से दी जा सकती है।

श्री असीम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई जी ने ए.जी. ऑफिस के बारे में चिन्ता व्यक्त की है जिस समय इन वकीलों को एप्वाइंट किया गया था उस समय भी हरियाणा प्रदेश में एक लम्बा चौड़ा ए.जी. डिपार्टमैंट काम कर रहा था। क्या उस समय के ए.जी. डिपार्टमैंट के जो सारे वकील थे क्या वह सारे पंगू हो गये थे, क्या उनकी कॉन्सेंट ली गई थी कि हमसे इन केसिज के ऊपर सुनवाई नहीं हो पाएगी इसलिए बाहर से वकील किए जाएं।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है उसके उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि विशेष रूप से दिल्ली में जो वकीलों की पूरी फौज थी वह शायद लगभग 85 के करीब थे। उनकी सेवाएं ली भी जाती रही होंगी। सभी के अलग-अलग काम होते हैं, कोई अदालत में पेश होता है और कोई ऑफिस का काम करता है। यह एक सैप्रेट प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, जो एक विषय माननीय सदस्य ने रखा कि एच0जी0 ऑफिस के उन वकीलों से यह कंसैंट ली गई थी कि क्या वे इन मामलों में उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं और कोई वरिष्ठ वकील लाया जाए। मैंने पहले ही उत्तर में कहा कि इन मामलों में जो तयशुदा प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को कहीं न कहीं तोड़ मरोड़ करके उपायुक्त महोदय के कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोई अलग प्रक्रिया अपनाई गई थी ।

Women Community Centre

***170. Shri Anoop Dhanak** : Will the Women and Chiled Development Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a women community centre in Uklana-Mandi; if so, the details thereof ?

महिला तथा बाल विकास मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामुदायिक केन्द्र नहीं बनाये जाते हैं।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि उकलाना मंडी में 5 साल से महिला जागरूक समिति कार्य कर रही है और वह 3 साल से हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। माताएं, बहनें रोजाना सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इकट्ठी होती हैं और जनता को "बेटी पढ़ाओ", बेटी बचाओ" पानी बचाने के लिए", "रसोई गैस बचाने के लिए" और "साफ-सफाई रखने के लिए" प्रेरित करती हैं । अध्यक्ष महोदय, उनको एक जगह पर इक्ट्ठा होने के लिए रैंट पर जगह ली हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि उनको रैंट न देना पड़े उसके लिए जगह उपलब्ध करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, उकलाना मंडी में पुरानी तहसील है, वह नई बिल्डिंग में शिफ्ट होनी है, उसके लिए जमीन भी उपलब्ध है। क्या माननीय मंत्री जी महिला जागरुक समिति को वहां पर जगह देंगी ताकि वे वैट देने से बच जाएं।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन महिलाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ तो समाज हित में गाँव की महिलाओं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करती हैं। जैसे कि हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा है कि उन्हें अलग से स्थान उपलब्ध करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि काफी एन.जी.ओ. समाज हित में काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा अलग से प्रोसीजर हैं। उस बारे में इनको बता दूंगी। वहाँ पर जाकर वे महिलाएँ एप्लाई कर सकती हैं और सरकार द्वारा उन्हें ऐसे कार्य करने के लिए सहायता भी मिलती है। अध्यक्ष महोदय, समाज में महिलाओं और बच्चों के काम करने के लिए हमारे विभाग द्वारा आंगनवाड़ी सैंटर चलाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान उकलाना मंडी में 108 आंगनवाड़ी हैं। यदि वे महिलाएं वास्तव में समाज हित में काम करना चाहती है तो उन आंगनवाड़ी सैंटर्ज में जाकर अपनी सेवाएं दे सकती हैं।

Release of Land in IMT, Manesaer

***535. Shri Tek Chand Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state

(a) whether it is a fact that the release of 912 acres of land in IMT Manesar from the acquisition process in favour of realtors and colonizers etc. gave undue benefits to land developers during period of 2005, and

(b) if so, the action taken in the matter ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री

(क) श्रीमान जी, यह एक तथ्य है कि 912 एकड़ भूमि चौधरी देवीलाल औद्योगिक आदर्श नगर, मानेसर की स्थापना के लिए सार्वजनिक प्रयोग अर्थात् आवासीय, आमोद-प्रमोद तथा अन्य लोक उपयोगिताओं के लिए एक एक समेकित संव्यूह के रूप में स्थापित करने के लिए अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की गई थी। तत्पश्चात इन अधिग्रहण प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया गया था।

यह भी एक तथ्य है कि सरकार ने दिनांक 27-8-2004 को भूमि अधिग्रहण नियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना उपरोक्त परियोजना के लिए जारी की थी धारा और 5-ए के एतराजों पर विचार करते हुए लगभग 224 एकड़ भूमि को निकालकर बाकी बची 688 एकड़ भूमि अर्जन अधिनियम 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 25-8-2005 को जारी की थी।

धारा 6 की अधिसूचना जारी करने के उपरान्त तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को निरस्त करने का निर्णय लने से पहले लगभग 70 एकड़ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई थी। ये अधिग्रहण से मुक्त भूमि थी (i)14 एकड़ भूमि सरकार द्वारा मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर दो भू-स्वामियों के पक्ष में अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था (क) लगभग 11 एकड़ भूमि मैसर्स सुबरोज लिमिटेड के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग के लिए; (ख) लगभग 3 एकड़ भूमि श्री अशोक कुमार लखोटिया को तीन सितारा होटल बनाने के लिए; (ii) 45 एकड़ भूमि जोकि CLU प्राप्त भूमि के बीच में थी, अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी; (iii) अन्य 10 एकड़ भूमि जिसका CLU प्रदान किया जा चुका था को भी अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था; और (iv) एक एकड़ भूमि पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी।

(ख) मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा जटिल है क्योंकि सैक्शन 4 से लेकर सैक्शन 6 के बीच में अवार्ड की घोषणा के बीच में बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियां सरकार की रही हैं, जिसके कारण से मंत्रियों की सिफारिश से लेकर और अधिग्रहण निरस्तीकरण के बाद एस.डी.एम. की भी एक रिपोर्ट मंगवाई गई है। इन सब में यह लगता है कि कहीं न कहीं जो सैक्शन 4 था उस से लेकर के 912 एकड़ भूमि का एच.एस.आई.आई.डी.सी. का जो प्रोजेक्ट था, सरकार के भूमि को छोड़ने के कुछ इस प्रकार के फैसले हुए जिन फैसलों की जो पूरी की पूरी इकाई की जो संरचना थी, उसके अनुरूप नहीं रही जो शुरुआत में उसकी योजना बनाई गई थी। सरकार के इस प्रकार के फैसलों से इस तरह के कारण बने कि सरकार को ही भूमि छोड़ने के लिए अपनी विवशता प्रकट करनी पड़ी और प्रस्तुत करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मामला थोड़ा जटिल है, इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री टेकचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय सैक्शन 4 लगा था उस समय के भूमि के मालिक कौन थे ? दूसरी बात यह है कि जिस समय यह भूमि रिलीज़ की गई थी तो उस समय और कितनी पैंडिंग एप्लीकेशनज़ थी, उनको किस आधार पर लैंड यूज देने से मना कर दिया गया।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है कि सैक्शन 4 से पहले 912 एकड़ भूमि के कौन मालिक थे ? क्या इन्हीं कारणों से और भी लोगों ने भी इस प्रकार की भूमि अधिग्रहण से छूट मांगी थी ? अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न थोड़े से अलग होने के कारण इस बात की जानकारी इस समय सदन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए माननीय सदस्य को आपकी अनुमति से बाद में इनकी जानकारी उपलब्ध करवा दी जायेगी ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब यह भूमि सरकार ने आगे कम्पनीज को दी, क्या उसी दर पर दी गई जिस दर पर किसानों से भूमि अधिग्रहण की गई थी? इसके साथ यह भी बताएं कि किसानों को यह भूमि अभी तक वापस क्यों नहीं दी गई ? क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं, पहला जिस दर पर भूमि अधिग्रहण की गई थी क्या उसी दर पर दी गई ? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अधिग्रहण तो पूरा हुआ ही नहीं था। दूसरी बात सरकार ने भूमि किसी को दी ही नहीं। सरकार ने सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के दौरान कुछ भूमि छोड़ी और फिर अॅवार्ड करने से पहले पूरे अधिग्रहण को ही निरस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए किसी को भूमि देने का प्रश्न ही नहीं बनता है। माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल पूछा है, उसके जवाब में मैं कहना चाहता हूँ कि जो मूल-भू-स्वामी थे उन्होंने इस मामले को लेकर बार-बार सरकार को इस बारे में ज्ञापन दिए और अदालत में भी इस बात को लेकर गये। सैक्शन 4 और सैक्शन 6 के तहत कम मुआवजा की सम्भावना को देखते हुए उन्हें अपनी भूमि को मजबूरी में दूसरी पार्टियों को बेचने के लिये विवश होना पड़ा तथा जिन कंपनियों ने वे जमीनें खरीदी उनको बाद में सरकार ने सी.एल.यू. देकर कहीं न कहीं लाभ देने की बात भी सामने आती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो मूल भू-स्वामी थे वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, वे किसान इस मामले को लेकर अदालत में भी गये थे और अब तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है शायद इस प्रकार का मामला अदालत में लम्बित नहीं है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विधान सभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी। कैग की रिपोर्ट के अंदर इसी जमीन का उल्लेख करके यह कहा गया था कि नियमों को ताक पर रखकर गलत इस्तेमाल करके इन जमीनों को छोड़ा गया था। जब माननीय मंत्री जी के पास आधार मौजूद है तो किस प्रकार की जांच करवाना चाहते हैं? यह तो क्लीयर करें कि इस मामले की जांच कितने समय में करवायेंगे? जब आपके पास कैग की रिपोर्ट मौजूद है, इस जमीन के घोटाले के अन्दर आपके पास हर प्रकार की चीज विधान सभा में मौजूद है तो कब तक इस बात को क्लीयर करेंगे? कृपया यह स्पष्ट करें।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय सदन में रखा है कि कैग की रिपोर्ट में भी कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं और कुछ बेकायदगियां प्रारंभिक जांच के

[कैप्टन अभिमन्यु]

अन्दर अनुसंधान में यह दिखाई भी दे रही हैं और सरकार यह समझती है कि इस मामलें में और अधिक गहन अनुसंधान करना चाहिए। यह उचित है और सरकार इस पर और ज्यादा गहराई से जांच करेगी। यह जांच किस प्रकार की होगी और इसके लिए कौन उपयुक्त रहेगा और जांच किस समय-सीमा के अंदर की जाएगी यह जानकारी इस वक्त सदन के पटल पर आश्वासन देना उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार की नीयत साफ है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि हम भूमि घोटालों से संबंधित मामलों की एक-एक इंच जमीन की निश्चित तौर पर जांच कराएंगे। इस मामले को सरकार अति महत्वपूर्ण तथा जांच के योग्य मानती है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के किसी जज से एक न्यायिक आयोग बनाकर इस भूमि घोटाले की इन्कवायरी करवाई जाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सभासद ने अच्छा सुझाव दिया है और सरकार से उत्तर मांगा है। सरकार किसी माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज से इन्कवायरी कमिशन बनाकर इन्कवायरी करने का आश्वासन देती है। लेकिन अभी यह कहना संभव नहीं होगा कि जांच किस स्तर की होगी और जांच कौन करेगा। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार पूरी तरह से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वचनबद्ध है और संकल्पबद्ध है। निश्चित तौर से सरकार इसकी जांच भी करेगी और कार्यवाही भी करेगी। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जांच की बात कर रहे है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने रिवाड़ी जिले के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन रिलीज की है जिस पर सैक्शन 4, 6, 9 लगा दिया गया था। क्या इस बारे में भी मंत्री जी जांच करवायेंगे ? इसमें उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों और ओहदेदारों की जमीन भी छोड़ी है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न थोड़ा-सा सैप्रेट है। चूंकि यह मेरे पड़ोस का मामला है और हमारी सरकार से संबंधित है इसलिए मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। हमने जो निर्णय लिया है उसमें और इनकी सरकार के समय में लिए गए निर्णय में मौलिक अंतर है। वह मौलिक अंतर यह है कि पहले जमीन अधिग्रहण के बाद छूट के जो मामले प्रकाश में आते रहे .....(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो न्यायाधीश बता देंगे कि किसने पुण्य किया है और किसने पाप किया है।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष जी, माननीय साथी ने तो मंत्री जी का जवाब सुनने से पहले ही पाप और पुण्य का फैसला कर लिया।.....(शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, मैं पहली बार सदन में माननीय सदस्य की आत्मा की आवाज को बाहर निकलते हुए देख रहा हूं। सच्चाई छुप नहीं सकती है। माननीय सदस्य की भावना को मैं केवल इस रूप में प्रस्तुत कर रहा था कि यह एक मौलिक अंतर है जो पहले जमीन लेकर फिर छोड़ने के विषय प्रकाश में आये हैं। वे सब किसी न किसी रियल एस्टेट, बिल्डर या किसी बड़े नामी-गिरामी आदमी या सरकार के चहेते लोगों के कारण गरीब किसान को भूमि अधिग्रहण के लिए सैक्शन 4, 6 का डर दिखाकर जमीन को खरीद लिया गया और उसको बाद में हस्तांतरित करके फिर जमीन छोड़ने के मामले सामने आये हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया कि किसानों-भूस्वामियों की पुरजोर मांग पर और किसानों का पक्ष रखने के बाद पूरी प्रक्रिया से ही जमीन ली जाएगी । जहां तक माननीय साथी ने रेवाड़ी जिले में जमीन छोड़ने की बात की है इसमें सरकार ने किसानों को मुआवजा राशि पेश की थी लेकिन जब किसानों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो अंतत : हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया और फिर भी अगर कोई अनियमितता माननीय सदस्य को लगती है तो वह हमारी जानकारी में लाएं । उसकी हम जांच करवाएंगे। हम अपने आप में पूरी तरह से खुली किताब हैं ।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, सैक्टर 31, भिवानी में 400 एकड़ भूमि एक्वायर की गई थी। उस जमीन को एक्वायर करने के बाद सैक्शन 4,6 और 9 का नोटिस होने के बाद उस 400 एकड़ जमीन में से 75 एकड़ जमीन को रिलीज कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस जमीन को रिलीज करने के क्या कारण थे और इस बारे में सरकार की क्या मन्शा थी ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री घनश्याम सर्राफ जी ने भिवानी के सैक्टर 31 की 400 एकड़ भूमि एक्वायर होने के बाद उस में से 75 एकड़ भूमि को रिलीज करने का मामला सदन में उठाया है। इसी प्रकार से माननीय सदस्य श्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक की जमीन को रिलीज करने का मामला उठाया है।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, रोहतक के बारे में जिस जमीन का मामला मैंने इस सदन में उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उस जमीन के बारे में जाँच करवायेंगे ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह सर्वविदित है कि जमीन के बारे में जाँच की मांग जो हमारे माननीय सदस्य श्री मनीष ग्रोवर और दूसरे माननीय सदस्यों ने उठाई है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री आनन्द सिंह दांगी जी ने भी वैसी ही जाँच की मांग की है। दांगी साहब मेरे पड़ोसी हैं और वे सदन की भावना और अपनी आत्मा की आवाज को समझते हैं इसलिए ही तो वे उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में किए हुए कार्यों को भी जाँच के योग्य मानते हैं। मैं उनकी इस पहल का स्वागत करता हूं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी बात को तोड़ मरोड़कर कह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आपकी बुराई थोड़े ही की है। मंत्री जी ने तो यही कहा है कि प्रदेश के हित में आपने भी जाँच की मांग की है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, चाहे जनहित का मैटर हो और चाहे पब्लिक इन्ट्रस्ट का कोई भी मैटर हो उसके बारे में इन्क्वायरी तो होनी ही चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं भाई आनन्द सिंह दांगी का बहुत आभारी हूं कि आज वे सदन की भावना के साथ खड़े हैं। मैं दांगी साहब से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो मामले हम सदन के सामने प्रकाश में नहीं ला पाये हैं, कृपया वे उनकी सरकार के समय के उच्च मामलों को भी सदन के सामने लायें क्योंकि दांगी साहब को तो इससे ज्यादा मामले के बारे में जानकारी हो सकती है। ऐसा करने से पूरे हरियाणा प्रदेश का फायदा होगा और सरकार ज्यादा अच्छे काम करेगी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यह बात आपकी ठीक है क्योंकि व्यक्ति और पार्टी से ऊपर प्रदेश होता है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जानकारी के बारे में अच्छी बात कही है। आनन्द सिंह दांगी 100 प्रतिशत नहीं बल्कि 1000 प्रतिशत ईमानदारी की राजनीति करता है और पूरे स्वाभिमान की जिन्दगी जीता है। चाहे कोई जनहित की बात हो या कोई दूसरी बात हो। सरकार ऐसे मामलों की जाँच करे तभी पता लगेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ?

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, आपने इतनी अच्छी बात कही है इसलिए सरकारी पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई हैं जबकि विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य ने मेजें नहीं थपथपाई हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, जो भी सही बात होगी उसको आनन्द सिंह दांगी कहने में चूकेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, तभी तो मैं यह बात कह रहा हूं कि आपने जो बात कही है उस पर विपक्ष की तरफ से मेजें नहीं थपथपाई गई हैं बल्कि सरकारी पक्ष की तरफ से मेंजें थपथपाई जा रही हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी बात कहनी हो तो माननीय सदस्यों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। माननीय सदस्य किसी भी बात पर मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर कह कर खड़े हो जाते हैं जिस बात का कोई आधार ही नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सदन में जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने नये विधायकों के लिए दो ट्रेनिंग कैम्प आयोजित करवाये हैं। पहला ट्रेनिंग कैम्प तो सरकार ने अपनी पार्टी के विधायकों के लिए सूरजकुण्ड में आयोजित करवाया था और दूसरा ट्रेनिंग कैम्प सभी विधायकों के लिए चण्डीगढ़ में आयोजित करवाया गया। इन दो ट्रेनिंग कैम्प्स में आपने नये विधायकों को क्या शिक्षा दी है। सूरजकुण्ड के ट्रेनिंग कार्यक्रम में या तो ये पढ़ाया गया है कि किसी को भी बोलने नहीं देना है तथा प्वांयट ऑफ आर्डर वाली लाइन पर ही चलना है। (विघ्न) ऐसा ही लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो वहां पर ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया तथा यदि पढ़ाया भी गया तो हम सीख नहीं पाये। (शोर एवं व्यवधान) यह सदन एक ऐसा स्थान है जहां पर 90 माननीय सदस्यगण के अंदर सारा हरियाणा राज्य सीमित है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी किस प्रकार की नियत होती है और हमारी क्या नीति होती है, हमारा सदन के प्रति क्या कर्त्तव्य बनता है इस बारे में हमें यहां पर सोचना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप भी कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों को मुस्कराकर ऐसे ही टाल देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्नकाल चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को उस समय से जानता हूं जब ये राजनीति में भी नहीं आये थे। हम दांगी साहब को राजनीति में बहुत लम्बे समय से देख रहे हैं। इनको हमने तस्वीरों में भी देखा है तथा अब तो मॉडर्न युग में

टी.वी. के माध्यम से भी देखा है। (विघ्न) सुना नहीं, देखा है तथा कहीं न कहीं हमने इनका साथ भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दांगी साहब का एक प्रूफ खुद विधान सभा में देखने को मिलता है तथा कुछ वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने नोटिस भी किया होगा कि जब ये सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनका एक हाथ इनकी जेब में होता है तथा इनकी एक अंगुली यूं होती है। पिछले 10 वर्ष की अपेक्षा अब सदन में परिवर्तन आया है इसलिए माननीय सदस्य की जो तथाकथित ईमानदारी है वह इतने लम्बे समय तक सदन में उजागर नहीं हो पाई, अब आपकी वजह से ये बोलने के लिए खड़े हुए हैं। (थंपिंग) इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा तथाकथित शब्द कहना एक अशोभनीय बात है। (हंसी) मैं 1978 में गाँव का सरपंच बना था, उस समय तो शायद कैप्टन साहब को किसी बात का ज्ञान भी नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में तथाकथित शब्द कहना अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने ये शब्द वापस ले लें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय में कुछ बोल नहीं रहे हैं तथा कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की ईमानदारी के क्लेम को पूरे सम्मान के साथ सदन के पटल पर रखा है। फिर भी यदि कोई ऐसा सर्टिफिकेट होता हो जिससे इनकी ईमानदारी प्रमाणित हो जाये तो मैं तथाकथित शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रश्न काल बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है लेकिन इस महत्वपूर्ण समय को ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे कैप्टन साहब के तथा अन्य किसी और व्यक्ति के भी अपनी ईमानदारी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपनी ईमानदारी के बारे में मैं खुद जानता हूं तथा जनता जानती है। मैंने बड़े-बड़े लोगों का हाथ पकड़कर तथा निकालकर अपने यहां से भेजा है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, अपने हाथ से खुद कार्य करके खाता हूं। इसलिए मेरे बारे में तथाकथित बात कहना अच्छा नहीं लगता है। मैं पिछले 15 वर्षों से लगातार इस सदन में चुनकर आ रहा हूं, इस सदन में अब मेरा 16वाँ वर्ष चल रहा है। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आनंद सिंह दांगी के खिलाफ किसी भी प्रकार की इन्क्वायरी करवा ली जाये लेकिन कम से कम मेरे बारे में तथाकथित शब्द कहना अशोभनीय बात है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति की ईमानदारी अथवा जो भी दूसरी चीजें हैं (हंसी), वे उसके आचरण से प्रमाणित होती हैं। अभी इनके पास मौका है, हमारी सरकार के समय में जाँच भी होगी, इनके पास यदि ऐसी कोई जानकारियाँ है तो वे उन्हें दे दें, उन जानकारियों को जाँच के दायरे में लायेंगे तो इनकी ईमानदारी प्रमाणित हो जाएगी (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : x x x x x x x x

श्री करण सिंह दलाल : x x x x x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री आनंद सिंह दांगी व श्री करण सिंह दलाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

To Construct a New Grain Market

***238. Shri Udai Bhan** : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new grain market in Hodal Assembly Constituency ; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी हां, श्रीमान । वर्तमान अनाज मण्डी के विस्तार के लिए 99 एकड़ 3 कनाल 19 मरले अतिरिक्त भूमि अधिगृहीत की गई है। इस भूमि के अधिग्रहण के लिए 96,91,80,558/- रुपये का अवार्ड 18-12-2014 को घोषित किया जा चुका है। भूमि का कब्जा जल्द ही ले लिया जायेगा और उसके बाद बुनियादी ढांचा विकसित किया जायेगा।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, होडल की हमारी अनाज मंडी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। 3-3 किलोमीटर तक अनाज वहां फैला रहता है जिसकी वजह से किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके दृष्टिगत 99 एकड़, 3 कनाल और 19 मरले भूमि एक्वायर हुई है जिसका पैसा 96,91,80,558 रुपये वहां पहुंच गया है। इसका अवार्ड 18 दिसम्बर, 2014 को सुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी किसानों ने मुआवजा ले लिया या फिर कोई किसान मुआवजा लेने से रह गया है। अगर मुआवजा ले लिया गया है तो इसका कब्जा कब तक ले लिया जाएगा और इस मंडी का काम कब तक शुरू होगा और इसमें कितना समय लगेगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015-16 के अंतर्गत इस काम को किए जाने की सम्भावना है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि कितने लोगों ने पैसा ले लिया है और कितनों ने नहीं लिया है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसकी डिटेल्ड लिस्ट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, इस अनाज मंडी के लिए जमीन का कब्जा कब तक ले लिया जाएगा और इस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी इसमें दो बाधाएं हैं। पहली बाधा तो यह है कि वहां 4 एकड़ जमीन पर एक स्कूल है जिस बारे केस कोर्ट में है तथा 26 एकड़ जमीन का एक अलग विषय है। इन दोनों विवादों से तुरंत निपटते हुए जल्दी ही इस मामले में आगे बढ़ेंगे। विभाग की योजना यह है कि वर्ष 2015-16 में इस मंडी के निर्माण के काम को पूरा कर लिया जाए।

श्री भगवान दास कबीर पंथी : अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। नीलोखेड़ी की अनाज मंडी शहर के बीच में है। मंडी की जगह बहुत छोटी है। जब सीजन में किसान अपनी फसल लेकर आते हैं तो कई-कई दिनों तक सड़कों पर फसलें पड़ी रहती हैं। शहर के बीच में होने के कारण वहां जाम की समस्या आम रहती है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अनाज मंडी को शहर के बाहर बनाया जाए ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिले और उनको आने जाने की सुविधा हो सके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसी 16 और मंडियां हैं जहां पर इस तरह की परेशानी है और जिनको विभाग बनाने जा रहा है। कुछ मंडियां हमारे पास ऐसी भी हैं जैसे अम्बाला सिटी, करनाल, हिसार, उकलाना, महम, बहल सफीदों, जाखल और मानकपुर (जगाधरी) की मंडियां जो नोटिफाईड हो गई हैं तथा केवल शिफ्ट होनी बाकी है। कुछ स्थानों पर जमीन एक्वायर करके इस प्रोसैस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो इस सदन का ध्यान नीलोखेड़ी की तरफ आकर्षित किया है उसके लिए मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री जसबीर देसवाल : अध्यक्ष महोदय, सफीदों में नई अनाज मंडी बनी है। उससे पहले हरियाणा की सबसे पुरानी और बड़ी अनाज मंडी सफीदों में थी। उसको अभी सबयार्ड घोषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य में उस पुरानी मंडी को डिनोटिफाईड करने का विचार है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह ठीक कहा है कि [11.00 बजे] सफीदों में नई अनाज मण्डी बनी है। जब कहीं नई अनाज मण्डी बन जाती है तो पुरानी अनाज मण्डी को डिनोटिफाईड कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए किया जाता है कि नई अनाज मण्डी में जो नया परिसर बनता है, नया कैम्पस बनता है उस पर जो खर्चा होता है उसका पूरा फायदा नई अनाज मण्डी को मिले। बार-बार शिकायतें मिलती हैं कि पुरानी अनाज मण्डी चालू होने के कारण नई अनाज मण्डी में व्यापार को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना महत्व नहीं मिलता। इस तरह की शिकायतें एक शहर में दो मण्डियां चलने के कारण आती रहती है कि पुरानी मण्डियों को डिनोटिफाईड किया जाये। इसी तरह की जरूरत भी होती है। निश्चित रूप से सफीदों में जब नई मण्डी शुरू हो जायेगी तो पुरानी मण्डी को डिनोटिफाईड करने की नौबत आयेगी।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फतेहाबाद में अनाज मण्डी बनाने के लिए 2009 में मुआवजा भी दिया जा चुका है लेकिन मण्डी की जमीन की बाउंडरी वाल भी अभी तक अधूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और तंवर साहब वहां पर मण्डी बनाने का फाउंडेशन भी रख चुके हैं लेकिन अभी तक वहां मण्डी बनाने के लिए टेण्डर काल नहीं किए गए हैं। वहां मण्डी बनाने के लिए किसी सिंगल आदमी को भी आब्जैक्शन नहीं है और मार्कैटिंग बोर्ड के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। सदन के आदरणीय नेता ने भी विश्वास दिलाया है कि जो भी फाइलें डस्टबीन में पड़ी हैं उनको बाहर निकालकर मुख्यधारा में लाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि फतेहाबाद में जल्द से जल्द अनाज मण्डी बनाने के लिए टेण्डर काल किए जायें ताकि वहां किसानों और व्यापारियों को लाभ मिल सके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो फतेहाबाद की मण्डी बनाने की बात की है यह हमारे ध्यान में है और हमारी लिस्ट में पहले नम्बर पर इसको रखा हुआ है। इस पर जल्द ही कार्य शुरू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Shortage of Doctors in Mewat

*148. **Shri Rahis Khan** : Will the Health Minister be pleased to state whether there is shortage of doctors in the Shaheed Hasan Khan Mewati, Government Medical College, Nalhar (Mewat) and also lack of basic amenities like drinking water and electricity etc; if so, the time by which the shortage of doctors is likely to be met out and the said amenities are likely to be provided ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान जी, शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हर (मेवात) में डाक्टरों की कमी है और पीने का पानी तथा बिजली इत्यादि मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। डाक्टरों की कमी तथा सुविधाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जायेगा।

New Kalanaur Minor

*229. **Smt. Shakuntala Khatak** : Will the Irrigation Minister be pleased to state the time by which the construction work of the New Kalanaur minor is likely to be started together with the time by which water is likely to be supplied therein?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, नई कलानौर माईनर का कार्य फरवरी, 2015 में शुरू हो चुका है। यह कार्य मार्च, 2016 तक पूरा होने की संभावना है और कार्य पूरा होने के तुरन्त बाद इस माईनर में पानी छोड़ा जाएगा।

Harbal Park in Forest of Saraswati Vihar

*357. **Shri Jaswinder Singh Sandhu** : Will the Forest Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Saraswati Vihar forest of Pehowa Constituency as a Herbal Park; if so the detail thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं श्रीमान जी,

Cattale Fair

*273. **Sh. Ranbir Gangwa** : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to organize animal fairs to promote the Animal Husbandry; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, राज्य में पशु मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

Sports Stadium in Ratia

***409. Sh. Ravinder Singh Baliala** : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under cosideration of the Government to construct a sports stadium in Ratia; if so the time by which it will be constructed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान जी,

Sewerage System

***453. Sh. Ved Narang** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to ensure proper functioning of sewerage system in Barwala; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : नहीं श्रीमान जी, बरवाला शहर में सीवरेज प्रणाली ठीक तरह से कार्य कर रही है।

To Provide the Water of Ghaggar Nali for Irrigation

***284. Sh. Makhan Lal Singla** : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the water of Ghaggar Nali for Irrigation to village Salarpur, Rangri, Khajakhera of Sirsa Constituency; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

To Replace the Obsolete Wires

***441. Sh. Om Parkash** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity wires in village Mohil of Loharu Constituecy; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, आवश्यकता अनुसार समय-समय पर पुरानी बिजली तारों को बदला जाता है।

Supply of Drinking Water

***249. Sh. Rajdeep Phogat** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that sufficient water is not available in the tanks of water works in villages of Lamba, Kolahwas, Kasni, Sof, Kamod, Ranila, Oon, Atela Kalan, Hindol and Sakroad etc;

[Sh. Rajdeep Phogat]

(b) if so, whether there is any scheme under consideration of the Government to arrange the adequate drinking water for the abovesaid villagers; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) लाम्बा, कोलाहवास, रानिला तथा उण के जलघरों पर कच्चे पानी की कमी है। अन्य दर्शाए गए गांवों के जलघरों की टैंकियों में पर्याप्त पानी उपलब्ध है।

(ख) तीन जलधरों पर कार्य प्रगति पर है और 30 जून, 2015 तक पूरा होने की संभावना है, जबकि गांव उण के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

To Open a Government College

***404. Sh. Balkaur Singh** : Will theEducation Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is no Government Collage in Kalanwali constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College in Kalanwali constituency; and

(b) if so, the time by which the said college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) व (ख) कालांवाली निर्वाचनक्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Reconstruction of road

***316. Sh. Narender Bhadana** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposlal under consideration of the Government to reconstruct the damaged road from village Dabua to village Pali in NIT Faridabad; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

नहीं, श्रीमान जी।

Repair of Roads

***165. Sh. Zakir Hussain** : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of Nuh Assembly Constituency :-

(i) Bibipur to Devla Nangli;

(ii) Malai (Hathin to Alawalpur);

(iii) Jai Singh Pur to Kontlaba;

(iv) Sudaka to Naushera;

(v) Rewason to Mahavan;

(vi) Chandeni to Sadain; and

(vii) Ghasera to Badka; and

(b) if so, the time by which the repair work is likely to be done?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरवीर सिंह) :

(क) व (ख) श्रीमान जी, सड़क अनुसार उत्तर निम्नलिखित है।

(i), (iii) से (V) नहीं, श्रीमान जी। वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ii) हां, श्रीमान जी। सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। परन्तु बैंक ऑफ सेंक्सन निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाने के कारण कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका। वर्तमान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(vi) हां, श्रीमान जी। कि0मी0 3.00 से 5.50 तक सड़क की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और 31-3-2015 तक पूरा होने की उम्मीद है। कि0मी0 0.00 से 3.00 तक सड़क भाग की मरम्मत अभी 09/2014 के दौरान की गई है।

(vii) हां श्रीमान जी। कि0मी0 3.00 से 8.50 तक सड़क की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और 31-3-2015 तक पूरा होने की उम्मीद है। कि0मी0 0.00 से 3.00 तक सडक की हालत संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Vacant Post of Medical Officers

***344. Smt. Prem Lata** : Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that a large number of posts of Medical Officers are lying vacant in the Health Department; and

(b) if so, the steps taken by the Government to fill up the vacant Posts of Medical Officers ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर निकालकर विभागीय हाई पॉवर चयन कमेटी द्वारा निरंतर प्रक्रिया द्वारा की जा रही है। विभाग द्वारा हाल ही में चयन सूचि के अनुसार 94 चिकित्सकों को उनकी प्रतीक्षा सूचि में से चयनित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भी चिकित्सकों को अनुबंध आधार पर लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत चिकित्सकों को दोबारा लगाने बारे भी एक निर्णय लिया गया है। नये चिकित्सा अधिकारियों को आकर्षित करने के लिये उन्हें ग्रामीण तथा सुदूरवर्ती ईलाकों में सेवा देने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

Ground Water of Tube-Wells

***352. Sh. Kulwant Ram** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that the ground water of 15 to 20 villages including Daban Kheri, Hansu Majra, Chanchak, Shiv Majra, Bhatian, Dashedpur, Rata Khera, Angod, Suon Majra, Shadhipur, Kalar Maja, Badsui, Sadaraheri, Khushal Majra, Tatiana, Biradhey etc. is not fit for drinking; if so, the time by which the said problem will be solved?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

नहीं, श्रीमान जी।

Swine Flu Sex Ratio

***362. Sh. Kuldip Sharma** : Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) the number of persons died due to Swine Flu disease in Haryana State during the last six months togetherwith the steps taken by the Government to prevent the Swine Flu disease; and

(b) the steps taken by the Government to improve the sex ratio in the state?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हरियाणा में स्वाइन फ्लू से पिछले 6 महीनों में कुल 32 मृत्यु हुई हैं। सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए उठाये गये कदम अनैक्सचर-I पर अंकित हैं।

(ख) राज्य में लिंग अनुपात सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये कदम अनैक्सचर-II पर अंकित है।

अनैक्श्चर-I

(क) **हरियाणा में स्वाइन फ्लू से पिछले 6 महीनों में कुल 32 मृत्यु हुई है। सरकार द्वारा इस बिमारी की रोकथाम के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये :-**

- स्वाइन फ्लू मामलों के प्रबन्धन, दवाएं, आई0ई0सी0 गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत दिशा निर्देश (सर्दी के बढ़ते ही) 29-12-2014 को पुन : निर्देशित कर दिये गये थे।

- उपचार पूर्णतया भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है तथा स्वाइन फ्लू के मामलों को लक्षणों तथा रोगी के स्वास्थ्य के आधार पर ए0, बी0 तथा सी0 वर्गों में बांटा गया है।

  वर्ग 'ए' :- जिन रोगियों को मामूली बुखार, खांसी और गले में खराश, बदन दर्द अथवा बदन दर्द के बिना, सिर दर्द तथा उल्टियां लगी हों, उन्हें टेमीफ्लू दवा की जरुरत नहीं है तथा एच0वन0एन0वन0 परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती।

  वर्ग 'बी' :- ए0 वर्ग के चिन्हों एवं लक्षणों के अतिरिक्त उच्च जोखिम समूह के रोगियों जैसे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष और इस से अधिक आयु के रोगी, फेफड़ों के रोग से पीड़ित रोगी, हृदय रोग, जिगर रोग, गुर्दे के रोग, रक्त डिसार्डर, मधुमेह, स्नायु रोग, कैंसर, एच0आई0वी0/एड्स तथा दीर्घकालिक कॉरटीसोन की थैरेपी पर निर्भर रोगी बी-वर्ग में सम्मिलित हैं। इन रोगियों को घर में अलग रखने तथा ओसेल्टेमीवीर द्वारा उपचार करने की आवश्यकता होती है। इन रोगियों का एच0वन0एन0वन0 परीक्षण आवश्यक नहीं है।

  वर्ग 'सी' :- वर्ग सी में वे रोगी आते हैं जिन्हें सांस फूलने, सीने में दर्द, उनींदापन, थूक में खून आना, नाखूनों का रंग नीला होना तथा पुरानी बीमारी के और बिगड़ने की समस्या हो। वर्ग-सी के सभी रोगियों को एच0वन0एन0वन0 परीक्षण और तत्काल अस्पताल में भर्ती करके उपचार की आवश्यकता है।

- हरियाणा राज्य में एच०वन०एन०वन० जांच के लिए दो अधिकृत प्रयोगशालाएं जोकि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अन्वेषण संस्थान (PGIMER) चण्डीगढ़ है।

- स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण पाने हेतु क्या करना चाहिए व क्या न करना चाहिए सहित आवश्यक सावधानियों के बारे में लोगों का मार्ग दर्शन करने बारे समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किये गये।

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनके प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर दिये गये।

- सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी, स्कूलों के प्रधानाचार्य, पंचायत के सदस्यों, भारतीय चिकित्सा संगठन के सदस्यों तथा निजी अस्पताल के डाक्टरों के साथ बैठकों, प्रिन्ट मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सूचना तथा प्रसारण गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
- पी०जी०आई०एम०ई०आर० चण्डीगढ़ पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक के उच्च अधिकारियों तथा क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार के साथ स्वाइन फ्लू के रोगियों के प्रबंधन की स्थिति और स्तर की समीक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, हरियाणा द्वारा बैठक करवाई गई।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य, हरियाणा, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा तथा राज्य सरविलेन्स अधिकारी द्वारा सभी सिविल सर्जनों के साथ विडियो कॉनफिरेन्सिंग के माध्यम से निगरानी और समीक्षा हर सप्ताह की जा रही है।
- सभी 21 जिलों की सर्वेक्षण यूनिटों से दैनिक रिपोर्ट प्राप्त हो रही है तथा इसका मूल्यांकन एवं निगरानी राज्य सर्वेक्षण यूनिट द्वारा किया जा रहा है।
- सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध हैं तथा साथ ही किसी भी तत्काल आवश्यकता में सिविल सर्जन को अपने पास उपलब्ध बजट में से खर्च करने के लिए पूरी तरह से सशक्त (empowered) किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में Tamiflu व पी0पी0ई0 किट प्राप्त की हैं।
- जरुरत पड़ने पर सभी जिलों के निजी अस्पताल वेंटीलेटर सुविधा देने के लिए तैयार हैं। सरकारी मैडिकल कॉलेज व अस्पताल में कुल 70 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं तथा 254 वेंटीलेटर निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं तथा सभी जिलों में आईसोलेशन वार्ड में 142बैड उपलब्ध हैं।
- सरकारी संस्था में भर्ती रोगियों के लिए यदि आवश्यक हो तो सिविल सर्जन निजी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटीलेटर प्रयोग में ला सकते हैं। इस खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

अनैक्शचर-II

(ख) **दिसंबर 2014 तक पी0सी0 और पी0एन0डी0टी0 अधिनियम का सख्ती से कार्यन्वयन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए है :-**

- हरियाणा राज्य में कुल 1550 (71 सरकारी) पंजीकृत आनुवंशिक क्लीनिकल 67 आनुवंशिक केन्द्र व 4 आनुवंशिक प्रयोगशालायें हैं।
- 20062 निरीक्षण किये गये हैं।
- 285 अल्ट्रासांउड मशीनों को सील किया गया।
- 460 लाईसेंसो को रद्द/निरस्त किया गया।
- फरवरी 2015 तक 114 कोर्ट केस दर्ज गये, जिनमे से 44 लिंग चयन के अंतर्गत, 8 विज्ञापन निषेध के अन्तर्गत, 33 रिकार्ड के गैर-रखरखाव के अन्तर्गत और 29 गैर पंजीकरण के अंतर्गत किए गए।
- 56 व्यक्ति दोषी पाए गये जिनमें से 35 डाक्टर शामिल हैं।
- 2 डाक्टरों के लाईसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं और 10 दोषी डाक्टरों के नाम राज्य चिकित्सा परिषद् से हटा दिये गये हैं।
- 1464 जिला सलाहकार कमेटियों की मीटिंग आयोजित की गई हैं।
- पिछले डेढ साल में 2 राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण प्रयोगशालाएं आयोजित की गई हैं जो कि राज्य उपायुक्त प्राधिकारी ने संवेदीकरण, सलाहकार कमेटियों, राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की स्थापना हेतु की हैं।

स्वास्थ्य विभाग की पहल :-

- सभी जिलों में टास्क फोर्स की स्थापना दिनांक 25-4-2011 को उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई है जिसका उद्देश्य महीने मे एक बार पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी एक्ट के प्रावधानों को लागू होने तथा गैर कानूनी डॉयग्नोस्टिक केन्द्रों और डाक्टरों के विरुद्ध चल रहे अभियोगों बारे समीक्षा करने हेतु बैठक करना है। दिसंबर 2014 तक जिला टास्क फोर्स के अन्तर्गत 123 मीटिगों का आयोजन हो चुका है।
- वैटिरिनरी अल्ट्रासांउड मशीनों का पंजीकरण (गुड़गांव एवं सोनीपत)।
- 50,000/- रुपये तक का ईनाम गैरकानूनी गतिविधियों जैसे लिंग परीक्षण इत्यादि सिविल सर्जन उपायुक्त की सलाह के बाद यदि जानकारी सही है, उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अभी तक 13 लोगों को ईनाम दिया जा चुका है।

- रेजिडैंस पहचान पत्र का जरूरी होना-हरियाणा में रेजिडैंस पहचान पत्र अल्ट्रासांउड करवाने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है केवल आपातकालीन परिस्थिति को छोड़कर जो औरतें अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने आती हैं।
- आई0वी0एफ0 केन्द्रो में लिंग अनुपात का पंजीकरण एवं मॉनीटरिंग।
- 12-20 हफ्तों के बाद सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण एवं निगरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा की जा रही है जो कि गैरकानूनी लिंग के लिए जिम्मेदार है, जो कि मनचाहे गर्भपात के लिए जिम्मेदार है।
- शिकायतों का पंजीकरण फोन एवं एसएमएस द्वारा ।

सभी लोगों में जागरुकता को बढ़ावा देना :-

- एक पखवाड़ा जो कि 1 से 15 मार्च हर वर्ष को साक्षर महिला समूह के द्वारा गांव में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरुकता के लिए चलाया जाएगा।
- गांवों में विशेष जगहों पर स्वास्थ्य दिवारों को रंगने का काम करना जो कि यह दर्शाये कि वर्ष में कितने लड़के एवं लड़कियों का जन्म हुआ है।
- कन्या को बचाने के लिए सेमिनारों, नुक्कड़ नाटकों, चित्रकला प्रतियोगिता, केबल, प्रदर्शनियों, वाद-विवाद, निबंध लेखन, होर्डिंग्स, पर्चे, कलैंडर, डायरियों, शपथ आदि का आयोजन सभी जिलों में किया जाता है।
- लिंग अनुपात जैसे मुद्दों के प्रति जागरुकता के लिए समय-समय पर रेडियो जिंगिलस, प्रैस विज्ञापनों एवं टी0वी0 प्रोग्रामों का प्रसारण किया जाता है।

(आ) **बालिका एवं महिला के लिए स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं :-**

- **बेटी बचाओ जननी सुरक्षा योजना :-**

  इस योजना के तहत, सभी गर्भवती महिलाएं जिनकी एक या ज्यादा लड़कियां हैं (लड़का नहीं है) को नकद प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में दी जाएगी जैसे 500/- रुपये पहले तीन महीने में पंजीकरण कराने पर, दूसरी 500/- रुपये की किस्त संस्थागत प्रसव कराने पर और तीसरी 500/- रुपये की किस्त जीवित लड़की पैदा होने पर। इससे पहले तीन महीने में पंजीकरण, संस्थागत प्रसव बढ़ेंगे और लड़कियों वाली गर्भवती महिलाओं पर नजर रखी जा सकेगी। यह प्रोत्साहन पहले से ही चल रही जननी सुरक्षा योजना (भारत सरकार और राज्य) के अन्तर्गत प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा।

- **बेटी बधाओ आशा प्रोत्साहन योजना :-**

  इस योजना के तहत, आशा को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है यदि वह गर्भवती महिला का पहले तीन महीने में पंजीकरण करवाती है, जिसकी पहले से सिर्फ एक या ज्यादा लड़कियां है (लड़का नहीं है) जिससे लड़की के जन्म में बढ़ोतरी हो और लड़की पैदा होने के प्रसव उपरान्त घर पर जाकर लड़की की गुणवत्ता से देखभाल हो और पूरा टीकाकरण करवाया जाए। प्रोत्साहन निम्नलिखित प्रकार से दिया जाएगा :-

- 500/- रुपये प्रति केस, प्रोत्साहन राशि शीघ्र पंजीकरण कराने पर।
- 500/- रुपये प्रति केस, प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव कराने पर।
- अतिरिक्त प्रात्साहन 500/- रुपये प्रति केस जीवित कन्या पैदा होने पर।

  उसे प्रोत्साहन की राशि घर पर प्रसव कराने पर नहीं मिलेगी, जब तक कि उसके द्वारा संस्थागत प्रसव कराने की कोशिश ना की जाए। प्रोत्साहन की सभी राशियां प्रसव के बाद पैकेज के रूप में दी जाएंगी। लड़का पैदा होने पर 500/- रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

  घर जाकर आशा द्वारा पैदा हुई लड़कियों की प्रसव उपरान्त घर जाकर जांच करने के तहत 7 में से 6 जांच करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रावधान है (योजना के लागू होने के बाद पैदा होने पर)।

आशा को राशि देने की शर्तें :-

- पैदा हुई लड़कियों की प्रसव उपरान्त घर जाकर (एच0बी0पी0एन0सी0) जांच करने के तहत आशा को एक बार लड़की की घर जाकर देखभाल के लिए 100/- रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, यदि बच्ची 42 दिन तक जीवित रहेगी।
- यह आशा की जिम्मेदारी है कि वह पहले से निर्धारित (ए0बी0पी0एन0सी0) कार्यक्रम के अनुसार घर जाकर बालिकाओं में खतरनाक लक्षणों की पहचान करें।

- आशा द्वारा बालिकाओं का विपरीत प्रभाव में इलाज/प्रबंधन के लिए अस्पताल में भेजना चाहिए।

- **हरियाणा में अलट्रासांउड/ईमेजिंग मशीन के निर्माता/विक्रेता/डीलर आदि का राज्य समुचित प्राधिकारी से अनिवार्य पंजीकरण :-**

- हरियाणा में घटता लिंग अनुपात एक गम्भीर समस्या है। लिंग जांच/चयन का तकनीकी विकास से घटते हुए बाल लिंग अनुपात का सीधा सम्बन्ध है। लिंग आधारित गर्भपात ज्यादातर अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा लिंग चयन करके ही किये जाते हैं। कुछ अनाधिकृत क्लीनिक अल्ट्रासांउण्ड मशीन रखते हैं जिन्हे अनपढ़ लोग चलाते हैं। पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम को सख्ती से लागू करना हरियाणा सरकार का कर्तव्य है। इसके तहत हरियाणा में काम करने वाले अल्ट्रासाउण्ड/ईमेजिंग मशीन के निर्माता विक्रेता/डीलर/खुदरा विक्रेता/ आयातक/तकनीकी आदि का राज्य समुचित प्राधिकारी से अनिवार्य पंजीकरण के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है ताकि अल्ट्रासाउण्ड/ईमेजिंग मशीनों की अनधिकृत बिक्री एवं गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और लिंग चयन में उनका दुरूपयोग रोका जा सके। अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउण्ड/ईमेजिंग मशीन के निर्माता/विक्रेता/डीलर/खुदरा विक्रेता द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य को भेजना अनिवार्य है।

(ब) **महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नए कदम :-**

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना :-**

  22 जनवरी, 2015 को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिला पानीपत हरियाणा में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लिंग के आधार पर पक्षपाती भ्रूण हत्या को रोकना व बालिकाओं के अस्तित्व, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चत करना है। राज्य के असन्तुलित लिंग अनुपात वाले 12 जिलों नामत: अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, सोनीपत, करनाल, पानीपत, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी और झज्जर पर विशेष ध्यान देते हुए 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य सभी जिले भी शामिल किए जाएंगे। जिलों के उपायुक्तों को इस योजना के तहत नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए राज्य व जिला स्तरीय कार्यदलों का गठन किया गया है। इन जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार के लिए निगरानी लक्ष्य एक वर्ष में 10 अंकों से होता है।

- **सुकन्या समृद्धि अकांउट स्कीम :-**

  इसके तहत नागरिकों को बेटी के नाम पर निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इससे उन्हें अधिकतम ब्याज दर एवं कर छूट का लाभ भी मिलेगा।

- **पूरक पोषण आहर की दर** को बढ़ाकर 6 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन, 7 रुपये प्रति गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता तथा 9 रुपये प्रति अत्याधिक कुपोषित बच्चे के लिए की गई है।

- **आप की बेटी-हमारी बेटी :-**

  इसके तहत घटते लिंगानुपात की समस्या पर रोक लगाने के लिए अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000/- रुपये तथा दूसरी बेटी के जन्म पर सभी परिवारों को 21,000/- रुपये की राशि का प्रावधान है।

- **हरियाणा कन्या कोष** लड़कियों व महिलाओं के कल्याण तथा उन्हें समान अवसर देने हेतु स्थापित किया गया है।

- **न्यूट्रीशन मिशन** गठित किया गया है ताकि बच्चों, किशोरियों व महिलाओं में उच्च स्तर का कुपोषण तथा खून की कमी को समाप्त किया जा सके।

- **स्टेट रिसोर्स सैन्टर फॉर वूमैन :-**

  स्टेट रिसोर्स सैन्टर फॉर वूमैन का गठन महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया है। इसके अन्तर्गत महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न जागरुकता शिविरों के माध्यम से लिंग संवेदनशील, विभागीय योजनाएं महिलाओं के कानूनी अधिकार आदि के बारे अवगत करवाया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कई गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं जो कि पूर्ण शक्ति केन्द्र, वन स्टॉप क्राईसिस सैन्टर (ओ0एस0सी0सी0) जेन्डर ट्रेनिंग फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स, लीगल अवेरनैस एण्ड जेन्डर सैन्सिटाईजेशन प्रोग्राम, अवेरनैस बैचिज/सैशन फॉर दि ब्रिक किलन वूमैन-लेबरर्स।

- **स्टेट लैवल अवार्ड फॉर वूमैन :-**

  राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए इन्दिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार (1.00 लाख रुपये की राशि), कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार (51,000/- रुपये), बहिन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार (51,000/- रुपये की राशि) तथा लाईफ टाईम अचिवमेन्ट अवार्ड (21,000/- रुपये की राशि) पुरस्कार घोषित किए गए हैं।

- **घटते लिंग अनुपात में सुधार हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार :-**

  इस योजना के अन्तर्गत लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले जिले को प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार क्रमश : पांच लाख रुपये, तीन लाख रुपये तथा दो लाख रुपये दिया जाता है।

- **राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेन्ट फॉर ऐडोलसेन्स गर्ल्स (सबला) :-**

  इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को अपने विकास तथा सशक्तिकरण, जीवन निपुणता तथा व्यवसायिक निपुणता को बढ़ाने, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, बाल देख-रेख के प्रति जानकारी में सक्षम करना है। यह योजना छह : जिलों अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक यमुनानगर तथा कैथल में लागू है।

- **ऐडोलसेन्ट गर्ल्स अवार्ड स्कीम, हरियाणा :-**

  इस अन्तर्गत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक तथा 10+2 परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रत्येक ग्रामीण खण्ड की तीन बालिकाओं को मैट्रिक परीक्षा में क्रमश : 2,000/- रुपये, 1,500/- रुपये व 1,000/- रुपये तथा 10+2 परीक्षा में 3,000/- रुपये 2,500/- रुपये व 2,000/- रुपये के पुरस्कार दिये जाते हैं।

- **इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई0) कन्डीशनल मैटरनिटी बेनीफिट :-**

  इय योजना के अन्तर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु 6,000/- रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है।

- **स्कीम फॉर रिलीफ एण्ड रिहिबिलिटेशन ऑफ वूमैन एसिड विकटिम्स :-**

  इय योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा तेजाब से प्रभावित पीड़िताओं को 50/- हजार से 3 लाख रुपये तक का मुआवजा प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्रदान किया जाता है तथा इलाज सारा खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है। पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपये मृतका के कानूनी वारिस को देने का प्रावधान है।

- **विधवा एवं बेसहारा गृह (महिला आश्रम) :-**

  महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को आवास, रख-रखाव भत्ता, कपड़ा भत्ता, शिक्षा तथा ट्रेनिंग हेतु तीन महिला आश्रम जिला करनाल, रोहतक और फरीदाबाद में चलाए जा रहे हैं।

- **एजूकेशन लोन स्कीम फॉर गर्ल्स/वूमैन :-**

  इसके अन्तर्गत, लड़कियों/महिलाओं को देश-विदेश में उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 5 प्रतिशत ब्याज सबसीडी पर शिक्षा ऋण दिए जा रहे हैं।

- **प्रोटेक्शन ऑफ वूमैन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलैन्स :-**

  इसके अन्तर्गत, राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल की है और जिला स्तर पर 21 संरक्षण-सह-बाल विवाह विरोधक अधिकारी (पीपीओ) नियुक्त किए हैं ताकि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और बाल विवाह अधिनियम-2006 विरोधक से महिलाओं का संरक्षण किया जा सके।

- **वर्किंग वूमैन होस्टल :-**

  कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास सुविधा उनके कामकाजी स्थान के पास ही उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, जिनमें उनके बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा भी शामिल है।

(स) **लड़कियों और महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभग की योजनाएं :-**

- **विडोस एण्ड डैसटिट्यूट वूमैन पैंशन स्कीम :-**

  इसके अन्तर्गत, वे महिलाएं जो स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ हैं जिनको वित्तीय सहायता की जरुरत होती है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1,200/- रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

- **लाडली सोसायटी सिक्योरिटी अलॉउंस :-**

  इस योजना के अन्तर्गत 1,200/- रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन, जोकि 180 माह तक दिया जाएगा। यह उन परिवारों पर लागू होगा जिनके पास केवल बेटी/ बेटियाँ हों और कोई दत्तक पुत्र ना हो। इस योजना के माध्यम से एक परिवार में माता-पिता की बुढापे में सहायता होगी।

- **कन्यादान योजना :-**

  इस योजना के अन्तर्गत 11,000/- रुपये का प्रोत्साहन उन गरीब परिवारों की लड़कियों को सामुहिक विवाह के उत्सव पर प्रदान किया जाता है जो विवाह का खर्चा करने में असमर्थ हैं।

- **इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना :-**

  इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के रूप में 10,000/- रुपये से 31,000/- रुपये का प्रोत्साहन लाभार्थियों की सामान्य श्रेणियों की बेटियों की शादी के अवसर पर दिया जाता है जैसे-विधवा (बी०पी०एल०), बेसहारा, अनाथ इत्यादि।

(ड) **सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अन्य योजनाएं :-**

- महिलाओं को घरेलू बिजली में 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट यदि बिल उसके नाम हो या संपति उसके नाम पर हो।
- अगर महिलाएं अचल संपत्ति खरीदती हैं तो स्टांप ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट।
- शिक्षण श्रेणी की सीधी भर्ती महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करना।
- 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को हरियाणा परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत किराये की छूट।
- सोनीपत के खानपुर कलां गांव में महिलाओं के लिए विशेष विश्वविद्यालय तथा एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा चुका है।
- कन्याओं के लिए आई०टी०आई० में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of Auo Market at Hansi

72. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the foundation stone was laid down for construction of a planned Auto Market in Hansi during the year, 2014; and

(b) if so, the details thereof together with the present status of aforesaid Auto Market?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हुडा द्वारा हांसी में नियोजित आटो मार्किट के निर्माण के लिए नींव पत्थर, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 25-1-2004 को रखा गया था, ना कि वर्ष 2014 में।

(ख) जीवमितिय (बायोमेट्रिक) सर्वेक्षण किया जा चुका है, और भूखंडों/दुकानों के आबंटन के लिए जो विवरण क्षेत्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें भूखंडों/दुकानों का कोई आकार नहीं दर्शाया गया था। प्रशासक, हुडा, हिसार से सभी प्रकार से पूर्ण ताजा सिफारिशें मांगी गई हैं। रेखांकन एवं सीमांकन नक्शे के अनुसार, लगभग 2 एकड़ क्षेत्र को छोड़कर जिसमें 32 किरायेदार/ दुकानदार दुकानें चला रहे हैं, को छोड़कर विकास कार्य पूरे किये जा चुके हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कई किरायेदारों/ दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान दिए जाने हैं। न्यायालय के आदेशानुसार दुकानों के आबंटन के बाद ढांचों/दुकानों को हटा दिया जाएगा और बाकी विकास कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे। योग्य व्यक्तियों को अगले छ : महीने के दौरान जगह आबंटन करने के लिये प्रयासों को तेज किया जा रहा है।

Stray Animals

73. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of this fact that the number of accidents are increasing due to Stray Animals in the various cities of the State particulary in Hansi Constituency; and

(b) if so the action taken by the Government to get rid off this problem ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान जी। नगर परिषद्, हांसी द्वारा दिसम्बर, 2013 में 111 आवारा पशुओं को गाइड किया गया और गौशालाओं के सुपुर्द कर दिया गया था। शिकायतें प्राप्त होने पर नगर परिषद् कर्मचारियों द्वारा आवारा पशुओं को गाइड किया जाता है और गौशालाओं में भेजा जाता है, क्योंकि आवारा पशुओं हेतु शरण स्थल विकसित करने के लिए नगर परिषद, हांसी के पास भूमि उपलब्ध नहीं है।

Construction of Studium

74. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is shortage of basic infrastructure of sports in Hansi;

(b if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide basic infrastructure of sports and to construct an indoor Stadium in Hansi; and

(c) if so, the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान जी, हांसी कमेटी क्षेत्र में होने के कारण वहां पर खेल विभाग का कोई भी खेल परिसर नहीं है, जबकि हांसी निर्वाचन क्षेत्र में 4 मिनी ग्रामीण खेल परिसर हैं-गांव चनौट, गढ़ी, बंदेहड़ी तथा उमरा एवं एक कुश्ती गांव रामायणा में निर्माणाधीन है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। हांसी में भूमि की कमी होने के कारण इन्डोर स्टेडियम के निर्माण करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर (ख) के लिए विस्तृत जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

Supply of Polluted Water

75. Smt. Renuka Bishnoi : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that due to leakage in the water supply pipe line from Hansi to Jind road upto Hansi, polluted water is being suppoied; if so, the steps taken by the Government to supply clean drinking water ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

यह मान्य है कि हांसी-जींद रोड पर पानी की आपूर्ति की पाइप लाइन में रिसाव था। यह मान्य नहीं है कि दूषित जल की आपूर्ति की जा रही है । पाइप लाइन की मरम्मत कर दी गई है और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

विभिन्न मामलों का उठाना

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमने ओलावृष्टि को लेकर किसानों की फसल को हुऐ नुक्सान के बारे में कालिंग अटैंशन नोशन दिया हुआ है उसका क्या फेट है ? (शोर एवं व्यवधान) 11 तारीख को ओलावृष्टि से फसल को बहुत नुक्सान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपका कालिंग अटैंशन मोशन अभी मिला नहीं है, आप दोबारा से दे देना।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने जमीन अधिग्रहण का जो नया कम्पनसेशन 2014 आर्डिनैंस के थ्रू एनाउंस किया है उसके मुताबिक एन0एच0ए0आई0 द्वारा पलवल और सिरसा जिलों में सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है तथा मुआवजा उसके मुताबिक नहीं दिया जा रहा। इस तरह से 2014 के आर्डिनैंस के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी चैक करवा लें यदि ऐसा हो रहा है तो यह किसानों के साथ बहुत ज्यादती है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक जरुरी बात कहना चाहता हूं कि मैंने एस०सी०, एस0टी0 के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है इसके बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। इस साल से उनको छात्रवृत्ति देने के लिए आधार कार्ड से जुड़ना मैंडेटरी कर दिया है जिसके कारण वे छात्रवृत्ति लेने के लिए 15 तारीख तक फार्म एप्लाई नहीं कर पाये। क्योंकि इस साल फार्म एप्लाई करने की लास्ट तारीख 15 मार्च थी और साथ ही आधार कार्ड मांगा जा रहा था जिसके कारण प्रदेश के एस०सी०, एस०टी० से ताल्लुक रखने वाले करीबन 3500 गरीब छात्र छात्रवृति से वंचित रह गये हैं क्योंकि उनके अभी आधार कार्ड नहीं बने थे। अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया है कि आधार कार्ड लगाना जरूरी नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि उन बच्चों के लिए फार्म एप्लाई करने की डेट बढ़ाई जाए वरना 3500 गरीब बच्चे छात्रवृत्ति के बिना रह जायेंगे और अभी आधार कार्ड की भी छूट दी जाये। यह मेरा कालिंग अटैंशन मोशन था। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस महान सदन की परम्परा रही है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा या किसी मंत्री द्वारा सदन में कोई आश्वासन दिया जाता है तो वह आश्वासन समिति का पार्ट बन जाता है । लेकिन क्या वजह रही कि माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच को आश्वासन समिति का पार्ट नहीं बनाया जाता। अध्यक्ष महोदय, जो बजट स्पीच वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में रखी गई है जिस पर अभी बहस होगी वह प्रदेश को चलाने के लिए बहुत ही अहम चीज है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि बजट स्पीच में जो भी आश्वासन दिए जाते हैं वे भी आश्वासन समिति के पार्ट बनें वरना आश्वासन समिति का बहुत सारा काम जिससे पूरा प्रदेश चलता है वह कम हो जायेगा। पिछले साल 1 मार्च को वर्ष 2014-15 का बजट पेश हुआ उसके अंदर मंत्री जी ने कहा था कि- "I have good news for the employees of the Government of Hryana, PSUs, Local Bodies, Cooperative Institutions, Autonmous Bodies etc. Cash less medical facilities will be implemented from the year 2013-14 to fulfill their expectation." अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जो भी बजट पेश करें उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें जो भी आश्वासन हों वे आश्वासन समिति के पार्ट बनें। इसके लिए हमारे रूल्ज में प्रोविजन किया जाना चाहिए क्योंकि इसको लेकर रूल बिलकुल साईलैंट हैं। माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच में जो आश्वासन होते हैं उनसे बड़ा कोई आश्वासन नहीं हो सकता, इसलिए इनको भी आश्वासन समिति का पार्ट बनाया जाए।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर के प्रबंधकों ने इस मिल को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि वे अगले वर्ष से इस शुगर मिल को बंद करने जा रहे हैं। इससे किसान बहुत ज्यादा भयभीत हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपके द्वारा इस विषय में दिया गया कालिंग अटैंशन मोशन हमने स्वीकार किया हुआ है और उस पर डिस्कशन के लिए हमने 20 मार्च, 2015 का दिन निश्चित किया हुआ है।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : स्पीकर सर, (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रणबीर सिंह जी, आप बैठिए। आपकी पार्टी के ही माननीय सदस्य ने एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है, क्या आप उनको भी अपना कालिंग अटैंशन नहीं पढ़ने ? देंगे जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं वह कालिंग अटैंशन मोशन का विषय भी नहीं है। आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप इस बारे में अपना कालिंग अटैंशन मोशन हमें दे दें, हम उस पर विचार कर लेंगे।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आपको पहले सरस्वती शुगर मिल के इश्यू पर चर्चा करवानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, हमने आपके कालिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार कर लिया है।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, आपने मेरे कालिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार किया हुआ है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि under Rule 57 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly half an hour डिसकशन oral notice के ऊपर हो सकती है अगर इसके ऊपर गवर्नमैंट रिप्लाई देने के लिए तैयार है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। इससे किसान बहुत ज्यादा भयभीत हैं। सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर इतना बड़ा मिल है उसकी मैनेजमैंट ने और उसके मालिकों ने यह घोषणा कर दी है कि यह मिल अगले साल से नहीं चलेगी। इसके लिए या तो सरकार की तरफ से शुगर मिल मैनेजमैंट को आर्थिक मदद दी जाये जिससे वह कम्पनशेट हो या फिर अण्डर डैप्रीशियेशन करके सरकार द्वारा उसको टेक-ओवर किया जाये जिससे इस मामले का कोई न कोई सर्वमान्य हल जल्दी से जल्दी निकले। Under by laws of the Co-operation Department गवर्नमैंट इस शुगर मिल को टेक-ओवर कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जिस विषय पर बात करने के लिए आज का दिन निश्चित किया गया है अगर आप उसके ऊपर आज बात नहीं करने देंगे और बार-बार व्यवधान डालते रहेंगे तो जिस विषय पर आज चर्चा होनी है वह नहीं हो पायेगी।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं इस विषय में आपकी रूलिंग चाहता हूं कि under Rule 57 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly under Rule 57 (1) के तहत इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है या नहीं? यह एक बहुत ही सीरियस मामला है किसानों को उनकी पेमैंट नहीं की गई है और शुगर मिल को बंद करने का भी नोटिस दे दिया गया है। आज तक पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी शुगर मिल के मालिक ने यह कह दिया हो कि मैं शुगर मिल बंद करूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य ने कालिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है वह किसानों को पेमैंट न होने के बारे में दिया हुआ है लेकिन आज यह मुद्दा उससे बढ़ गया है क्योंकि शुगर मिल के मालिकों ने यह कह दिया है कि वे इस शुगर मिल को बंद कर देंगे। इसलिए आप इस विषय पर आज के लिए आधे घंटे की डिस्कशन अलाऊड कर दें। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजट पर सामान्य चर्चा शुरू होनी है और आज इस सदन की दो बैठकें होंगी। इसके लिए पहली बैठक का समय प्रात : 10.00 बजे से दोपहर बाद 01.30 बजे रखा गया है और इसी प्रकार से दूसरी बैठक का समय दोपहर बाद 02.00 बजे से सायं 06.30 बजे तक रखा गया है। इस प्रकार से माननीय सदस्य के दोपहर के भोजन का अवकाश दोपहर बाद 01.30 से दोपहर बाद 02.00 बजे रखा गया है जिसके मुताबिक 30 मिनट का ही भोजनावकाश बनता है। इस सदन के ज्यादातर सदस्य यह चाहते हैं कि भोजनावकाश के समय को 30 मिनट से बढ़ाकर एक घंटा किया जाये जो कि दोपहर बाद 01.30 बजे से दोपहर बाद 02.30 बजे तक हो।

श्री अध्यक्ष : यदि हाऊस की सहमति हो तो भोजनावकाश के समय को दोपहर बाद 01.30 बजे से दोपहर बाद 02.30 बजे तक एक घंटे के लिए निर्धारित कर दिया जाये।

आवाजें : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाऊस की सहमति से भोजनावकाश के समय को दोपहर बाद 01.30 बजे से दोपहर बाद 02.30 बजे तक एक घंटे के लिए निर्धारित किया जाता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब पहले ही फैसला हो चुका है कि 2.00 बजे से 2 :30 तक खाने का समय होगा तो अब इस बात पर दोबारा से विचार क्यों किया जा रहा है?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की तरफ से ही यह सुझाव आया था इसलिए मैंने यह बात हाउस में उठाई है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता तो मैं हूँ इसलिए जो भी फैसला लिया जाये वह मुझसे पूछ कर ही लिया जाये। जो बात मैं कहूँगी वही होगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

बहुत से गांवों के तालाबों में निरन्तर एकत्रित हो रहे गांवों के गंदे पानी से संबंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री परमिन्द्र सिंह ढुल, जसविन्द्र सिंह संधू और प्रो. रविन्द्र बलियाला विधायकों की ओर से हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर गांवों में स्थित तालाबों में लगातार इकट्ठे होते जा रहे गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध न होने के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। श्री परमिन्द्र सिंह ढुल इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रथम हस्ताक्षरी होने के कारण अपनी सूचना पढ़ेंगे और श्री जसविन्द्र सिंह संधू व प्रो. रविन्द्र बलियाला इस विषय के बारे में माननीय मंत्री जी से सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।
(शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान् सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा के गांवों के जोहड़ों में

लगातार गांव का गंदा पानी काफी समय से जमा हो रहा है। गांव के पशु अकसर उन्हीं जोहड़ों से पानी पीते हैं जिसके कारण आज न केवल पशु स्वास्थ्य बल्कि आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गांवों के बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। गांवों की गलियां पानी तथा कीचड़ से भरी रहती हैं जिस कारण जनमानस को वहां आने-जाने में गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। दूषित पानी के कारण बीमारियाँ फैल रही हैं। प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या गांव में बसती है। पानी की निकासी न होने के कारण जन जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। आज इस गम्भीर समस्या से पूरा प्रदेश त्रस्त है।

इस गम्भीर समस्या के मध्यनजर, सरकार को इस महान् सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

वक्तव्य

कृषि मंत्री द्वारा उरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : ठोस व तरल कचरा प्रबंधन वास्तव में हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार इस समस्या के समाधान हेतू प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की शुरूआत की गई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि खुली नालियों पीने के पानी और खाद्य वस्तुओं को दुषित कर सकती है जो विभिन्न बिमारियों जैसे पीलिया व दस्त जैसे रोगों का कारण बनती है। गांवों का गंदा पानी जोहड़ो में इक्ट्ठा हो रहा है जिसमें विभिन्न घरों से आ रहा तरल कचरा मिला होता है जिसे Grey water कहा जाता है। यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है जब कुछ स्थानों पर मानव मल मुख्यता : बच्चों के मल का निपटान खुली नालियों में कर दिया जाता है। इसके इलावा व्यक्तियों द्वारा बनाए गए सेप्टिक टैंक जिनका डिजाइन ठीक न होने के कारण गंदा पानी ऊपर से बह कर खुली नालियों में प्रवेश करता है। इन नालियों के पानी से black water बना देता है जो कि स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।

इस लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का उदेश्य व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से एक व्यापक समाधान उपलब्ध कराना है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत सभी गावों में अक्तुबर, 2019 तक ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन करने का लक्ष्य है जिस हेतू 915 करोड़ रुपये की कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। हमारा प्रयास है जल निकाय की प्रभावी प्रणाली के माध्यम से घरों से अपशिष्ट जल को इक्ट्ठा व ससोंधित करना ताकि पुन : इस्तेमाल किया जा सके। प्रत्येक गांव की जनसंख्या, भौतिक स्थिति, तालाबों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अपशिष्ट जल का पूर्ण समाधान, जिसमें पानी को दोबारा खेती बाड़ी व पशुओं को उपलब्ध कराने के लिए इस प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। तालाबों में साफ पानी जरूरत के अनुसार सिंचाई विभाग की मदद से प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में विशेष इंतजाम किए जा रहे है। इसी प्रकार तालाबों के अतिरिक्त पानी के मामले में जब यह कृषि या किसी अन्य उदेश्य के लिए आवश्यक नहीं होगा तब उपयुक्त तरीकों से इसे बाहर निकास के लिए प्रयास किये जाएगें।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

वर्तमान में गंदे पानी के उपचार व पुंन : प्रयोग हेतू गंदा पानी स्थिरीकरण पॉन्डस (3 तलाब, अवायवी तालाब, 10 फीट गहरा, ऐच्छिक तालाब-5 फीट गहरा, परिपक्वता तालाब-5 फीट गहरा) प्रणाली अपनाई जा रही है। यह प्रणाली 15 गांवों में काफी मात्रा तक BOD/COD स्तर को कम करने में सफल रही है।

राज्य सरकार तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त तरीकों और प्रौद्योगिकियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। तरल कचरा प्रबंधन हेतू अपनाये गये तरीको का मुख्य ध्यान ऐसे पानी का अधिनियम उपयोग कृषि उदेश्यों के लिए करना है, जिसके रख रखाव पर कम से कम लागत हो। गंदे पानी के संग्रहण हेतू कम लागत की नालिया,छोटी बौर प्रणाली व सोखते गढढे जैसे तरीके अपनाये जा रहे है। गंदे पानी के उपचार हेतू प्राद्योगिकि जैसे कि Waste Stabilization pond (WSP) technology, Phyto rid Technology (developed by NEERI), Anaerobic decentralized waste water treatment परखी जा रही है।

इसके इलावा जो जोहड़ आबादी के अंदर है और जिन्हें आबादी के बाहर नहीं ले जाया जा सकता उनके लिए गंदे पानी के उपचार हेतू अच्छे विकल्प की प्रोद्योगिकियों की पहचान की जायेगी। इनमें से कुछ प्रोद्योगिकियां जिनमें वनस्पति प्रदार्थ तथा जैविक रसायन प्रयोग किये जाते है, का अध्यन किया गया है तथा उनकी परख के लिए 6 गांवों में प्रयोगिक परियोजना लगाई जाएगी।

प्रोद्योगिकियों की उपयुक्तता, व्यवहार्यता, लागत और पानी के पुन : प्रयोग बारे तकनीकी कमेटियां, जिसमें कार्यकारी अभियंता पंचायती राज, कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक की विभाग, कार्यकारी अभियंता जल सेवा व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड शामिल हैं से रिपोर्ट ली जायेगी। इस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका जारी कर दी गयी है। जो भी उपयुक्त प्रोद्योगिकी होगी उसे पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा।

राज्य सरकार ठोस कचरा प्रबंधन हेतू भी विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकी अपनाने बारे प्रतिबंध है। 50 से अधिक ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाए जिला कुरुक्षेत्र और भिवानी में स्थापित व जांची गई है। ठोस कचरा प्रबंधन के संग्रह, अलगाव और घरेलू कचरे से सुरक्षित निपटान, घरेलू खाद ओर बायोगैस संयंत्रों जैसे विकेन्द्रीकृत प्रणालियां विभिन्न अंग है। खाद के रूप मे जैविक ठोस कचरे का अधिकतम प्रयोग प्रणालियों को अपनाया जाएगा। इस तरह की तकनीको में वर्मी खाद व किसी अन्य खाद विधि, व्यक्तिगत और सामुदायिक बायोगैस संयंत्र शामिल हो सकते है। प्रोद्योगिकी जिसमें उपयुक्त विकल्प जोकि सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पर्यावरण की दृष्टी से सुरक्षित हो पंचायतों द्वारा विकसित की जाएगी व विभाग की तकनीकि सहायता से रख-रखाव करेगी। जिलों को व्यवहार्य और रख-रखाव मुक्त माडल विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान एस0एस0एस0सी0 द्वारा कुल 487 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाए अनुमोदित की गई है। निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत इन प्रयोजनाओं के लिए 69.62 करोड़ रुपये मंजूर किये गये है। वर्ष 2015-16 के लिए कुल 1472 ठोस व तरल कचरा प्रबंधन कि परियोजनाए जिनकी लागत 214 करोड़ रुपये है प्रस्तावित है।

सभी उपायुक्तों व अतिरिक्त उपायुक्तों को 1472 ग्राम पंचायतें जो वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित है, की पहचान करने बारे दिनांक 4-3-2015 को निर्देश जारी कर दिये गये है। प्रथम चरण में उन गांवों को वरियता दी जाएगी जिनमें जोहड़ आबादी के बाहर है, तथा कम से कम नालियों/निर्माण की जरुरत हो।

उपरोक्त सभी प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक लोग अपने व अपने पशुओं के स्वास्थ्य बारे साफ वातावरण के रख रखाव संबंधी महत्वता को महसूस नहीं करते। लोगों में जागरुकता व उनकी मानसिकता को बदलाना स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का मुख्य घटक है। इस मिशन के तहत सामुदाय के सहयोग से विस्तृत जानकारी, शिक्षा एवं संचार अभियान चलाया जाना प्रसातावित है। यह कार्यक्रम स्थानीय नेतृत्व की समर्थता सृजन की मांग करता है ताकि गांवों को अभिनव समाधान प्रदान करके तथा सृजित प्रणाली का संचालन व रख रखाव सफलता पूर्वक किया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि गांव में रह रहे लोग व ग्राम पंचायत मामले को गंभीरता से महसूस करें और स्थापित की गई प्रणाली को अपनाये।

यद्यपि राज्य सरकार गांवों में ठोस व तरल कुड़ा प्रबंधन तंत्र के व्यापक समाधान हेतू सभी संभव कदम उठा रही हैं। फिर भी यहां पर कुछ चुनौतिया है जैसे आबादी क्षेत्र में स्थित तालाबों से पानी बाहर ले जाना, शोधित जल की बी0ओ0डी0 की मात्रा निर्धारित स्तर तक कायम रखना व बरसात के मौसम में जल सैलाब आना तथा गांव के नजदीक निकासी का प्रबंध न होना। इस परियोजना का स्थाईत्व भी एक मुद्दा है क्योंकि इनका रख-रखाव पंचायतों द्वारा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त लोगों की मानसिकता को बदलना भी मुख्य चुनौती है। हम माननीय विधानसभा सदस्य के कृत्यज्ञ है कि जिन्होंने लोगों, बच्चों व पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित इस सार्वजनिक महत्वपूर्ण मामले को उठाया है। लोगों को गंदे पानी, मानव मल का खुली नालियों में बहाव व कुड़े का खुले में डालने के खतरों के बारे में जागरुक करना होगा। उन्हें व्यक्तिगत शौचालय बनाने जो पर्यावरणीय सुरक्षित हो व उसके प्रयोग बारे सक्रिय होना चाहिए। लोगों को कचरे के अलगाव व उचित निपटान और जहां तक सम्भव हो सके जोहड़ो के पानी को साफ रखना चाहिए। यहां मैं स्वीकार करना चाहुंगा कि माननीय विधानसभा सदस्यों के सहयोग के बगैर यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने माननीय सहयोगियों से लोगों को गंदे पानी की समस्या व उसकी रोकथाम बारे जागरुक करने व स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन को सफल मिशन बनाने में सरकार की सहायता के लिए अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री जसविन्द्र सिंह संधू, तथा प्रो. रविन्द्र बलियाला विधायकों तथा अन्य सदस्यों की भी चिन्ता इसमें है। मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करूँगा कि जिस विषय की ओर उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह वास्तव में ऐसा मसला है जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी। जब वर्षों पहले हमने अपने जीने के तौर-तरीके बदले और नई सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया तो उसके साथ-साथ उनके निपटान के सिस्टम भी हमको खड़े करने चाहिएं थे। जब घर-घर तक पीने के पानी को पहुंचाने के लिए वॉटर सप्लाई का सिस्टम आया तब से यह समस्या पैदा हुई है। इससे पहले हमारी स्थितियाँ ऐसी थी कि हम केवल 2-3 घड़े पानी ही घरों में लेकर आते थे और वह पानी सामान्यत: पीने के

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

लिए ही उपयोग होता था। जो थोड़ा बहुत पानी दूसरे कार्यों में उपयोग में लाया जाता था वह वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता था और हमारी गलियाँ बिना नालियों के भी सूखी तथा साफ-सुथरी रहती थी। पहले ज्यादातर पुरूष नहाने-धोने के लिए तालाबों और कुंओं पर जाते थे। इसी प्रकार से ज्यादातर कपड़े धोने का काम भी गांव से बाहर होता था और महिलाएं जोहड़, नहर तथा कुंओं पर जा कर कपड़े धो लेती थी। जब से यह वॉटर सप्लाई का सिस्टम शुरू हुआ है और घर-घर में जब पानी पहुंचा तब से पानी का उपयोग भी बढ़ा है। जिस प्रकार से आज प्रति व्यक्ति 50 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसके साथ-साथ उस पानी की निकासी का सिस्टम भी शुरू होना चाहिए था जो कि नहीं हो पाया। आजकल तो भैंसों को नहलाने का काम भी घर के बाहर ही हो जाता है जिसके कारण बहुत सारे गांवों में कीचड़ जमा हो जाता है। उसके साथ ही साथ कई तरह के कैमिकल आज नहाने और कपड़े धोने में इस्तेमाल होने लगे हैं जिसके कारण कैमिकल का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कुछ रास्तों से अगर खेतों का पानी भी आया तो आजकल खेतों में भी जिस प्रकार के कैमिकल यूज होते हैं वे सब भी पानी के साथ आने शुरू हो गये और माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पानी काफी बड़ी मात्रा में प्रदूषित हो गया है जो जनमानस और पशुओं के पीने के लायक नहीं रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियाँ उसमें से उत्पन्न हुई हैं यह बिल्कुल तथ्य है और इसी कारण से मैं कहूँगा कि बहुत सारी बीमारियाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पनप रही है और इसका समाधान अत्यन्त आवश्यक है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री का जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चला कर पूरे देश, हमारे प्रदेश और सब लोगों का ध्यान इस विषय की ओर खींचा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी तीव्रता के साथ हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस विषय पर काम करना प्रारम्भ किया है और उस काम के तीन हिस्से हैं अधिक से अधिक मात्रा में व्यक्तिगत शौचालय बनाए जाना और जो सोलिड वेस्ट है उसके निपटान की कोई न कोई व्यवस्था खड़ी करना और इसमें जो सबसे चेलेंजिज है जिसकी तरफ आज सदन का ध्यान खींचा गया है वह लिकविड वेस्ट मैनेजमैंट है। इसके लिए कई सारे प्रयोग सुझाए गये हैं और उन प्रयोगों में से 6 स्थानों पर 3 प्रयोगों को पायलेट तौर पर हमने स्वीकार किया है। मोटे तौर पर इसका शुद्धिकरण का जो तरीका है वह तालाब बनाकर किया जाता है। उसके तालाब का एक हिस्सा ज्यादा गहरा बनाया जाता है जिसके अन्दर जो सोलिड कचरा होता है वह नीचे जम जाता है। फिर उस पानी को उथले तालाब में लाया जाता है। उसमें ऊपर की हवा से, प्रकाश संश्लेषण से, पेड़ पौधों से, कुछ शुद्धिकरण होता है। उसके बाद पानी को फिर तीसरे तालाब में लाया जाता है ताकि पानी में अधिक शुद्धिकरण आ जाए। ये दोनों ही तालाब उथले होते हैं। अब टैक्नोलोजी बढ गई हैं जिसके के कारण से तीन की जगह पांच तालाब बनाए जाएंगे ताकि सोलिड वेस्ट की पूरी तरह से शुद्धिकरण हो सके। पहले दो तालाब इसलिए किए थे कि अगर एक में नीचे का सोलिड बेस्ट ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरे में पानी शुरू किया जा सके और काम रूके नहीं। उसके साथ-साथ वैज्ञानिकों ने और अच्छी टैक्नोलोजी दी हैं कि कुछ स्थानों पर खस-खस के पौधे खड़े कर दिए है और इन तालाबों में से निकलने वाले पानी को इन पौधों की जड़ों में से गुजारते हैं तो शुद्धिकरण का लेवल और ज्यादा अच्छा हो जाता है। कुछ ऐसे बैक्टिरिया भी खोजे गये हैं कि अगर उन बैक्टिरियाज को उन तालाबों मे डालते हैं तो शुद्ध करने की जो क्रिया है वह ओर भी तेज हो जाती है। उससे आगे जाकर कुछ ऐसे उत्प्रेरक केटेलिस्ट भी खोजे गये हैं जो नैच्यूरल

प्रेसैस हैं जो उनको तेजी में ला देते हैं। जैसे मैंने कहा तीन प्रकार की हमारा विभाग 6 स्थानों पर अलग-अलग टैक्नोलोजीज को अपनाते हुए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मोखरा रोहतक में पलड़ा झज्जर में इस प्रकार के तालाब हमने बनवाए हैं। इसी प्रकार करनाल के बसताड़ा जड़ौली, सिरसी और जुडंला ऐसे तालाब बनवाए हैं। जिनमें हम अलग-अलग तीन टैक्नोलोजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं।15 स्थान अभी ऐसे हैं जिन पर हमारा सिम्पल तालाब बनाने का थ्री पौंड सिस्टम था वह खड़ा हो गया है और उसमें हम काफी सफलता देख रहे हैं। निर्सिंग, इन्द्री, घरौडा, करनाल, असन्ध, नीलोखेड़ी, आदमपुर, हिसार के बड़े ब्राह्मना, पुण्डरी, महेंद्रगढ़ के रिवासा, नारनौल, और सांपला के भैंसरू कलां में। एक-एक तालाब इस प्रकार बना चुके हैं और उनकी सफलता भी काफी मात्रा में हमें मिली है। हमारा जो वर्ष 2014-15 का बजट था उसमें 487 स्थानों पर इसकी मंजूरी दी हुई है और उन पर काम शुरू हो रहा है। आने वाले वर्ष में 1472 स्थानों पर ठोस और तरल कचरा प्रबन्धन के लिए 214 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गये हैं। मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है वह बहुत वाजिब है। हमारा मानना है कि बहुत तेजी के साथ इस विषय पर आगे बढ़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक जांच के आधार पर कि किसी भी पानी में बायोकैमिकल्स का लेवल क्या है और जो दूसरे कैमिकल्स हैं उनका लेवल क्या है ? वह पानी मनुष्य व पशुओं के उपयोग के लिए है या नहीं है, नहरों में छोड़ने के लायक है या नहीं है, किसी सामान्य उपयोग के लिए जोहड़ में छोड़ने के लायक है या नहीं है। उन सबकी जांच के लिए भी सिस्टम बनाऐ रहे हैं कि उस पानी की पी.एच. वैल्यू क्या है उस पानी की। उस पानी की बी.ओ.डी. लेवल क्या है ? इसका सी.ओ.डी. लेवल क्या है ? उस तरह के भी सब वैज्ञानिक जांच के लिए सांकेतिक मानक पैमाने तैयार किए जा रहे हैं कि जिस आधार पर यह तय हो सके कि वह पानी किस जगह पर प्रयोग करने के लायक है। मेरे बचपन की याद है और मेरी उम्र से जो बड़े लोग हैं उनको तो अवश्य याद होगा कि पहले हमारे गांवों का पानी ठीक होता था और बचपन में हम जोहड़ में कुर्ते से छानकर पानी पी लेते थे और किसी भी प्रकार की बीमारी के शिकार नहीं होते थे उस समय किसी ने सोचा भी नही था कि आने वाले समय में पानी का इतना बड़ा बिजनैस हो जायेगा, और इतनी बड़ी मात्रा में बोटल्ड वाटर यह पूरे देश में और प्रदेश में सप्लाई होगा उससे लोग लाभ उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से नहरों या जोहड़ों में पशुओं के पीने लायक और खेती लायक पानी है या नहीं है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पानी पौधों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। पौधे भी जीवंत होते हैं। पौधों के स्वास्थ्य की दृष्टि से और पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से इस रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसकी जानकारी काफी विस्तार से दी। कुछ परियोजनाओं के द्वारा गाँवों में पौंड सिस्टम चलाया है। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी वहाँ पर अच्छी तरह से देखकर नहीं आये। मंत्री जी को वहाँ की वास्तविकता का पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी ने जो मेहनत की है उनका वह कनसेप्ट फेल हो गया है। अध्यक्ष महोदय रास्ते में जेठाना गाँव आता है उस गाँव में भी तीन पौंड सिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पर आये दिन कचरा इक्ट्ठा होता रहा और उस वजह से कठिनाई आई। अध्यक्ष महोदय, जो लगातार दूषित पानी आ रहा है उस पानी को किसान अपने खेत में नहीं लगायेगा। जब तक गाँव में पानी एक तरफ डालकर चाहे पानी के लेवल

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

के लिए जोहड़ खुदवायें या जोहड़ों को चिन्हित करें कि खराब पानी किस जोहड़ में जायेगा और साफ पानी कहाँ से रिजार्च होगा। किसान दूषित पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यदि किसानों को खेती के लिए साफ पानी मिलेगा तो वह हाथों हाथ पानी लेने के लिए तैयार हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात तो बता सकता हूँ मैं समझता हूँ कि यह समस्या पूरे हरियाणा में भी है। अध्यक्ष महोदय, जो वह प्रोडक्शन स्ट्रेस के बढने से हुई है। मैं कॉलिंग अटैंशन मोशन देने के बाद घर चला गया था। मैंने टी.वी. पर तहलका चैनल लगाया। उसमें एक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि गाय गंदा पानी पी ले तो जो गाय पहले 40 लीटर दूध देती। है तो उसके दूध का उत्पादन घटकर 15 लिटर हो जायेगा अध्यक्ष महोदय, सेलेनियम के जहर से चमड़ी के रोग हो जाते हैं पेट में कीड़े भी लग जाते हैं। इस प्रकार से लोगों को अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। आज हरियाणा प्रदेश में दूध की क्वालिटी में फर्क आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देहातों में पुराने समय में दूध बहुत अच्छा मिलता था लेकिन 1963 के अंदर जो दूध की वैल्यू 100 प्रतिशत थी और आज घटकर वह 63 प्रतिशत लोस हो चूकी है। अध्यक्ष महोदय, इसका मेन कारण दूषित पर्यावरण का होना है जिससे दूध के द्वारा पशुओं की बीमारियाँ आदिमयों में ट्रांसफर हो गई। मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में इसका सबसे बड़ा कारण देहात में कुपोषण का है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर खासतौर पर हमारे जिले में या दूसरे जिले जो आसपास लगते हैं जैसे ही वहां पर पीने के पानी की सप्लाई आती है तो पानी के नल लगातार खुले चलते रहते हैं इसके कारण पीने का पानी वेस्ट हो जाता है और वही पानी इकट्ठा होकर के तालाबों से ऑवर फ्लो हो जाता है। लोगों ने अपने घर में सब मर्सीबल ट्यूबवैल लगाए हुए हैं और जिसका बटन हमेशा ही ऑन रहता है। जिस टाईम बिजली आती है तो वे सब-मर्सीबल ट्यूबवैल 6 या 7 घंटे तक लगातार चलते रहने से एक नाली का रूप ले लेता है और पानी गाँव से बाहर आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसी योजना बनाई जाये जिससे गंदा पानी इक्ट्ठा होकर के एक तरफ चला जाये। आज पूरे हरियाणा के अंदर खासकर मेरे हल्के किला जफरगढ़ के अंदर तालाबों में पिछले10 साल से एक भी बूंद पानी की नहीं आई हैं । अध्यक्ष महोदय, आज आप वहाँ पर जाकर चैक करवा सकते हैं। लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों तालाब ऐसे हैं जिनमें गंदा पानी भरा हुआ है, वह पीने लायक नहीं है और वे नहरी पानी से भी रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का समाधान पता नहीं किस प्रकार से होगा यह एक अत्यंत ही गंभीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस पर ब्यान दिया है। इस ब्यान के साथ-साथ मंत्री जी की प्रतिबद्धता भी चाहिए ताकि इस गाँव को उचित वातावरण मिल सके। इतने सालों की आजादी के बाद भी यह समस्या ज्यों की त्यों हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने देहातों को अच्छा बनाने के लिए एक सपना संजोया देहातो को था शहरों की ओर ले जाने का। अध्यक्ष महोदय, आज सब इसके उल्टा हो चुका है। इसमें आपकी प्रतिबद्धता चाहिए और मैं समझता हूँ कि पायलट प्रोजैक्ट के बिना यह काम संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मंत्री जी ने बहुत लम्बा उत्तर दिया। जब तक इसमें आपकी प्रतिबद्धता और पायलट प्रोजैक्ट का जिक्र नहीं आयेगा तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि सन् 2019 तक यह प्रोजैक्ट पूरा कर दिया जायेगा। लोगों को त्रस्त होते काफी साल हो चुके हैं और ऊपर से आपने इसमें 5 साल का समय और बढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, आने वाले 5 साल में तो और भी बर्बाद हो जायेंगे । आज जितनी समस्या है वह 5 साल में 5 गुणी हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि इसके लिये निश्चित समय अवधि जो जल्दी से जल्दी हो सके उसे लागू करें इन विभागों के सारे स्टाफ को इसमे शामिल करे। और पब्लिक हैल्थ विभाग भी शामिल है, इन विभागों के सारे स्टॉफ को इसमें शामिल करें क्योंकि सारे महकमे हैं उन सारे महकमों का काम है। आज इसके अन्दर सिंचाई विभाग और हैल्थ विभाग भी शामिल है मंत्री जी जिसको आप पी.एच. वैल्यू कह रहे थे वह पी.एच.वैल्यू तो पब्लिक हैल्थ विभाग जो पानी सप्लाई कर रहा है, उसकी ठीक नहीं है। मेरे हल्के के गांव मतौली में करोड़ों रुपये की लागत से बुस्टर बनाये गये हैं और पानी के टैंक बनाये गये हैं, अगर वहां का पी.एच.वैल्यू देखेंगे तो पानी पीने लायक भी नहीं है। सारा का सारा यह जो गंदा पानी रिचार्ज हो रहा है, यह बड़ी भारी समस्या है। दूसरा आपने गांव के अन्दर टैंक बनाने का निर्णय लिया है ये टैंक ओपन बनाए जाएंगे और इनका वेस्ट पानी कहीं और नहीं जायेगा बल्कि इसी गांव के तालाब में शामिल होगा जो वास्तविकता आज है वही इन ओपन टैंक्स के बनने के बाद भी रहेगी क्योंकि ये टैंक ओवर फलों होंगे और वह पानी गांव की गलियों में होता हुआ तालाब में जाकर इक्ट्ठा होगा इस तरह के सेफटी टैंक हमारे इलाके के लिये ठीक नहीं हैं। सरकार को इस बारे में पहले पूरी स्टडी करनी चाहिए जल्द बाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह देखें की इससे कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बात तो मानेंगे कि ये सेफ्टी टैंक ओपन बनाये जाएंगे तथा एक सेफ्टी टैंक दूसरे में और दूसरे सेफ्टी टैंक से तीसरे सैफ्टी टैंक में पानी जाएगा लेकिन उनका मल निकालने का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। पानी ओवर फलो होने के बाद गांव के तालाबों में ही जायेगा, यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में स्पष्ट जवाब चाहूंगा कि इस बारे में कोई स्पष्ट योजना बनाई जाए ताकि गांवों में किसी तरह की दिक्कत न रहे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से वाकिफ हूँ और इस प्रकार के विषय में पॉलिटिक्ल विंग की प्रतिबद्धता की बात माननीय सदस्य ने कही है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य की दोनों बातें सराहनीय है। प्रगति के रास्ते के बारे में एक बात कही गई है। मैं एक कहानी के रूप में बताना चाहता हूँ यह कहानी कम्प्यूटर साईंटिस्ट ने किसी सेमिनार में कही थी। हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं यह रास्ता अभिशाप वरदान का है। एक बरसात की रात थी और एक परिवार शाम के समय भोजन कर रहा था तभी एक दरवाजा किसी ने खटखटाया। घर के सदस्य ने दरवाजा खोला और देखा एक अजनबी लम्बा सा कोट पहने हुए था। परिवार के सदस्यों ने घर के अन्दर बुलाया उस आदमी ने कहा बरसात की रात है क्या आपके साथ ठहर सकता हूँ ? परिवार के सदस्यों ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आईये और ठहरिये। अध्यक्ष महोदय, उसको जब भोजन परोसा गया तब देखा की उसकी जेब में मरे हुए बंदर का पंजा था। परिवार के सदस्यों ने जिज्ञासा पूर्वक पूछ ही लिया है कि आपके पास यह क्या है, आदमी ने कहा कि यह मरे हुए बंदर का पंजा है, जो अभीशप्त है, लेकिन यह आदमी की इच्छा को पूरी करता है। अध्यक्ष महोदय, घर के अन्दर एक बुजुर्ग, एक नौजवान दम्पति और एक बच्चा था । रात को उस आदमी को सोने को कह दिया गया । अध्यक्ष महोदय, अगले दिन सुबह आदमी अपनी ड्यूटी पर गया, पत्नी अपनी नौकरी पर गई और बच्चा स्कूल में गया, इस प्रकार बुजुर्ग अकेला घर पर रह गया । बुजुर्ग के मन में एक विचार था कि किसी जगह वह तीन सौ पौंड खर्च करना चाहता था, लेकिन अपने बेटो से मांगने में संकोच कर रहा था । बुजुर्ग ने सोचा की क्यों न मैं उस आदमी से पंजा मांग लूं,

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाये। बुजुर्ग ने उस आदमी से कहा कि क्या आप यह पंजा मुझे दे सकते हो, जिससे मेरी इच्छा पूरी हो जाये। आदमी ने कहा क्यों नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ, इस प्रकार आदमी ने बुजुर्ग को पंजा दे दिया। पंजा लेने के बाद बुजुर्ग ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे तीन सौ पौंड मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, दोपहर के बाद एक आदमी ने घर की घंटी बजाई और आदमी ने बुजुर्ग को तीन सौ पौंड नकद देते हुए कहा कि यह पौंड आपके लिये है। अध्यक्ष महोदय, पौंड देने वाला आदमी आँख नहीं उठा रहा था, उसकी नजर झुकी हुई थी और उस आदमी ने कहा कि आप यहां पर दस्तख्त कर दें। आखिरीकार उस बुजुर्ग ने पूछ ही लिया कि ये तीन सौ पौंड कहां से आये हैं ? आदमी ने कहा कि फैक्टरी में किसी दुर्घटना में तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो गई है, कम्पनी ने दाह संस्कार के लिये भेजे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जिन पर हम प्रगति के रास्ते पर तो आगे बढ़े हैं लेकिन अपने लिये बहुत सी समस्याएं भी खड़ी कर ली है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पशुओं को बिनौला खिलाने की बहुत जबरदस्त आदत है और हम मानते थे कि बिनौला खिलाने से दूध से अच्छा घी निकलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में से 95 प्रतिशत से भी ज्यादा देसी बिनौला खत्म हो गया और बी.टी. कॉटन आ गया है और यह बी0टी0 कॉटन जैनेटिकल मॉडीफाइड सीड है इसमें बी0टी0 का जीन डाला गया है जिस कारण यह सुंडी को मारता है । मैनसेंटो कम्पनी ने दुनिया भर में कहीं पर भी यह स्टडी नहीं कराई कि इस बिनौला से हमारे पशुओं और हमारी सेहत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण आज पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो गया है और जिसका मैनसेंटो कम्पनी ने कोई भी अध्ययन नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, बाजार के कारण, व्यापार के कारण और कम्पनियों के कारण हालात बदलते रहते है। लेकिन उनके अध्ययन सामने नहीं आते हैं। हम कैसे-कैसे पैस्टीसाइड्स यूज कर रहे है और उनके क्या-क्या परिणाम हो रहे है। नहाने के सामान में क्या-क्या कैमिकल प्रयोग हो रहे है, उनके क्या-क्या परिणाम हो रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने एक गम्भीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं डुल साहब को बताना चाहता हूं कि मैंने पूरे विभाग को लगा कर इस विषय का बहुत बारिकी के साथ अध्यन किया है। विभाग ने पानी के तीसरे टैंक से पाचवें टैंक पर जाने का सिस्टम प्योरीफिकेशन लाने के लिए ही किया है। उसकी किट वहीं पर अवेलेबल कर रहे हैं। यह ऐसा सिस्टम है जिससे पानी की अपेक्षा सिर्फ शिल्ट निकलेगा। इससे पानी साफ होने के लिए दूसरे टैंक में जाएगा फिर तीसरे टैंक में जाएगा और उसके बाद पांचवें टैंक में जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही यह लेवल सही माना जाएगा। इसका बी.ओ.डी. का लेवल मनुष्यों के लिए 0 होता है, पशुओं के लिए 30 होता है और खेती के लिए 100 होता है। जब वे बी.ओ.डी. के लेवल को सुनिश्चित करेंगे कि अब यह पशुओं के लिए ठीक है तभी हम इसे जोहड़ में छोड़ेंगे। यह सिंचाई के लिए भी उसी प्रकार से उपयोग होगा। हालांकि मैंने सभी स्थानों पर जाकर इसको स्वयं नहीं देखा है। लेकिन मेरे सामने कुछ चित्र प्रस्तुत किये गए हैं और वे चित्र हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जहां पर ये टैंक बने हैं वहां पर बहुत सुन्दर पार्क भी बनाए गए हैं। उसके साथ-साथ वहां एक सुन्दर दृश्य दिखाई देता है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पानी की क्वालिटी की जांच के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही पर्याप्त नहीं है। उस इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ एक व्यक्ति पानी की क्वालिटी की जांच के लिए भी अवेलेबल करना होगा जो यह सुनिश्चित करे कि अब पानी दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में जाने योग्य हो गया है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मानव के स्वास्थ्य से बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं है। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सब सैट करने में कितने वर्ष लगेंगे? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि विभाग के पास वर्ष 2014-15 के दौरान 487 ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 69.62 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित है और वर्ष 2015-16 के दौरान 1472 परियोजनाओं के लिए 214 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित है। सरकार के समक्ष विकास के लिए बहुत से विषय होते हैं और किसी एक विषय पर ही सारा फोकस नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। मैंने यह जानकारी पूरे सदन के साथ सांझा की है और मैं इस माननीय सदस्य द्वारा रखे गए इस विषय पर सदन के सब साथियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

प्रो० रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य से मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि यह विभाग एक रिसर्च और अनुसंधान की तरफ बढ़ रहा है । इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी लम्बा समय लगेगा । हमने इस कॉलिंग अटैनशन मोशन में बताया है कि तालाबों के पोल्यूटिड वॉटर से आदमी बीमार हो रहे हैं और जो पशु इस पानी को पीते हैं वे भी बीमार हो रहे हैं और इन पशुओं का दूध पीने से इसका दुष्प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है और वे भी बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब तक तालाब न बन जाए तब तक आप जो मौजूदा तालाब है किसी तरह से उन्हीं का जीर्णोद्धार करें। उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लाएं इसके अंदर कोई न कोई साधन तैयार किया जाए। ऐसा समझा जाए कि पानी की रिसाईकलिंग साल में कम से कम तीन बार तो अवश्य हो और पहले वाले पानी को निकालने का कोई प्रबन्ध किया जाए। इसके साथ-साथ ही उन जोहड़ों को चाहे स्पेशल ट्यूबवैल्ज लगाकर स्वच्छ पानी से भरने का काम भी किया जाए। उन जोहड़ों का गन्दा पानी बाहर निकालने का भी प्रबन्ध सरकार द्वारा जल्द से जल्द किया जाए। इसके साथ-साथ The people who are living on the bank of these polluted ponds they are more vulnerable to their health hazards disease. एक सर्वे प्लान बनाकर उनके लिए भी कोई न कोई हैल्थ एश्योरैंस स्कीम अवश्य बनाई जाए। उन लोगों की हैल्थ काफी प्रभावित हो चुकी हैं ताकि आस पास के दूसरे लोगों में बीमारी न फैल सके। पूरे हरियाणा में कई गाँवों में ऐसे भी तालाब हैं जहां पर बाउंडरी वॉल भी नहीं बनी हुई हैं जिसके कारण कई हादसे भी हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध और मांग करना चाहूंगा कि ऐसे तालाबों की रिटेनिंग वॉल जल्दी से जल्दी बनवाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी तरह की दुर्घटनाएं न होने पायें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि पांच पौंड बनाने का कान्सप्ट नहीं लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे भी गांव हैं जहां पर आबादी ज्यादा है और उन गॉवों में जोहड़ों के लिए पंचायत की अपनी जमीन नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन गांवों में जोहड़ों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार उन गांवों में जमीन लेकर पौण्ड खुदवाने का काम करेगी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मेवात जिले में जो तालाब हैं उनको गुड़गांव कैनाल से रिचार्ज किया जा रहा है जिसका बी.ओ.टी. लेवल 70 से भी ज्यादा है किस प्रकार से वे जोहड़ ठीक किये जायेंगे। इसी प्रकार दूसरी जगहों पर भी यही हाल है।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : मान्यवर, यह मामला कई विभागों से जुड़ा हुआ है उनमें से कुछ विभाग मेरे पास हैं इसलिए मुझे इसका जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने नहरी विभाग से इस मामले पर चर्चा की है और विभाग ने यह तय किया है कि हरियाणा के औसत गांवों के तीन चार जोहड़ों की दशा को ठीक करने का प्रयास करेंगे। मैं हर गांव के बारे में तो नहीं कह रहा। हमारे गांवों की टोपोग्राफी ऐसी है कि जोहड़ गाँव के एक किनारे पर ही होता है। हमारे बुजुर्ग बहुत होशियार थे उन्होंने गांवों को ऐसी जगह पर बसाया था जहां पानी नहीं ठहर सकता था। गाँव के बीच वाली जगह जो गाँव का सैंटर होता था वह जगह सबसे ऊंची होती थी। लेकिन ज्यादा समझ के कारण और आबादी ज्यादा होने के कारण हम जोहड़ों के किनारे बसने लग गये हैं। जनसंख्या के दवाब के कारण और हमने अपनी समझ पर भी भरोसा किया और व्यवस्थित विकास की सोच भी हमने नहीं अपनाई इसलिए हर गाँव की टोपोग्राफी के हिसाब से विभाग यह अध्ययन कर रहा है कि क्या पूरे गाँव के लिक्विड वेस्ट को एक ही जोहड़ में लाया जा सकता है। जो भी काम हमने करना है वह उन्हीं जोहड़ों में करना है जो प्रस्तुत हैं। उसी जोहड़ के ही हिस्से करने हैं, उसी जोहड़ की एक्सटैंशन करनी है। जो टैंक बनाने की बात है वह उसी जोहड़ की इंट्री पर बनाने की बात है। अगर इस काम के लिए दो जोहड़ इस्तेमाल में होते हैं तो यह भी देखना पड़ेगा कि वहां पर दो बनाने हैं या एक ही बनाना है। फिर किसी दूसरे सिस्टम से या किसी खुली या बन्द पाइप से उस लिक्विड वेस्ट को जोहड़ तक लाया जाए और उसके बाद जो बाकी के जोहड़ हैं उनमें नहर का स्वच्छ पानी भरते हुए उस गाँव में कम से कम एक जोहड़ ताजा पानी के लिए जीवंत रखना पड़ेगा ताकि वह जोहड़ पशुओं के पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके ऐसा करना बहुत जरूरी है। यह बात मैंने अपने ग्रामीण विकास मंत्रालय और नहरी विभाग तथा दूसरे विभागों के अधिकारियों को एक साथ बैठाकर की है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे जोहड़ इस एक जोहड़ के अलावा बचते हैं उनको हम खेतों में 100 या 200 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए आसपास के गाँवों के लोगों की समिति बनाकर उन जोहड़ों को और ज्यादा गहरा खुदवायेंगे ताकि जब बरसात के दिनों में हमारे पास सरप्लस पानी होता है उस पानी को हम उन जोहड़ों में स्टोर कर सकें। अभी इन दिनों में भी जब पानी सरप्लस नहीं होता था तो वह पानी परमात्मा ने सरप्लस कर दिया। अभी हमारा सिंचाई विभाग कह रहा है कि किसी को भी जोहड़ भरने के लिए पानी चाहिए तो वे पानी दे सकते हैं। सिंचाई विभाग ने पंचायत विभाग को यह लिखकर दे दिया है कि आप जोहड़ भरवाईये। जहां-जहां जोहड़ भरवाने की जरूरत है, इस समय हमारे पास खूब सरप्लस पानी है तथा जहां-जहां जोहड़ भरवाने की मांग आयेगी, हम पानी से जोहड़ भर सकते हैं। प्रकृति में जहां कहीं एक तरफ नुक्सान होता है वहीं दूसरी तरफ कुछ प्लस भी होता है। खेतों की सिंचाई के लिए और रिचार्जिंग के लिए जोहड़ों को भरकर रखना यह एक पक्ष है, पशुधन के लिए किसी एक-आध जोहड़ को ताजे पानी से भरकर रखना यह दूसरा पक्ष है और वेस्ट मैनेजमैंट के लिए गाँव की टॉपोग्राफी के हिसाब, जोहड़ों का उपयोग करना यह अलग विषय है। हम इन सब कार्यों की अलग-अलग तरीके से प्लानिंग करेंगे। एक बात यहां पर कही गई कि सेफटी टैंक की जो पुरानी टैक्नॉलोजी थी उसको ऊपर से पक्का कर देते थे, नीचे से तली को भी पक्का कर देते थे, यह टैक्नॉलोजी अब लागू नहीं की गई है। जो व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर रहे हैं उनको भी एजुकेट करने की आवश्यकता है। अब तो नई टैक्नालॉजी के हिसाब से सेफटी टैंक को नीचे से कच्चा रखने की जरूरत है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मानक हैं जिनके हिसाब से योजनाओं को कार्यरूप देते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस

प्रकार निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ 5-पौंड वाली टैक्नॉलोजी में हम प्रगतिशील हैं। कई लोगों ने बाहर से आकर इसकी स्टडी भी की है। हमारे करनाल के एक प्रोजैक्ट की स्टडी हुई है। उसकी सराहना भी हुई है कि भारत में अन्य स्थानों पर भी इसको लागू किया जाये। लेकिन जब कोई नई चीज आती है तो निश्चित रूप से कई कार्य सरकार को करने होते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना सरकार का काम है। सरकार जल्द से जल्द ढांचे भी खड़े कर देती है लेकिन उस ढांचे का संचालन उचित ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कार्य ही नहीं होना चाहिए। उसका संचालन भी उतनी दुरूस्ती के साथ और निगरानी में होना चाहिए कि वास्तव में पानी जिस पर लैवल पर साफ करना चाहिए क्या उस लैवल पर पानी साफ हो गया है ? इस कार्य को करने में हम प्रगति पर है। माननीय सदस्यों की इन चिंताओं को वाजिब मानते हुए मैं इनकी बात से सहमत हूं कि विभाग के लिए काफी अच्छी जानकारियाँ इन्होंने सदन में दी हैं जिनका हम फायदा उठायेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अभी गाँवों के जोहड़ पानी से भरवाने की बात कर रहे थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के के किला जफरगढ़ गाँव के जोहड़ों को रोहतक जाने वाली भिवानी ब्रांच नहर से भर सकते हैं या सुंदर ब्रांच से भर सकते हैं ? पिछले 10 वर्षों से सुंदर ब्रांच से पानी नहीं जा रहा है, भिवानी ब्रांच से पानी आने नहीं दिया जाता हैं तथा गाँवों के जोहड़ ऐसे के ऐसे ही सूखे पड़े रहते हैं। मेरी इस समस्या को समझते हुए इसी सदन में पिछली सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि किला जफरगढ़ माईनर की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी ताकि कम से कम पीने का पानी तो मिल सके। अब स्थिति यह है कि वहां पर न तो पीने के लिए डिग्गी में पानी ही जाता है तथा न ही जोहड़ में पानी जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि किला जफरगढ़ गाँव में दो-दो जगहों से पानी आ सकता है तथा प्रयास करने के बावजूद भी वहां पर पानी नहीं पहुंचा है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से गाँव हैं जिनके अंदर जोहड़ पानी से नहीं भरे जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि जो अधिकारी सब-डिवीजन स्तर पर बैठे हुए हैं क्या आप उनसे चालू सदन के दौरान 23 मार्च तक जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हरियाणा के अंदर गाँवों में कितने जोहड़ पानी से भरे गये हैं तथा कितने जोहड़ नहीं भरे गये हैं ? जब आँकड़े सामने आयेंगे तो आप उनको देखकर स्वयं हैरान हो जायेंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस संदर्भ में एक परम्परा रही है कि जोहड़ पानी से भरने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत माँग करती है जिनको नहर विभाग भरता है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के जींद व रोहतक के एक्सीयन व एस०ई० द्वारा भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में हम इस समस्या के निदान हेतु कृषि, सिंचाई एवं पंचायत एवं विकास विभागों की एक समन्वित नीति बना रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र की यह बात पहले भी कही थी तथा इस नहर की चर्चा भी की थी। मुझे सदन को यह बताने में आनंद है कि हमारी सरकार ने पिछले 4 महीनों में ज्यादातर नहरों में टेल तक पानी पहुंचा दिया है लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जहां पर लैवल ऊंचा है या कहीं लिफ्ट के सिस्टम की आवश्यकता है। कुछ स्थानों पर लैवल ऊंचा नहीं है यानि ऊंचा नीचा है, कहीं ऊंचा है फिर नीचा है और फिर ऊंचा है लेकिन सरकार ने सब समस्याओं की जानकारी ली है। नहर विभाग को इस प्रकार के आदेश दे दिए गए हैं कि आने वाले 6 महीनों

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

में वे हर टेल तक पानी पहुंचाएं और टेल पर हमारे विभाग का अधिकारी खड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय आज व्हटसअप की बहुत अच्छी फैसेलिटी आ गई है। पानी और एक्सीयन दोनों की फोटो हमारे पास आए ऐसा हमने विभाग को कहा है ताकि हमें पता चले कि टेल तक पानी पहुंचा है या नहीं। निश्चित तौर से हम आने वाले 6 महीनों में कोई भी कैनाल ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसकी टेल तक पानी न पहुंचे। निश्चित रूप से हम इस रास्ते पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी इनके हल्के में गया था तो लोगों ने सवाल उठाया था कि हमारे यहां कटिंगाई है और यह बात मेरे ध्यान में है और निश्चित तौर से हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सम्पदा हमारे पास है और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास जोहड़ हैं। रिचार्जिंग के लिए और आस पास की सिंचाई के लिए वर्षों पहले इस सम्पदा का उपयोग होना चाहिए था लेकिन इतनी बड़ी सम्पदा का उपयोग हमने नहीं किया और बरसात के पानी को हमने ऐसे ही समुद्र तक जाने के लिए बहने दिया। किस तरह से हम अपनी सम्पदा को, तालाबों को और जोहड़ों को और गहरा करके रिचार्जिंग और आस पास की सिंचाई के लिए उपयोग कर सकेंगे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो कालिंग अटैंशन मोशन है इस पर इन्होंने चर्चा शुरू की है। इस प्रकार लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट और सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट द्वारा हम टोटल स्वच्छता की दृष्टि से अपने गांवों को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज कालिंग अटैंशन मोशन आया है। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इस बारे में पूरी जानकारी सदन में देने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। आज हमारे ज्यादातर गांव आदर्श गांव के रूप में डिवैल्प हो चुके हैं। बहुत से पुराने जोहड़ गांव में रह गए हैं और बस्तियां बाहर हो गई हैं इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। हमारी सरकार के समय में भी हरियाली परियोजना शुरू की गई थी जिसके तहत एक गंदे तालाब के साथ एक साफ पानी का तालाब और साथ लगती जमीन पर एक पार्क डिवैल्प करने की प्लान थी और जिस पर काफी कार्य भी हुए। काडा विभाग के तहत भी यह हुआ कि हजारों की संख्या में तालाबों को ले लिया जाएगा और इस प्रकार से गंदे पानी के तालाब के साथ साफ पानी का तालाब बनाया जाएगा लेकिन यह प्रोग्राम चल नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि मनरेगा स्कीम के तहत आपके पास पंचायती राज विभाग भी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से जोहड़ हैं और खासतौर से भूराबास में बहुत बड़ा तालाब है जिसमें जलखुम्बी हो गई है। वहां कई बच्चों और पशुओं की डैथ हो चुकी है और कई सालों से हम प्रयासरत हैं कि विभाग की किसी न किसी योजना के तहत उस जोहड़ की सफाई करवा दी जाए या उसमें मिट्टी का भराव कर दिया जाए। मनरेगा के तहत तो इसके समाधान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस काम के लिए बार-बार असमर्थता यह जताई जा रही है कि इस तरह का कोई बजट प्रोवीजन नहीं है क्योंकि मनरेगा के तहत मैन्युल काम होगा और मशीनों से यह काम करवा नहीं रहे हैं। हमने कई संस्थानों से इस काम के लिए बात भी की लेकिन यह अभी भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे यहां छूछकवास गांव है जिसको हमारे सांसद भाई दीपेन्द्र हुड्डा जी ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां से निकलते होंगे, वहां जोहड़ों में बहुत ज्यादा बदबू आती है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से गांवों में इस प्रकार की समस्या है तो क्या सरकार द्वारा

बजट में कोई प्रोवीजन करके सभी जगह के तालाबों को सुधार करने की व्यवस्था की जाएगी? विशेष तौर से पिछले दिनों मुढेहड़ा और कैलरम गांव है जहां कुछ बच्चे डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह बहुत सीरियस मामला है इससे न केवल पशुओं और मनुष्यों को बीमारी हो रही है बल्कि जानमाल के नुकसान का भी काफी खतरा बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जिस गांव में बहुत ज्यादा जोहड़ हैं क्या किसी एक जोहड़ में मछली पालन की व्यवस्था की जाएगी जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और साफ सफाई की भी व्यवस्था हो जाए। ज्यादातर हमारे जो तालाब हैं क्या उनमें किसी बजट प्रोवीजन के तहत गऊ घाट की व्यवस्था होगी ताकि पशुओं को या जो भी व्यक्ति इसमें जाते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि वे इस बात को क्लीयर कर दें कि यदि ऐसे तालाबों में किसी पशु व्यक्ति या बच्चे की मृत्यु जैसे हादसे हो जाते हैं तो उनके लिए बजट में कोई ऐसा प्रावधान है ताकि सरकार उनकी मदद कर सके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्या की अपेक्षाओं से मैं प्रसन्न भी हूं और थोड़ा हैरान भी हूं। माननीय सदस्या ने पिछली सरकार के समय में काफी समय इन्हीं बैंचों पर खड़े होकर बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी दिए होंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने क्षेत्र में और जिले में अभी भी बहुत सी समस्याएं बची हैं। मुझे लगा था कि काफी बैटरमैंट झज्जर क्षेत्र में हुई होगी लेकिन अभी भी वहां काफी समस्याएं हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी केवल यह जानकारी दे दें कि किस मद के तहत बजट में पैसे का प्रोविजन किया गया है ? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। हमारे देश में दो चीजों की बहुत कठिनाई हुई है। एक तो कांग्रेस घास से जो कि गेहूं के बीज के साथ देश में आ गई थी। आज यह पूरे देश में एक समस्या बनी हुई है। यह अस्थमा की बीमारी पैदा करती है, खुजली पैदा करती है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जिन तालाबों में बच्चों और पशुओं की डैथ हुई है जो कि बहुत गम्भीर विषय है उसके समाधान करने के बारे में जवाब देने की बजाय मंत्री जी कांग्रेस घास की बात कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्लीज आप बैठें। आपने प्रश्न पूछा है इसलिए मंत्री जी का पूरा जवाब तो सुन लें। उस घास का नाम ही कांग्रेस घास है। आज कांग्रेस घास भी देश में एक समस्या है। आप इसको कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस घास है जो कि देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। (विघ्न) प्लीज आप बैठें। यदि आप सुनेंगे नहीं तो मंत्री जी जवाब कहां से देंगे। आप सुनें तभी मंत्री जी से जवाब मिलेगा। (विघ्न) क्या आपने अभी तक to the point बात की है। उदाहरण देकर मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या मेरी बात तो सुनें। मेरा जवाब to the point ही है । कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कांग्रेस घास के नाम से विचलित नहीं होना चाहिए। मैं उसका साईंफिक नाम पार्थेनियम ग्रास है वह बोल देता हूं लेकिन प्रचलन में कांग्रेस घास ही है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में दो समस्याएं हैं इसलिए मैंने उनकी सीमिलरिटी का जिक्र किया है। मैं to the point बात कर रहा हूं, मैं प्वायंट से बाहर जाकर बात नहीं करता। जो जलखुम्बी है जिसको मनी प्लांट भी कहा जाता है। इसको देश में सजावट के लिए लाया गया

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]
और वह भी एक समस्या बन गई है। ये दोनों चीजें मेरे देश में बाहर से आई हैं और यहां आकर समस्या बन गई हैं। इसी तरह से मेरे देश में काबली कीकर है वह भी एक समस्या है। ये इस तरह की समस्याएं हैं जो देश में लाई गई या किसी तरह से आ गई। बूराबास के अंदर जलखूम्बी की वजह से नुक्सान हुआ है। वहां पर पूरे जोहड़ को जलखूम्बी ने घेर लिया है। उसकी तरफ हम पूरा ध्यान देंगे और अधिकारियों को आदेश दिए जायेंगे कि वहां से जलखूम्बी को तुरंत प्रभाव से हटाकर तालाब को स्वच्छ और निर्मल किया जाये। इसी तरह से माननीय सदस्या दूसरे गांव के जोहड़ों की भी चिंता की है। झज्जर जिले के मुंडाड़ा गांव में तो जिस प्रकार की जनसंख्या है उसके बारे में सबको मालूम है। वहां बहनें बहुत कम हैं और कुंवारे बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह से छूछकवास के जोहड़ की भी चिंता की गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से विभाग को आदेश दूंगा और वहां की समस्याओं को दूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व मंत्री महोदया को आश्वासन देता हूं कि उनके कार्यकाल में वहां जो भी कमियां रही हैं उनको हम निश्चित रूप से अच्छा करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, हमने कमियों को दूर करने के प्रयास किये हैं।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि आपके प्रयास करने के बाद भी जो कमियां रही हैं मंत्री जी उनको भी दूर करेंगे ।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, यह तालाब बहुत ज्यादा गहरा है कई बार उसमें मशीनें घुस गई हैं। वहां पर बच्चों और काम करने वालों की भी मृत्यु हो चुकी है। इसमें सिर्फ जलकुम्भी को हटाने का विषय नहीं है। यह तालाब बिलकुल रोड के ऊपर स्थित है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि उसको मिट्टी से भरवा दिया जाये। आसपास के जो प्लॉट हैं हमने उनसे बात की है कि वे अपनी कारपोरेट रिस्पांसीबिलिटी के तहत हमें कुछ फण्ड दें ताकि हम उसे भरवा सकें। इसके लिए हमने आलरेडी प्रयास किये हैं। यह हमारी सरकार की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रयास जारी रहे हैं अब यह पता चल जायेगा। अगर आप इस काम को करवा देंगे तो मैं इसी सदन में मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं कि अब ये काम करवाने वाली भाषा छोड़ दें। अब ये काम बताने का काम करें उनको करवाने का काम हम करेंगे। हम इस काम को जल्दी से जल्दी करवायेंगे और हमें विश्वास है कि आप इसी सदन में हमारा आभार व्यक्त करेंगी ।

श्रीमती प्रेम लता : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो-तीन बातें पूछना चाहती हूं। जैसे हरियाणा प्रदेश में जितने भी गांव हैं उनमें गरीब आदमी बाहर की तरफ बसते हैं और जब गांवों में सड़कें पक्की बन जाती हैं तो गांव के कुछ दबंग लोग उन रास्तों को रोक देते हैं और इसी के साथ-साथ वे उन रास्तों के साथ बने हुए नालों को भी बंद कर देते हैं। इससे जो गरीब आदमी हैं उनके घरों के सामने वह पानी खड़ा हो जाता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू पैदा होती है। इस कारण से उन गरीब लोगों में कोई न कोई भयंकर बिमारी फैल जाने का अंदेशा बन जाता है। मैं गांव बधाना में किसी की मृत्यु हो जाने पर गई थी वहां के लोग मुझे जहां वह बदबूदार पानी खड़ा था वहां लेकर गये थे। उस पानी में इतनी बदबू थी कि मैं वहां पर एक मिनट के लिए भी खड़ी नहीं रह सकी। उन्होंने बताया कि वहां पर दोनों तरफ दबंग

लोग हैं दोनों तरफ नाला है और बीच में पक्की सड़क बनी हुई है। वह पानी कहीं नहीं निकल रहा है। मैंने इस बारे में सम्बंधित उपायुक्त से बात भी की थी कि वे इस पानी को निकलने का रास्ता खुलवा दें इस पर उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग ऐसा करने के लिए नहीं मानते। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगी कि एक तो गरीब आदमी गरीबी में जी रहा है और अगर ऊपर से उसको तरह-तरह की बिमारियां भी घेर लेंगी तो ऐसी स्थिति में तो वह मर ही जायेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो गरीब आदमी हैं उनके घरों के आगे इस प्रकार से गंदा पानी खड़ा न हो और उसकी पर्याप्त निकासी की समुचित व्यवस्था हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि जो जोहड़ हैं उनमें कीचड़ भरने से वे ओवरफ्लो हो जाते हैं और जब बारिश आती है तो जोहड़ का पानी सड़कों और दूसरे रास्तों पर आ जाता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जोहड़ों का कीचड़ निकालने के साथ-साथ उनकी खुदाई भी करवाई जाये जिससे उनकी गहराई ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। इसी प्रकार से जो रिटेनिंग वॉल हैं वे बहुत से गांवों में टूटी पड़ी हैं जिनसे हादसे होते रहते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि ये रिटेनिंग वॉल बनाई जायें ताकि अगर जोहड़ में ज्यादा पानी भी होगा तो भी पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और दूसरे रास्तों पर बाहर नहीं आयेगा। इससे गांव के सभी निवासियों के साथ-साथ गरीब लोगों का भी कुछ न कुछ भला हो जायेगा। ये मेरी कुछेक बातें, हैं आशा है कि मंत्री जी इनके ऊपर ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाये हैं यह इनकी बात सही है। बहुत से गांवों में इस प्रकार की समस्या है। (विघ्न)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि Under Rule 73 (1) के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अधिकतम कितने सप्लीमैंट्री क्वैश्चन माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं वे ही सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं लेकिन यह एक जनहित का मुद्दा था इसलिए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दूसरे माननीय सदस्यों को भी सप्लीमैंट्री क्वैश्चन पूछने की इज़ाजत दी गई है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था लेकिन इसी प्रकार से मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हाऊस का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अखबारों में इस आशय के समाचार लगातार छप रहे हैं कि 'शुगर मिल ने रोकी किसानों की 100 करोड़ रूपये की पेमैंट', 'अगले सीज़न से गन्ना नहीं खरीदेगी सरस्वती शुगर मिल' इत्यादि-इत्यादि। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इससे वहां का किसान भयभीत है कि अगले साल उनका गन्ना लिया जायेगा या नहीं लिया जायेगा। यह आपका भी क्षेत्र है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर अभी चर्चा करवाई जाये और सरकार की तरफ से तुरंत जवाब आये।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपने जो इस बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है उस पर हम 20 मार्च, 2015 को चर्चा करवायेंगे।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य श्री कादियान जी को यह बताना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री, आपको और इस क्षेत्र के सभी विधायकों को साथ लेकर एक सप्ताह पहले रैस्ट हाऊस में 105 करोड़ रूपये की बकाया राशि और आगे यह शुगर मिल कैसे चलेगी इस सारे विषय पर किसानों के साथ बात करके चिंता व्यक्त कर आया हूं। कादियान साहब की इस बारे में चिंता पूरी तरह से वाजिब है लेकिन मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस विषय पर अपना पूरा होम वर्क कर लिया है। सभी शुगर मिलें चलेंगी और हम किसी भी किसान का एक पैसा भी नहीं रूकने देंगे।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ढुल साहब ने भी कहा था और जिसका अभी तक जवाब भी नहीं आया उसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेवात जिले में गुड़गांव कैनाल जोहड़ों को भरने का एक मात्र साधन है और इस गुडगांव कैनाल में पानी के नाम पर फरीदाबाद और दिल्ली का ज़हर आ रहा है। उसमें प्रदूषण का लैवल 70 बी.ओ.डी. तक है जो कि बिलकुल ज़हर है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने इस पानी को साफ करने की बात कही भी है क्या वे कोई ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस कैनाल से जो खेतों में पानी दिया जाता है उसके लिए कोई ऐसा संयंत्र लगवायेंगे जिससे खेतों में ज़हर न पहुंचे और फसलें नष्ट न हों। इससे कैंसर के मरीज़ इस क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ रहे हैं और पशुओं में अनेक बिमारियां फैल रही हैं जिससे वे बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता [12.00 बजे] हूं कि खेतों की सिंचाई के लिए और जोहड़ों में वह पानी वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट के माध्यम से दिया जाये। इसमें पूरे मेवात जिले के जोहड़ों को भरने के लिए पानी चाहिए, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि पानी सरप्लस है लेकिन मेरी कल ही एक्सीयन, नूह से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आगरा कैनाल में कोई पानी सरप्लस नहीं है। इसके साथ-साथ पूरे मेवात जिले में और पलवल जिले में नहरों में आने वाले दूषित पानी के कारण जो ज़हर फैल रहा है उसके लिए भी कोई संयंत्र लगाया जाये तथा उसका भी समाधान किया जाये।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हाउस में उठाया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट की बात की है और यह सही भी है कि जब तक इसका निपटान नहीं हो जाता तब तक कोई फायदा नहीं होगा। भिवानी के लिए श्रुति चौधरी जी 29 करोड़ रूपये का एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्रोजैक्ट लेकर आई थी। जिसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन लिखित में यहाँ भेज चुका है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवा दीजिए।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रेमलता जी ने दो बातें उठाई थी। वास्तव में बहुत सारे गांवों में ऐसी समस्या है कि जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का घर आ गया जो रूकावट पैदा करता है या कोई ऐसी चीज आ गई जिसके कारण रूकावट आ जाती है। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूप से आपने भी यह महसूस किया होगा क्योंकि गुज्जरों के कई गांवों में इसलिए रास्ता नहीं मिलता और इन सबका समाधान प्रशासनिक दृष्टि से किये जाने की आवश्यकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लिक्विड वेस्ट के लिए नालियाँ वगैरह जरूर बनी लेकिन उसके सुचारू संचालन के सिस्टम खड़े नहीं किये गये। जिस तरह से शहरों में इसके सुचारू संचालन

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

के सिस्टम खड़े किये गये हैं उस प्रकार से वहाँ पर सीवरेज सिस्टम तो नहीं बना सकते क्योंकि प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा कम है तथा गांवों में गोबर भी मौजूद रहता है। शहरों में तो हम पशुओं को शहर से बाहर रखते हैं इसलिए वहाँ पर सीवरेज सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है। इसलिए गांवों में गोबर के होने और प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा कम होने के कारण सीवरेज सिस्टम तो कामयाब नहीं हो पायेगा लेकिन जो ओपन सिस्टम है उसके भी सुचारू संचालन की व्यवस्था करना जरूरी है। आजकल गांवों में पैसा भी ज्यादा मिल रहा है और आदर्श गांव भी बन रहे हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट की सुचारू संचालन की व्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़े यह एक चिंतनीय विषय है और इसमें जो मानवीय बाधायें हैं उनके पार भी हमको जाना पड़ेगा। इन्होंने जो दूसरा विषय उठाया है उस पर हम पहले ही काम कर रहे हैं। जोहड़ों को गहरा करके रिटेनिंग वॉल के पास ही पानी संचयन का काम करेंगे जिससे उनमें ज्यादा पानी आ सके और हम उस पानी को सिंचाई के लिए दे सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से श्री जाकिर हुसैन जी ने जो बात कही है वह बहुत चिन्ता की बात है। इनकी बात का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि कल गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक पर इनका जितना अच्छा मार्गदर्शन रहा उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मिल कर इनका धन्यवाद करना चाहता था लेकिन ये कल उस समय तक सदन से निकल गये थे। मैं तहेदिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी जो चिन्ता है इसके भी दो-तीन पहलू हैं। इसका एक पहलू तो यह है कि पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है। इसका दूसरा पहलू है पानी की मात्रा तथा इसका तीसरा पहलू भी सामने आ गया है कि यह सारा कैनाल सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी बताया था कि मंत्री या मुख्यमंत्री लैवल पर इसकी वार्ता करेंगे, जो आबियाना जमा नहीं करवाया गया है उसके बारे में बात करके कि उसको सरकार जमा करवायेगी या सम्बंधित लोग स्वयं जमा करवायेंगे। इसका फैसला करेंगे पानी की मात्रा 850 क्यूसिक है जो सबको मिलनी चाहिए। और उसकी 11 डिस्ट्रिब्यूट्री में वह पानी आए। दिल्ली जल बोर्ड के साथ यह विषय हमारा विभाग इसकी गुणवता को लेकर बहुत तेजी के साथ कदम उठा रहा है। पानी की गुणवता को लेकर एक बार दिल्ली के लोग उस पर काम करे और उसके साथ-साथ आगे भी जब जोहड़ में पानी देना है तो जो उसका एक मानक है 30 बी.ओ.डी. का उसके लैवल पर लाकर ही हम उसको दें। निश्चित रूप से इस बारे में उसी कन्सरन्ड के साथ जितना आपका कन्सरन्ड है विभाग काम करेगा। ऐसा मैं आश्वस्त करता हूं। किरण चौधरी जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सालिड वेस्ट की बात कही है निश्चित रूप से बड़ी तेजी के साथ काम करेंगे आज भिवानी शहर में भी जिस प्रकार के हालत बने हुऐ, उस के बारे में मुझ पता है। जब हम भिवानी से दादरी जाते हैं तो उस रोड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर वह मेरे विभाग का काम है तो हम वह काम का बड़ी तीव्रता के साथ करेंगे। मैं यह आश्वस्त करता हूं।

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री नियम 121 के अधीन प्रस्ताव पेश करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनकड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं- कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231,233,235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

(i) लोक लेखा समिति;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(vi) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2015-2016 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव पेश करता हूं।

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को अधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231,233,235, तथा 266 को उपबंध जहां तक कि वे :-

(i) लोक लेखा समिति ;

(ii) प्राक्कलन समिति;

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(vi) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, वर्ष 2015-2016 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को अधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231,233,235, तथा 266 को उपबंध जहां तक कि वे।

1. लोक लेखा समिति ;
2. प्राक्कलन समिति;
3. लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा
4. अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2015-2016 के लिए निलंबित किया जाए।

यह भी प्रस्तुत हुआ-

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को अनाधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-2016 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

प्रस्ताव पारित हुआ ।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। इससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं कि चर्चा के लिए हमारे पास 300 मिनट हैं जिनमें 60 मिनट कांग्रेस पार्टी के लिए, 84 मिनट इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के लिए, 10 मिनट हजका के लिए, 25 इण्डिपैंडेंट के लिए, 180 मिनट बीजेपी के लिए, और 5 मिनट बसपा के लिए है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बजट पर चर्चा करने के लिए अपने हल्के की बात रखूँगी। उसके बाद हमारे सम्मानित सदस्य भी बजट पर चर्चा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आपकी पार्टी के लिए 60 मिनट का समय दिया है। यदि आप ज्यादा टाईम लगाओगी तो दूसरे माननीय सदस्य अपने हल्के से संबंधित समस्याएँ नहीं उठा सकेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप जितना टाईम लीडर ऑफ अपोजिशन को दे रहे हो उतना ही टाईम हमारी पार्टी को भी दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, यह टाईम संख्या के आधार पर ही तय किया गया है। जिस पार्टी की जितने सदस्यों की संख्या होगी उस हिसाब से ही टाईम दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बराबर का टाईम दीजिए। हम भी हल्के के अच्छे-अच्छे सुझाव रखना चाहते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो समय रखा है। हमारी पार्टी को बजट पर चर्चा करने के लिए 84 मिनट का समय दिया है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को बजट पर चर्चा करने के लिए 60 मिनट का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्यादा होने के कारण 180 मिनट का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने परसों इस बात का वायदा किया था कि मैं सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय दूँगा। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्य 84 मिनट में अपने-अपने हल्के की समस्याएँ नहीं रख पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बजट का मामला है कि सरकार का एक साल का लेखा-जोखा होता है। सरकार कहाँ-कहाँ पर किस-किस मद में कितना-कितना पैसा खर्च करती है। हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या-क्या सुविधाएँ देनी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने आज कौन-कौन सी दिक्कतें हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने कम वक्त में बजट भाषण पर चर्चा नहीं हो सकती इसलिए मेरा

[श्री अभय सिंह चौटाला]

निवेदन है कि आप इसमें और समय बढ़ायें ताकि हर सदस्य अपने-अपने हल्के की बात कह सके और चर्चा कर सके। अध्यक्ष महोदय, हमें सदन के नेता ने आश्वस्त किया था कि हम सदन का समय बढ़ायेंगे और हर सदस्य को बोलने का मौका भी देंगे मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप समय को और बढ़ायेंगे तो ही सभी सदस्य अपनी बात रख सकेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यदि इधर-उधर के विषयों पर न जायें तो मेरे ख्याल से सभी सदस्य अपने-अपने हल्के की समस्या रख सकेंगे

श्री जाकिर हुसैन (नूँह) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौटाला साहब, सभी सदस्यों की बात कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस की सहमति हो तो कल भी दो सीटिंग रख लें।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं उन सभी के बारे में कहा है न की अपनी पार्टी के बारे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने भारतीय जनता पार्टी, नैशनल कांग्रेस पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी का जिक्र किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नये सदस्य ज्यादा हैं इसलिए वे भी अपने-अपने हल्के की समस्याएँ रख सकेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से भी प्रार्थना करूँगा कि समय बढ़ाने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कहें।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। सदन के नेता ने परम्पराओं को प्रारम्भ करते हुए सदन के वातावरण में बहुत अधिक परिवर्तन करने का काम किया है। आज विपक्ष के नेता ने पहले ही संतोष जाहिर किया है कि समय ज्यादा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि अन्ततोगत्वा जो भी समय सारणी बिजनैस एडवाइज़री कमेटी ने तैयार की है सारी बातें तो उसके अनुरूप ही कंकल्यूड करनी है। सभी पार्टियों का समय योजनागत ढंग से आवंटन किया है और अगर हम ज्यूडिशियल ढंग से इस्तेमाल करे तो अपने हल्के की समस्याएं पूरी कही जा सकती है। आज अपनी-अपनी पार्टी के अन्दर ही कभी-कभी ऐसा देखने पर महसूस होता है कि लैजिस्लेटिव पार्टी लीडर ही सारा समय लेकर बाकी सदस्यों के लिये समय की मांग करें इस तरह की एक नई परिपाटी देखने को मिल रही है। अपनी पार्टी के समय से ही अगर खुद लीडर थोड़ा सा संयम बरते तो बाकी सदस्यों को बोलने का मौका मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्राथमिक और पहला प्रारम्भिक निवेदन यह है कि समय सारणी का पालन करते हुए बजट से संबंधित समय सीमा के तहत ही माननीय सदस्य बोलें। ज्यादा समय हमारी संतुष्टि के अनुसार और दिया जा सकता है, इसमें सरकार को कोई ऐतराज नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय आपने आवंटन न्यायपूर्ण किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप 5-6 मिनट और बढ़ा दें तो इसमें सत्ता पक्ष को कोई ऐतराज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि 5-6 मिनट एक सदस्य के बढ़ने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बिजनैस एडवाईज़री कमेटी में मैंने स्वयं प्रस्ताव किया था कि एक सीटिंग और एक दिन बजट सत्र का बढ़ाया जाये । हमने अपनी मर्जी से आज की एक सीटिंग बढ़ाई है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, समय सारणी के बढ़ाने के चक्र में 16 मिनट बर्बाद हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस 16 मिनट के दौरान तो चार माननीय सदस्य बोल सकते थे ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता को विश्वास दिलाया था कि बजट के भाषण हम पूरे एक घण्टें में समाप्त कर देंगे। हम अपनी बात पर कायम रहें है। समय तो पर्याप्त है, प्रतिपक्ष के नेता अपनी पूरी बात को कह सकते हैं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, एक सीटिंग और बढ़ा दी जाये।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता का एक अन्य तरीके से समर्थन करना चाहता हूँ कि हाउस के अन्दर विभिन्न पार्टियों के नेताओं को तो बोलने का समय मिलता रहता है लेकिन बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिनको बोलने का समय ही नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका मिलें। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल चुके हैं, उनके अलावा जो माननीय सदस्य पीछे बैठे हैं, जिन्हें बोलने का अभी तक मौका नहीं मिल पाया है, उन्हें भी 5-5 मिनट अपने-अपने विधान सभा के क्षेत्रों की समस्याओं को विधान सभा के बजट सत्र में रखने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पार्टी के नेताओं से है कि सभी माननीय सदस्य जो गवर्नर एड्रेस पर नहीं बोले है उनको बजट पर बोलने का मौका दें।

श्री प्रेमलता (उचाना) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल सिर्फ एक घण्टे का होता है, जिसमें 20 तारांकित प्रश्न होते हैं, लेकिन 6-7 प्रश्नों पर ही प्रश्न काल समाप्त हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनती है कि या तो प्रश्न काल का समय बढ़ाया जाये या तारांकित प्रश्नों की संख्या कम की जाये।

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्रश्नों पर सप्लीमैंट्री करना माननीय सदस्यों का अधिकार होता है, इसलिए समय ज्यादा लगता है।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अगर 17 वें नम्बर पर आया है, तो वह लगेगा ही नहीं। जिसकी मैं तैयारी करके आती हूं और लिखा-लिखाया वापस ले जाती हूं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो मेरा प्रश्न सदन में आता ही नहीं है?

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्रीमती संतोष यादव चेयर पर पदासीन हुई।)

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदया, जब कल सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी का नाम लिया गया तो, सत्ता पक्ष के माननीय सभी सदस्यों ने बड़े लम्बे समय तक दोनों हाथों से मेजें थपथपाई। सभापति महोदया, जब मेजें थपथपाई जा

[श्री अभय सिंह चौटाला]

रही थी तो मुझे लगा कि बजट जो पेश किया जायेगा, उसमें हर वर्ग के लोगों को और प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट और सब डिविज़नों को बराबर का हिस्सा मिलेगा व समान विकास की बात कही जायेगी। सभापति महोदया, मुझे लग रहा था कि अबकी बार के बजट में कहीं न कहीं समान विकास की चर्चा होगी। समान विकास का बजट में कहीं न कहीं विवरण दिया गया होगा। बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले सरकारों में जिस तरह से बजट प्रस्तुत करने पर मेजें थपथपाकर वाहवाही लूटने का प्रयास होता था और जब बजट आता था और बजट को हम देखते थे तो लगता था कि बहुत से ऐस वर्ग है जिनकी कहीं न कहीं फिर से अनदेखी की गई है। इसी तरह से इस बजट में भी किसानों के लिए मुझे बजट से राहत की उम्मीद थी। किसानों पर पिछले दिनों ओलावृष्टि, फसल के अच्छे भाव न मिलने और खाद की किल्लत और सूखे की वजह से मार पड़ी हुई है उसे देखते हुए मुझे वित्त मंत्री जी से उम्मीद थी कि वे बजट के माध्यम से किसानों को थोड़ी राहत देंगे लेकिन किसानों के हित के मुद्दे जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का बजट में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में 12वीं और स्नातक पास बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए क्रमशः 6 हजार रूपये और 9 हजार रूपये भत्ता देने का जिक्र था लेकिन बजट में इसका भी जिक्र नही किया गया। आपने चुनाव में अपने मैनीफैस्टो में हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का वायदा किया था। किंतु बजट में इसका भी जिक्र नहीं है। इस बजट में मजदूरों की भी अनदेखी की गई है। बजट में बताया गया कि खजाने में लगभग 79.31 हजार करोड़ रूपये प्राप्त होंगे जिसमें लगभग 26.304 हजार करोड़ रूपये कर्ज के रूप में वापिस किये जाएंगे। बजट का एक-तिहाई हिस्सा कर्ज के रूप में वापस चला जाएगा और इसको वापिस करने के लिए सरकार को फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। वर्ष 2014-15 में जो प्राप्तियां हुई हैं जिस तरह स्टाम्प और पंजीकरण के अंदर 3.950 हजार करोड़ रूपये दर्शाए गए हैं जबकि वर्ष 2015-16 के बजट में 36 सौ करोड़ रूपये प्राप्त होने की बात कही है। अब आपको साढ़े 3 सौ करोड़ रूपये कम मिलेंगे। इसी तरह से यात्री और माल भाड़े से सरकार को राजस्व मिलता है, वह 2014-15 में 650 करोड़ हुआ और अबकी बार 600 करोड़ की बात कही गई है। इस से भी 50 करोड़ कम आए हैं भारत सरकार से जो हमें अनुदान सहायता मिलती है उस बारे में बजट बजट में दर्शाया गया है कि 2014-15 में 7438.86 करोड़ प्राप्त हुए हैं और अब वर्ष 2015-16 में यह घटकर 6497.31 करोड़ रूपये प्राप्त होने का जिक्र किया गया है। इसमें आपको लगभग 800 करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। इन तीन मदों में जिस तरह से बजट कम हो रहा है यह एक चिन्ता का विषय है, बजट कम होने की बजाए इसे बढ़ना चाहिए था। अगर यह बढ़ता तो आपको फिर यह रूपया खर्च करने में लाभ होता और आप इस पर ज्यादा खर्च कर सकते थे। इसी तरह वर्ष 2014-15 में हमारे ऊपर लगभग 81836 करोड़ रूपये का कर्जा था। हम यह मानकर चलते थे कि कर्ज कम होना चाहिए लेकिन कर्ज कम होने की बजाए वित्त मंत्री जी ने बजट में दर्शाया है कि वर्ष 2015-16 में यह कर्ज 17000 करोड़ रुपये और ज्यादा बढ़ जायेगा और इस साल में 98834 करोड़ रूपये का कर्ज होना संभावित है। अगर कर्ज बढ़ेगा तो आप यह मानकर चलें कि कांग्रेस पार्टी के राज में जो हमारे प्रदेश में बच्चा पैदा होता था उस समय उस बच्चे पर 25 हजार रूपये का कर्ज होता था जोकि अब बढ़कर 40 हजार रूपये हो जायेगा। वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें यह दर्शाया गया है कि इस बजट का 43.89 प्रतिशत और 23.69 प्रतिशत पैसा वेतन, पैंशन

और कर्जे की अदायगी करने पर खर्च हो जायेगा। इसलिए सरकार यह मानकर चले कि कर्ज को उतारने के लिए भी सरकार को कर्जा लेना पड़ेगा। ब्याज की अदायगी पर हर वर्ष वृद्धि हो रही हैं । वर्ष 2008-09 में ब्याज की अदायगी 2339 करोड़ रूपये की गई थी। उसके बाद वर्ष 2013-14 में यह पैसा बढ़कर डबल से भी ज्यादा यानी 6302 करोड़ रूपये हो गया था, वर्ष 2014-15 में यह पैसा बढ़कर 7195 करोड़ रूपये हो गया था। अब आपने बजट भाषण में दर्शाया है कि वर्ष 2015-16 में यह ब्याज बढ़कर 8563 करोड़ रूपये हो जायेगा जो सिर्फ कर्जे के ब्याज की अदायगी करने पर इतना पैसा खर्च होगा। जहां तक घरेलू उत्पादन में पूंजी बढ़नी चाहिए थी लेकिन यह एक चिन्ता का विषय है कि वह कम होती जा रही है। वर्ष 2006-07 में घरेलू उत्पादन 2.03 प्रतिशत था, वर्ष 2007-08 में यह थोड़ा सा बढ़कर 2.45 प्रतिशत हो गया और उसके बाद वर्ष 2013-14 में यह फिर कम हो गया और कम होकर 1.50 प्रतिशत रह गया। इसी तरह से वर्ष 2014-15 में यह फिर कम हो गया और इसमें फिर से गिरावट आई और यह 1.49 प्रतिशत हो गया था। अब वर्ष 2015-16 में यह और ज्यादा कम होकर मात्र 1.44 प्रतिशत हो जायेगा जो बहुत ज्यादा गिर गया है। सरकार के पास जहां से रेवैन्यू आना चाहिए अगर वह रेवैन्यू कम हो जायेगा तो आप यह मानकर चलें कि इसमें कहीं न कहीं उत्पादन करने वाले और खेतीबाड़ी करने वालों का उत्पादन बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रदेश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगर उन लोगों के उत्पादन में कमी आयेगी तो वह सरकार की अनदेखी की वजह से होगी और उनकी फसलें कम होंगी और उनके उत्पादन में और ज्यादा कमी आयेगी। इस तरह से न केवल उनका नुकसान होगा सरकार को रेवैन्यू भी कम आयेगा। इसी प्रकार से बजट के अन्दर सड़कों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, जनस्वास्थ्य के बारे में, शहरी विकास के बारे में, परिवहन के बारे में कई योजनाओं की घोषणा करके यह बात तो बता दी है कि उन घोषणाओं पर इतना पैसा खर्च करेंगे लेकिन बजट में यह कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया कि वह पैसा कहां से आयेगा और उन योजनाओं को कैसे पूरा किया जायेगा। उन का कोई तरीका नहीं बताया कि किस प्रकार से उस पैसे को खर्च करेंगे? सभापति जी, जहां तक राजस्व घाटे की बात है, इस बारे में कहना चाहूंगा कि हरियाणा राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्ष 2011-12 और 2010-11 तक क्रमश : राजस्व घाटे को खत्म करने और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत् के भीतर रखने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था। इसके साथ-साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व वित्तायोग की ओर से भी सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये गये थे कि वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को कम करके सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 3 प्रतिशत् के नीचे रखा जायेगा लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं तथा इन सब बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटा 2445 करोड़ रूपये था जो कि कम होने की बजाए वर्ष 2015 में बढ़कर 5012.57 करोड़ रुपये हो गया जबकि केन्द्र सरकार की तरफ से निर्देश थे कि इन घाटों पर अंकुश लगाया जाये। इसी प्रकार से संशोधित अनुमान 2014-15 में राजस्व घाटा 9499.96 करोड़ था जो कम होने की बजाए बढ़कर 2015-16 के बजट अनुमान में 9557.52 करोड़ रूपये हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह राजस्व घाटा कहाँ से व कैसे पूरा होगा ? मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी भरपाई के लिए कोई ठोस कदम उठाये जायें। मेरी माननीय वित्त मंत्री महोदय से विनती है कि जब वे बजट अनुमानों पर सदन में अपना जवाब देंगे तो इन बातों की जानकारी भी सदन को व हरियाणा की जनता को अवश्य दें कि ये राजस्व घाटे किस कारण से बढ़े थे और

[श्री अभय सिंह चौटाला]
इस राजस्व घाटे को कैसे पूरा करेंगे तथा किस तरह के कदम उठायेंगे ? सभापति जी, अभी माननीय कृषि मंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं है। मैं सिंचाई के बारे में अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय ने कई बार इस सदन में यह कहा है कि वे हरियाणा राज्य में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। उनकी बातों से लगता है कि इस मामले में कृषि मंत्री जी सीरियस हैं तथा उनकी नियत है कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर पानी आयेगा कहां से ? मैं सिंचाई के पानी के आँकड़े प्रस्तुत करते हुए कहना चाहता हूं कि जो सिंचाई का पानी वर्ष 2004-05 में 13.3 प्रतिशत् था, 2013-14 में 15.3 प्रतिशत् था 2014-15 में यह कम होकर 14.2 प्रतिशत् इसलिए रह गया कि किसान को पानी नहीं देना है। वर्ष 2013-14 में यह पानी कम होकर 5.4 प्रतिशत् रह गया। इसी तरह से 2014-15 में और कम होकर यह 3.02 प्रतिशत् रह गया। अब 2015-16 में और कम हो गया है। यह दो प्रतिशत और 2.79 प्रतिशत रह गया है। जब पानी की मात्रा घट जाएगी, पानी कम हो जाएगा तो पानी ज्यादा कहां से आएगा और पानी कैसे अंतिम छोर तक सरकार पहुंचाने का काम करेगी । सभापति महोदया, बजट के अंदर सतलुज यमुना लिंक नहर का जिक्र नहीं है। रेणुका बांध, लख्वार - किसाऊ बांध के निर्माण के बारे में भी कोई ठोस बात नहीं कही गई। केवल लख्वार बांध बनाने का जिक्र किया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह बांध कब तक बन कर तैयार हो जाएगा। सभापति महोदया, इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी बताएंगें तो सबको पता चल जाएगा कि यह बांध कब बन कर तैयार हो जाएगा और कब तक इसका पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के किसान को भूमि सिंचित करने के लिए पानी की जो मात्रा चाहिए वह है 36 एम.ए.एफ., जबकि आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है वह है 14 एम.ए.एफ. है। इसका मतलब 22 एम.ए.एफ. पानी की कमी है और मंत्री जी यह कहकर गए थे कि हम 6 महीनों तक सभी जगहों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम करेंगें। 6 महीनों में जो 22 एम.ए.एफ. पानी की कमी है यह कहां से आएगा। क्या इस पानी को लाने के लिए बजट में कोई इस तरह का प्रावधान किया गया है ताकि यह पानी आ सके। सभापति महोदया, इसी तरीके से बजट में स्वास्थ्य विभाग का जिक्र आया है। स्वास्थ्य मंत्री जी,स्वास्थ्य के बारे में तो आप बहुत सीरियस हैं। आपने इस बात की डिमांड की है कि मेरा बजट थोड़ा बढ़ाया जाए क्यों कि आजकल हार्ट -अटैक, एड्स, स्वाइन फ्लू और हैपेटाइटिस बी और सी जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जिसका यहां अनेक बार जिक्र भी हुआ है। जहां इसका बजट बढ़ना चाहिए था वहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हम स्वास्थ्य के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मैडीकल कॉलेज बनाएंगें और हस्पतालों की जो खराब हालत है उनमें सुधार करेंगें और नए डॉक्टर्ज की भर्ती करेंगें। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो प्रयत्नशील रहे लेकिन वित्त मंत्री जी ने पता नहीं क्यों आपकी बात को नहीं माना और उन्होंने बजट बढ़ाने की बजाय उसको कम कर दिया है। पहले वर्ष 2014-15 में स्वास्थ्य के लिए बजट टोटल बजट का 3.83 परसैंट था लेकिन अब इसको कम करके 3.82 परसैंट कर दिया गया है जबकि जरूरत इसको बढ़ाने की थी। सभापति महोदया, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब वे सारी बातों का जवाब दें तो उस वक्त स्वास्थ्य विभाग के लिए कहीं न कहीं थोड़ा सा इसका बजट बढा दें ताकि जहां किसी भी हस्पताल में एक्स-रे मशीनों की कमी है या लैबोट्रीज की कमी है या स्वाइन फ्लू की टैस्टिंग की मशीनों की कमी है उनकी कमी को दूर किया जा सके।

श्री अनिल विज : सभापति महोदया, विपक्ष के नेता ने स्वास्थ्य के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। यह ठीक है कि हम स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सचेत हैं। हमारी सरकार का थ्रस्ट है कि हरियाणा के हर आदमी को अफोर्डेबल मैडीकल केयर हम प्रोवाइड करवा पाएं। यह भी सच है कि स्वास्थ्य के ऊपर गुजरी सरकारें बजट का केवल दो परसैंट खर्च करती आई हैं। सभापति महोदया, यह भी सच है कि स्वास्थ्य विभाग को और अधिक धन की आवश्यकता है क्योंकि हमने स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है लेकिन जिस प्रकार पिछली सरकार फाइनांस के साथ खिलवाड़ करके गई है उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 82 हजार करोड़ रूपये का कर्ज 2014-15 की क्लोजिंग पर हमारे प्रदेश पर बन रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अभी विपक्ष के नेता हर सैक्टर में बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए वित्तमंत्री जी की जो कठिनाईयां हैं उनको मैं समझता हूं। उसके बावजूद मैं हरियाणा की जनता को और सदन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बैटर मैनेजमैंट करेंगे और ठीक ढ़ंग से पैसे को लगाकर लोगों को हर संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवायेंगे। पिछली सरकार के समय में हैल्थ सैक्टर में ठीक ढ़ंग से पैसा नहीं लगाया गया। इस बारे में आज मेवात मैडीकल कालेज का प्रश्न लिस्ट में था लेकिन समय के अभाव में वह लग नहीं पाया । मेवात मैडीकल कालेज पर लगभग 389 करोड़ रूपये खर्च किए गए लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उस हास्पिटल की बहुत बुरी हालत है। सभापति मैडम, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस सरकार का एक ही ध्येय था कि पैसा खर्च किया जाये, लोगों को सुविधाएं मिले उसकी उनको कोई चिंता नहीं थी। इस तरह से उन्होंने केवल पैसे को बर्बाद किया लेकिन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। हम बैटर मैनेजमैंट से पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को स्वास्थ्य का पूरा-पूरा लाभ मिल सके और जो हमने कहा है वह हम करके दिखायेंगे क्योंकि मेरा नाम अनिल विज है।

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की चिंता है यह बात तो मैं पहले ही कह रहा था लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता होने के बावजूद भी बजट में हैल्थ सैक्टर के लिए पैसे की बढ़ौत्तरी नहीं हुई । स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरे प्रयास किए थे कि हैल्थ सैक्टर के लिए बजट में बढ़ौत्तरी की जाए ताकि प्रदेश के लोगों की सेहत ठीक रखी जा सके । सभापति महोदया, मंत्री जी कह रहे थे कि पिछली सरकार के समय में ऐसा सिस्टम बना दिया था और इसकी बात सरकार ने अपने श्वेत-पत्र में भी की है कि 3 जिलों को छोड़कर कहीं भी पैसा खर्च नहीं किया गया। उन 3 जिलों के विधायक भी जो सत्तापक्ष के हैं उन्होंने भी सदन में खड़े होकर कहा है कि उनके क्षेत्र की भी अनदेखी हुई है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने अब समान विकास का नारा दिया है इसलिए हर जिले में सभी सुविधाएं हों। जहां तक हैल्थ की बात है जिला हैड क्वार्टर पर हर हॉस्पिटल में लैबोरेटरी, एक्सरे मशीनें, सिटी स्कैन आदि की सुविधाएं हों इनके लिए जब तक बजट में बढ़ोत्तरी नहीं होगी तब तक ये सुविधाएं कहां से मुहैया कराई जायेंगी। इसके लिए पिछले दिनों सरकार ने वैट लगाया है और बजट भी पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 98 हजार करोड़ रूपये अधिक घाटे का लाया गया है। इस वर्ष का बढ़ाया गया है तो हैल्थ विभाग के बजट में भी बढ़ोत्तरी होनी जरूरी है ताकि प्रदेश के लोगों को हैल्थ सैक्टर में सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा केवल एक बात ही माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि इन्होंने ठीक बात उठाई है कि पिछले समय में और हमारे श्वेत पत्र में भी यह बताया गया है कि सारा पैसा 3 जिलों में खर्च किया गया है। यह सच भी है कि वहां से जो विधायक चुन कर आये हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के विधायक भी यही कह रहे हैं कि वहां पैसा नहीं लगाया गया। अब देखने वाली बात यह है कि पैसे कौन खा गया। (विघ्न)

श्री नरेश कौशिक : सभापति महोदया, हमारे यहां कोई सुविधाएं नहीं हैं।

श्री अनिल विज : सभापति महोदया, हमारे माननीय सदस्य रघुवीर सिंह कादियान बैठे हैं ये झज्जर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आये हैं। आप सदन की कार्यवाही निकलवाकर देख लें गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए इन्होंने अपने क्षेत्र की कितनी समस्यायें गिनवाई हैं जिनका समाधान नहीं किया गया है। अगर इन तीन जिलों में भी समस्यायें ज्यों की त्यों खड़ी हैं तो फिर पैसा आखिरकार कहां गया ? आप इनका गवर्नर एड्रैस पर भाषण निकलवाकर देखिए। मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था इन्होंने गिनकर एक-एक समस्या का बड़ी गहराई से उल्लेख किया है कि इन-इन समस्याओं का इनके क्षेत्र में समाधान नहीं हुआ है। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूं कि हमारी सरकार 21 जिलों, 90 विधान सभा क्षेत्रों और 6500 गांवों की सरकार। हम कोशिश करेंगे कि सब जिलों में समान रूप से विकास हो। मैंने परसों सभी विधायकों को कहा कि वे मुझे बतायें कि उनके हल्के में क्या-क्या काम होने वाले हैं। कल मैंने अपने सारे सिविल सर्जन्स के साथ वीडियो कांफ्रैंसिंग की और वीडियो कांफ्रैंसिंग करके मैंने अपने सारे सिविल सर्जन्स को कहा है कि बिना इस बात की परवाह किए कि वहां पर कौन एम.एल.ए., किस पार्टी का है आप सारे प्रदेश की स्थिति कि कहां पर किन-किन उपकरणों की ज़रूरत है और कहां-कहां पर बिल्डिंग को ठीक करने की ज़रूरत इस प्रकार से पूरे प्रदेश का सारे का सारा डाटा तैयार करके मुझे दें हम सभी के ऊपर समान रूप से विचार करेंगे क्योंकि हमारे मन में और भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रवाद की बात कभी नहीं आ सकती।

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदया, अभी मंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की और हमने भी जो सवेत पत्र दिया था उसमें भी उन तीन जिलों की बात की गई थी। बाकायदा तौर पर उन्होंने कादियान साहब का नाम लेकर यह कहा कि उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए अपने इलाके की बहुत सारी समस्यायें सदन के सामने रखी। इस बात को लेकर मंत्री जी ने चिंता व्यक्त की कि जिन तीन जिलों में पैसा लगा अगर इसके बावजूद भी वहां पर समस्यायें हैं तो फिर वह पैसा कहां गया? यह बात इन्होंने स्वयं कही थी कि फिर उस पैसे का पता लगना चाहिए कि वह पैसा कहां गया? इसका पता लगाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। यह जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और पूरी सरकार की है। इसलिए सदन के नेता को इस बात को बताना चाहिए कि वह पैसा कहां गया? उस पैसे को कैसे खर्च किया गया? और यदि वह पैसा सही खर्च नहीं हुआ तो उस पैसे को कौन खा गया ? यह भी स्पष्ट किया जाए कि जो पैसा दर्शाया गया है और कहीं नहीं लगा उस पैसे पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? इन सारी बातों का जवाब मंत्री जी हमसे मांगने के बजाये अपने आप से और अपनी सरकार से मांगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा। (विघ्न) माननीय मंत्री जी इस बात का तो पता लगायेंगे कि इनके विभाग में पिछली सरकार ने पैसा कहां खर्च किया?

श्री अनिल विज : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री अभय चौटाला जी को बताना चाहूंगा कि मेरे विभाग में पिछले 10 सालों में एक-एक पैसा कहां-कहां लगा उसका मैं पूरा हिसाब निकालकर दूंगा। मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है।

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदया, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि बाकी विभागों के खर्च का भी तो हिसाब-किताब होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने यहां पर बजट प्रस्तुत किया है जो कि स्वयं एक भूतपूर्व सैनिक हैं इसलिए मुझे लग रहा था कि ये भूतपूर्व सैनिकों का ख्याल ज़रूर रखेंगे लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। जो आपकी वन रैंक-वन पैंशन की बात थी उसका भी कहीं जिक्र नहीं किया गया।

कैप्टन अभिमन्यु : माननीय सभापति महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बजट से सम्बधित विषय उठाये हैं उनका जवाब तो मैं बजट पर अपने जवाब के समय दूंगा लेकिन इन्होंने जो वन रैंक-वन पैंशन का जिक्र किया इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये स्वयं विद्वान हैं और जानते हैं कि यह विषय केन्द्र सरकार से सम्बंधित है इसलिए इस बारे में राज्य के बजट में जिक्र करने लायक कोई बात नहीं है । उनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारत सरकार सिद्धांतत: वन-रैंक, वन-पेंशन को 1 अप्रैल, 2014 से स्वीकृत कर चुकी है और उसकी कुछ डिपार्टमैंटल सी.डी.ए. होती है उसमें इन्टरनल कैलक्यूलेशन बाकी थी वे भी जल्दी ही पूरी हो जायेंगी। अभी पिछले सप्ताह हमारे भारत के सेना प्रमुख ने एक रैली में भारत सरकार की इस मंशा को फिर से दोहरा कर कहा था कि वन-रैंक, वन-पेंशन सिद्धांतत: लागू हो चुकी है और यह 1 अप्रैल, 2014 से दी जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : सभापति महोदया, इसी प्रकार से दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए जहाँ पिछले साल के बजट में 193 करोड़ 50 लाख रूपये रखे गये थे लेकिन इस बार उसमें केवल मात्र 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इस मद में केवल 7 करोड़ रूपये बढ़ाये गये हैं जबकि पिछले 10 सालों में पिछड़ा वर्ग और दलित लोगों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है उसको देखते हुये उनके कल्याण के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। जहाँ हम गरीब आदमी का मकान बना कर देने की बात करते हैं, गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की बात करते हैं, अगर उनके कल्याण के लिए पैसा नहीं बढ़ायेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। यह तो केवल मात्र दिखाने की बात है। इसलिए जब भी वित मंत्री आप बजट पर बहस का जवाब दें तो इस बात पर भी अपना पक्ष अवश्य रखें। सभापति महोदया, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए अनुरोध करूँगा कि हमारी पार्टी के सभी सदस्यों को, चाहे आप 10-10 मिनट का समय दे दें लेकिन सबको बोलने का समय दें क्योंकि उनमें से बहुत से सदस्य पहली बार चुन कर आये हैं। अभी कुछ देर पहले भी यह चर्चा हो रही थी कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Smt. Kiran Choudhry (Tosham) : Madam Chairperson, as I rise to speak on the maiden Budget presented by the Hon'ble Finance Minister. I am reminded of Mirza Galib Ji who wrote-

सुना था उड़ेंगे गालिब के पुर्जे,
देखने हम भी गये, मगर तमाशा ना हुआ ।

[Smt. Kiran Choudhry]

Madam Chairperson, this famous Urdu couplet brings to light the long awaited first budget of this Government. We all were awaiting for it. When the Hon'ble Finance Minister was presenting the budget the Hon'ble Members of the Treasury Benches were loud thumping the desks. We all were hoping that something very good will come out of it for the State of Haryana but unfortunately, instead of the big bang that we were awaiting indeed is only a whimper. Madam no steps were taken in the budget to spur the growth. No steps were taken to rain in deficit and no major steps were taken in the budget for the common men. As far as poor farmers are concerned, they got completely nothing . Their worth has not been looked into and Madam honestly I feel sad because the Hon'ble Members on the opposite benches whereby the farmers but when it comes to the woes of the farmers, nothing specific has been given them at all.

At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.

In fact I was waiting with the breadth thinking that we are really going to get something very good considering the kind of promises that the Bharatiya Janta Party had made before the election. So the State of Haryana would be coming into something very grand this budget would give a very pointed direction to way the State of Haryana would be going. But Sir I am sorry to say and I would like to quote Plute here. He says, "Wooing the fact, reality is the poor copy of the ideal" So the idealism is good and we almost have ideal but when those ideal cannot be bought down to the grassroots to be made workable for the pepole then unfortunately those ideae remains only on paper and are of no use. Mr. Speaker Sir, every budget, as you know, comprises of two components the political componet and the economic component. But Sir, this is the first budget that I have seen that where the political componet devours the entire economic component, Sir, this is completely contrary to what the Bharatiya Janata Party Government had believed and we can see that very cleary reflected in the paper. Haryana, as you know Sir, is an agrarian State and we are the granary of this country but our farmers today are bleeding tears in such a manner that they are in a hitible State and nothing has been done for them except giving up huge ' jumlas' here and there. Sir, In fact the way the whole situation is, you know, I get a feeling that nobody is really bothered and in fact but they are trying to say let the crops go to hell, the farmers jump into the well as long as we get into jam and gel. Sir this is the State of Affairs that is happening in Haryana today. Sir, let alone the proposal, the budget is also huge led down even on the academic front as we know, that the budget is essentially an estimate for the income and expenditure. It is a road-map for the growth and during the past year, as has been the way every Government has been bringing it forward, the road map is supposed to be set out that what is the way where how is the economy headed, what are the issues, where are we heading, and how we plan to take that economy, during that period of time that one year. But unfortunately, Sir, that has not been done. It looks as though the Hon'ble Finanace Minister has limited himself to the dictionary meaning of 'Budget' because no I mean that about the thought of about it today Sir, reading the proposals, It find that the entire

proposals, are like a riddles floating among all the figures waiting to be anchored but it cannot find any anchor, Sir, this is the situation how do you expect that the State of Haryana for the next year is going to progress. Unfortunately, Sir, when we look at the proposals, I would like to read out here that precious little has been done to push up the growth rate of GSDP especially in the manufacturing sector, improve the employment rate of 5.1 % in the rural areas which is higher than the national average. Sir, this is what Haryana has but that has not been said. They have not shown up the States of own tax revenue as the percentage of GSDP from 6.6 % in 2013-14. So, Sir, when all these figures are reflected in such a manner, the white paper that the Bharatiya Janta Party Government brought out that these are just like crocodile shedding the tears, it is not reflecting on what they are saying, it is not reflecting in it. Sir, the Government has failed to bring revenue deficit target to zero and contained the fiscal deficit within limit and these are the very issues that the Government had blamed the previous congress Government for and today there are not adhering to it they are not telling us about it. Sir, while revenue deficit is 1.83% not zero of GSDP in Budget Estimates 2015-16.

[13.00 बजे] The Fiscal deficit is estimated at 3.14% in the budget estimates. Sir, it looks as that the Finance Minister has conveniently forgotten with the Haryana Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 had targeted to eliminate revenue deficit and contained the fiscal deficit within the 3% GSDP, Sir, that has not been achieved. I would like that the Hon'ble Finance Minister to answer on that. As I really do feel bad for him, I know and I understand his political compulsions but at the same time these are the things which are to be adhered on. Finally, Sir, I would like to say that the Chicken are coming home to do because whatever they said about us is going to be boomering back on them. As we look at the figures, it dares out that out of the total expenditure excluding repayment and 2015-16 projected at Rs.69140.29 crores, revenue expenditure is projected at Rs.61869.62 crores and capital expenditure is targeted only at Rs.7270.67 crores. While the former will increase by Rs.6950.52 crore that means the revenue expenditure will go by 12.66 % and the latter i.e. the capital expenditure will go up by Rs.739.95 crores which will be up by 11.33%. So, Sir, what it means, it clearly means that there is very little capital formation which constitutes the corner stones on any economy. For employment generation, and Sir, if these vital facts are not taken into account how do we expect that the economy will grow, how do we expect that employment will be given to the others. I do not think that this is feasible at all. In fact Sir, the Budget and the Hon'ble Finance Minister has failed to walk to talk, nothing has been done to Make in India and to Make in Haryana in reality. These are mere slogans and through you, Sir, I want to say that the slogans cannot run the Government. This is what I would like to bring forward to the notice of the Hon'ble Finance Minister and I would like that he may reply on these issues. Sir, BJP has failed to fulfil a single promise that they have made during the last elections in their election manifesto. They have failed to keep the promise made to the farmers, to the students to the wage earners and even to the people, traders and Sir, they have failed to provide unemployed graduates allowances of Rs.6000 and Rs.9000 to the students which they were supposed to be get in. If they fail to provide to them, the

[Smt. Kiran Choudhry]

BJP does not mention at all, that means they are not even bothered about any election promise. As far as the Swaminathan Report is concerned, they merely shrudded off as it does not exist. Now, the whole thing is that the ball has been put into the court of the Central Government. These are the very people before the elections, who tom tom the facts, that Swaminathan Report would be put into again and today all that they can be made, saying sorry and put off their hands and saying that we cannot do anything about it. So, Sir, as you know Hon'ble Finance Minister has spoken about "हर खेत को पानी"।

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, प्लीज बैठिये, माननीय कृषि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, किरण चौधरी जी कांग्रेस विधायक दल की जिम्मेवार नेता हैं और इन्होंने मेरा नाम व्यक्तिगत रूप से लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री जी का नाम नहीं लिया।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया कि इन्होंने मेरे बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, हर किसी को नियती और प्रजातंत्र में भूमिका मिलती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या भी इस बात को भलीभांति जानती हैं कि स्वामीनाथन कमीशन एक सैंटर कमीशन था। स्वामीनाथन कमीशन को अप्वॉयंट सैंटर गवर्नमैंट ने किया था। वर्ष 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो गई थी। माननीय सदस्या बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि चार माननीय मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कैसे इम्पलीमैंट करना है उसके लिये बनी थी। अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रियों के पास बहुत कम समय होने के बावजूद भी इकट्ठे बैठकर बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार करके दिसम्बर, 2010 में सबमिट कर दी थी। वर्ष 2014 में चुनाव हुए लेकिन तब तक वह रिपोर्ट इम्पलीमैंट नहीं हुई।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हाउस की जानकारी के लिऐ एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वह इम्पलीमैंट नहीं हुई, ऐसे तथ्य नहीं हैं। यह रिकमेंडेशन नही हुई लेकिन बाकी सारी रिकमेंडेशनज़ हुई हैं जैसे पूरे देश में रेट ऑफ इन्ट्रस्ट 11 प्रतिशत था, हमारी सरकार ने हरियाणा के को-ऑपरेटिव बैंक्स में तो कर दिया था लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक शोर्ट टर्म लोन पर 11 प्रतिशत ले रही थी। यह पूरे देश में उसी रिकमेंडेशन से लागू हुआ है अध्यक्ष महोदय, काफी रिकमेंडेशनज़ इनप्रोसैस हुई यह बात सही है। जिसको माननीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग एकही रिकमेंडेशन से रैफर कर रहे हैं कि जितनी लागत किसान की होगी उस पर 50 प्रतिशत मुनाफा दिया जायेगा वह लागू नहीं हुई, यह बात ठीक है लेकिन यह नहीं कह सकते कि रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी रिकमेंडेशनज़ उसकी थी यह बात सही है उसमें एक रिकमेंडेशन शुरू हुई देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 18 प्रतिशत से 9 प्रतिशत रेट ऑफ इन्ट्रस्ट वहां से लाने की बात शुरू हुई थी वह दिन भी हम सबको याद है। आज सात से चार कई राज्यों में किसानों को ज़ीरो प्रतिशत रेट ऑफ इन्ट्रस्ट पर पैसा मिल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और कर्नाटक उस रास्ते पर आगे बढ़े क्योंकि

किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाने की वास्तव में जरूरत है, लेकिन यह कितने समय तक ? जहां तक मुख्य सिफारिश थी जिसकी किसान भाई अक्सर बात करते रहते हैं वह पैंडिंग रही। मेरे पास एक भूमिका पूर्व पार्टी अध्यक्ष की थी और उस नाते से इस विषय को देश भर में उठाना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे इस बात का आन्नद है कि मैंने इस बात को भारतीय जनता पार्टी का इशू बनाया। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का भी आन्नद है कि हमारी पार्टी ने इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। आज इम्पलीमैंट करने की जिम्मेदारी देकर नियति और प्रकृति ने मुझे सदन में भेजा है। हर व्यक्ति अपनी पोजिशन पर ही खड़ा होकर किस चीज की बात करता है तो जिस नाते से मुझे यहां सदन में भेजा है मुझे उस बात का भी आन्नद है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने सदन को पहले भी बता दिया था कि जब सी.ए.सी.पी. ने एम.एस.पी. के लिए सिफारिश मांगी तो हमने उस सिफारिश को सीधा एम.एस.पी. बढ़ाने की बजाये उसके क्रमवार कैटेगरीवाईज यही कहा कि आप इसको प्रोफिटेबल प्राईस में बदलिये। प्रोफिटेबल प्राईस को स्टैप वाईज स्टैप शुरू करिये क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सिज की जरूरत इम्पलीमैंटेशन के लिये पड़ेगी, इस प्रकार से बाकी सब चीजों पर भी उसका परिणाम आता है, इसलिए हमने यह सिफारिश भेजी है। यह जो नियति ने मुझे दायित्व दिया है मैं भी मांगने वालों में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे नियति ने ऐसा कोई दायित्व नहीं दिया मुझसे अपेक्षा करेंगे की इम्पलीमैंट कर सकूं। मैं निश्चित रूप से जिस स्थान पर खड़ा हूँ उस स्थान पर पूरी तरह से स्वामीनाथन आयोग के लिए खड़ा हूँ।

भूतपूर्व उपाध्यक्ष का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हरियाणा प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष महोदय श्री गोपी चंद गहलोत, वी.आई.पी. गैलरी में बैठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से श्री गोपी चंद गहलोत जी का स्वागत करता हूँ।

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भण)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करना केन्द्र सरकार का काम है राज्य सरकार का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार इसको इम्पलीमैंट नहीं कर सकती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इनसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हरियाणा में चुनाव के समय यह बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्य चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम इसको लागू करेंगे उसमें नहीं लिखते तो इनसे कोई सवाल नहीं करता। यह रिपोर्ट लागू करना सैंटर गवर्नमैंट की ड्यूटी है। उस समय भी तो पार्टी को पता होगा कि यह राज्य सरकार का काम नहीं है, यह तो केन्द्र सरकार का काम है, इसलिए हरियाणा की जनता बार-बार इनसे यह सवाल पूछती है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात हुड्डा साहब की बिल्कुल सही है। If it has not be mentioned in the Election Manifesto, we would not raise it on the floor of this House.

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस दौर से गुजरा रहा हूँ, हुड्डा साहब उस दौर से ज्यादा गुजर चुके हैं क्योंकि हुड्डा साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे। मैं तो किसी ऐसी कमेटी का चेयरमैन भी नहीं रहा जिसकी इम्पलीमेंटेशन की सिफारिश की गई है। किसी भी राज्य में अच्छी बातें होती हैं तो सब राज्यों के घोषणा-पत्रों में उसको रिपीट किया जाता है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, इसीलिए कहा जाता है कि वही बोलो जो कर सको । लोग इन सब चीजों को देखते हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, यह करने से डिनाई नहीं है। अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। केंद्र में भी हमारा काम अभी शुरू ही हुआ है। (विघ्न) हमें अपने नेता पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जो कहा है उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। वे अपने किये गए वादों का हिसाब देकर ही अगला चुनाव लड़ेंगे। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि आप ये काम 5वें वर्ष में मत करना ताकि इससे लोगों को कोई फायदा न हो। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहिबा ने कहा कि आखिरी वर्ष में काम मत करना। (विघ्न) काश, यह सलाह आपने अपने कार्यकाल में अपनी सरकार के मुखिया को दी होती तो आज आपकी पार्टी की यह हालत न हुई होती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप तो हमें सलाह दे सकते थे तो फिर आपने हमें सलाह क्यों नहीं दी। आपको सदन में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हम इन्हें सलाह तो देना चाहते थे परंतु हमें तो लाठियां, गोलियां और गिरफ्तारियां ही मिली हैं। (विघ्न)

Smt. Kiran Choudhry : Sir, I resume my speech. Hon'ble Finance Minister has talked about हर खेत को पानी। Sir, we are happy to hear that because this is the need of the farmers and we are an agrarian State and farmers must get their due share of water but Hon'ble leader of Opposition was also saying that how does Hon'ble Finance Minister plan to go about it because quantum of water is being reducing gradually. And also Sir, I read in the Newspapers report that Punjab Government is going to follow riparian principle that means they have taken tough stand. They are not going to allow the water to come to us. I would like to ask the Hon'ble Finance Minister to answer this question how does you planned that 'हर खेत को पानी' Sir, Similarly, is the case of increasing power supply in the State, he says that phasing out old and inefficient Thermal Power Unit in Haryana. It is a very good thing. He says that the Government has decided to set up 800 M.W. Super Critical Thermal Power Plant at Panipat at the cost of Rs. 4000 Crores. Sir, it is a very good thing that they are planning to do it because every Government which comes to power has the responsibility to ensure that adequate power supply is to be generated which can be given to the people of the State and we comment and loud for that. But at the same time this combined allocation to the department of Power and Renewable Energy is Rs. 6546.91 Crores is in the budget estimates

for the year 2015-16 including Rs. 917.50 Crores on the plan side. I would like to ask the Hon'ble Finance Minister how he will manage the things in that small budget. His ideas are very large but when he will come down for working on the grass root level unfortunately, it is going to be very difficult, Sir.

Captain Abhimanyu : Speaker Sir, I promise to answer this particular point specifically in my answer.

Smt. Kiran Choudhry : Speaker Sir, I am happy to hear that you will answer which you had promised during election time that 24 hours electricity will be given to the people of the State.

Captain Abhimanyu : Madam, to your compete to your total and to your outmost satisfaction, I will give answer in my reply.

Smt. Kiran Chaudhary : I am satisfied about that thank you. You will tell me about fulfillment of poll promises for providing 24 hours electricity and also to the last Dhanis in the Haryana State. Sir, now, I would like to point out some statistical also. 2015-16 plan outlay is 25743 Crores out of this Central Scheme Assistance is Rs.5106 Crores. Hence, the actual plan outlay is Rs.20637 Crores. Sir, now, you add the plan outlay for the PSUs in this and you get another Rs.7467.50 crores if you add on to it, the total plan outlay comes to Rs.28104.50 crores. Now Sir, as against this the plan outlay in 2014-15 including the PSUs was 32731.29 crores. Now we come down to the electricity utility. In the budget 2014-15 PSUs outlay was Rs.10158.80 crores and in budget 2015-16 PSUs outlay has been reduced to Rs.7467.50 crores. Hence, the PSUs outlay has been reduced by Rs.4691.30 crores. Sir, this outlay clearly reflects that the budget for electricity companies is going to be reduced. Therefore, I will be very happy that he will answers to this query of mine, because I am very concern for the people of Haryana that how you would plan to go about it and if you do it, I think it is going to be very good thing and we will laud you. At the same time. I would also like to put some more statistics on record that the Bharatiya Janata Party Government complains of financial mismanagement but is actually proceeding to borrow more funds from the market they are blaming us for what we did and they are doing what we have done double times over than ours. Marketing borrowing in 2014-15 was Rs.13951.17 crores. Marketing borrowing in 2015-16 is Rs.17019 crores. Now the Government proposals to borrow Rs.4068.17 crores extra. Sir, they have been blaming us, why they blame us ? They have done exactly the same or may be more at the same time. Sir, the Government is reducing the payment of debt. So if till the time of debt the yare piling up how are they going to effectively control the entire thing? Sir, repayment of debt in 2014-15 was Rs.13849.85 crores and repayment of debt in 2015-16 is Rs.10035.51 crores. Hence, the repayment of debt has gone down by Rs.3814.34 crores. So, what you was saying इतना सारा वह कर्जा हमारे कारण नहीं हुआ था वह कर्जा इसलिए हो रहा है this is going higher. Sir, at the same time stamp and registration collection is going down. In 2014-15 stamp and registration collection was Rs.3950 crores i.e. 5.41 % and now in 2015-16 stamp and registration collection is Rs.3600 crores i.e. 4.56%. So stamp and registration collection is also going down from 5.41% in 2014 to 4.56% in 2015.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्या कह रही हैं कि कर्जा कैसे लिया गया यह कर्जा कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में नहीं लिया गया बल्कि इसके लिए इन्होंने दूसरे कारण बतायें हैं। माननीय सदस्या यह क्यों नहीं कहती कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के पैसे की बन्दर बांट की और 250 करोड़ रूपये चण्डीगढ़ के एयरपोर्ट के लिए बिना मतलब के लिए पंजाब सरकार को दे आये कि इस एयरपोर्ट में हरियाणा का भी हिस्सा है। जबकि वह एयरपोर्ट पंजाब में बनाया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ का एयरपोर्ट पंजाब की जमीन में नहीं है बल्कि चण्डीगढ़ की जमीन में हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा पंजाब की जमीन में बनाया गया है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा का उस एयरपोर्ट में हिस्सा ही नहीं था तो फिर पैसा क्यों दिया गया ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हम हरियाणा की राजधानी चण्डीगढ़ की हिस्ट्री को खराब नहीं होने देंगे । (विघ्न) यदि आप चण्डीगढ़ एयरपोर्ट में हरियाणा का हिस्सा नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चण्डीगढ़ छोड़ने का विचार है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस मामले की इन्क्वायरी करवा ली जाये। (शोर एवं व्यवधान) वित्त मंत्री जब अपना जवाब सदन में प्रस्तुत करेंगे तो सब की बात सुनकर कृपया यह भी बता दें कि वह पैसा किस लिए खर्च किया गया ? (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार के खर्चों की वजह से ही हरियाणा सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकला है कि फिजूलखर्चे तो हुए हैं और वे सामने आ भी रहे हैं जिन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी की सी.एल.पी. नेत्री जो इस समय सदन में बोल रही हैं, उनसे यह निवेदन करूंगा कि कृपया वे अपने आँकड़े ठीक करें, जिस किसी ने इनका ड्राफ्ट बनाया है अगर उस ड्राफ्ट को आप चैक कर लेंगी तो माननीय सदस्या सदन मे सही आकड़े बता पायेगी। (विघ्न) मुझे तो इनकी बातों का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे अपने जवाब में यह कहना पड़े कि आदरणीय सी.एल.पी. लीडर ने अपने वक्तव्य में कुछ गलत आंकड़े प्रस्तुत किये हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले ही आप अपने आँकड़े ठीक कर लेंगी तो आपको सुविधा रहेगी। मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यदि आँकड़ों में कहीं गलती रह गई है तो कृपया उसकी करैक्शन कर लीजिए। You can always tell me I am open to that. What I have learnt, I am putting those figures. Sir, also the grant-in-aid from the Government of India is a very important aspect of the kind of projects that can be brought in, that is unfortunately going down. In 2014-15 grant in aid from the Government of India is Rs.7438.66 crores i.e. 10.19 % now in 2015-16 grant-in-aid from the Government of India is Rs. 6497.31 crores i.e. 8.22% now. Hence, there is a net reduction of Rs. 941.25 crores in the grant-in-aid from the Government of India. So then again, Haryana stands to loose in these

because we are not getting adequate grants. Sir, at the same time tax revenue in 2014-15 was Rs. 33402 crores, the tax revenue now in 2015-16 is Rs.38929 crores. Hence, there is an increase of Rs.5527 crores in tax revenue. Sir, it is just clear, therefore, it is very-very clear that this is going to be collected through imposition of taxes and one does not know when those taxes are going to come. May be not impose during the budget. I am sure, for putting up this kind fiscal management, they will have to impose taxes in the form of VAT on diesel and similarly it is going to be imposed on something else.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर हर बात का एक लम्बा जवाब दिया जाना पड़ रहा है। हमारी सरकारी ने एक श्वेत-पत्र जारी किया है जिसमें हमने एक बात का जिक्र किया है कि पिछले 10 वर्षों में जो सकल घरेलू उत्पाद है, वह जिस अनुपात में बढ़ा है, सामान्यत : अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह कहता है कि उसी अनुपात में जो टैक्स इन्सीडैंस हैं, वह उस राज्य की अर्थव्यवस्था में सामान्यत: बढ़ना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2004-2005 में टैक्स 7.4 प्रतिशत् था जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत् तक चला गया। अध्यक्ष महोदय, हमने एक साधारण सा अनुमान लगाया है कि टैक्स की दरें भी वही रहती तथा सकल घरेलू उत्पाद की जो ग्रोथ थी हमने 2006-07 वर्ष में बढ़े हुए टैक्स 8.5 प्रतिशत् को भी आधार नहीं माना। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-2005 में इनके शासनकाल की शुरूआत के समय में जो टैक्स 7.4 प्रतिशत् था, अगर उतना भी टैक्स इन्सीडैंस रहता तो 20 हजार करोड़ रूपये पिछले 10 साल के अंदर आराम से सरकार के खजाने में और आ जाने चाहिए थे। पहले कहीं न कहीं पिलफ्रेंजिज़ या लीकेजिज़ के जो विषय रहे हैं अब उन सब चीजों को बंद करने की हमारी सरकार की शुरूआत है, उसके परिणाम अवश्य सामने आयेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से यदि माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो। demand lot of time on this. I would like to carry with my speech. What I was saying is what the Hon'ble Finance Minister is talking. May be the figures and facts are wrong, if so, he should bring forward those because we are also part of the State and it is also our concern we all want that the State should prosperous and especially with the kind of mandate that the BJP has got, and that mandate should be brought into circulation, should be brought on the floor/ on the grass root, so that the people of Haryana can benefit from that. This is the only thing which we need. We would ask the Finance Minister to answer. Mr. Speaker Sir, apart from that, the Government has not clarified how the Gram Sachivalyas will help in 'Swachchh Bharat and Swachchh Haryana Abhiyan'. I do not understand it at all. I would like the Hon'ble Finance Minister to answer it because no road map has been given on that? How they have planned to go with that? Next, I would like to say about the 'Vidhayak Yojna'. What kind of money you are planning for the MLAs? Whether it is for the Members of the opposition also or whether it is merely for the Members from the Treasury Benches? These are the aspects on which I would like the Finance Minister should shed some light.

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि वे ऐसी चीज की आलोचना न करें क्योंकि बहुत अच्छी योजना शुरू होने वाली है। ग्राम सचिवालय की स्थापना जैसी बहुत अच्छी योजना यह सरकार लेकर आ रही है।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय मंत्री जी, मैंने यह नहीं कहा कि यह योजना अच्छी योजना नहीं है बल्कि मैंने तो इस योजना की बड़ाई की है और मैंने यह पूछा है कि आप इस योजना को कैसे शुरू करेंगें ? मेरे मन में जो संशय उठ रहा है मैंने केवल उसके बारे में पूछा है और मैंने यह नहीं कहा कि यह खराब योजना है। (विघ्न)मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूं। Sir, at the same time, the matter of SYL rests with the Hon'ble Supreme Court. We are concerned about the water that comes to Haryana. Our part of water has been given to Delhi. So, if this matter is resting with the Court, how do you plan to bring water to every field? These are the issues which we have to look into in a very serious manner.

At the same time, environment time as the Hon'ble Finance Minister admits, have become a very critical issue and I am with him on that issue because I think environment is an issue for which we all should be concerned about it. It does not only involve us, but involve our future generation also. Now it is the time when we have to start action on that if we are serious about that. Sir, at the same time we should not keep silence on how to check air pollution because it has became a major problem in Haryana also. As you know, Delhi has become the most polluted city in the world today. Similarly Haryana being on the boarder is coming very near to it. We would like the Government to answer it. The Government should bring some measures and shed some light on this also. During the time when I was the Forest Minister and later in 2010 we have brought in NC Zone according to which in 500 meters around the ecologically fragile Zone of Aravalis, no building could be brought in, no dumping could be done and no extraction could happen. But now, I am constraint to say, what has come to my knowledge through the Newspaper reports, is that they have opposed the NCRPB Board. What they have said is that this 500 meters condition should be diluted. I am sorry to say that if it happens, only more builders will come into effect. At the same time the farmers are expecting that something will be given to them. We were expecting that when internationally the crude prices have come down to such an extent the Finance Minister will bring down the prices of petrol and diesel. But unfortunately that has not been done. There is one issue which especially I would like to bring to your notice and it is for your own benefit. But we are surprised that you have not mentioned it in the Budget. It is like 'Diye Tale Andhera'. Finance Minister is the Hon'ble MLA from the area which cradles the most ancient civilization of Rakhi Garhi. This can be more ancient than the Mohan Jodaro. We should show this ancient heritage to the entire world. Why are you not thinking on that? Finance Minister is MLA from that area and he should do something to make sure that this ancient civilization is saved which has come out in Haryana and the people of Haryana can get benefit of it.

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सी.एल.पी. लीडर साहेबान का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि इन्होंने हरियाणा के पुरात्व संस्कृति की चिंता व्यक्त की है। मैं उनकी पीड़ा भी समझता हूं। उन्होंने बड़े प्रयास किए इसके लिए केन्द्र सरकार से कोई 10 करोड़ रूपये का बजट आना था। आया या नहीं आया, इसका अभी पूरी तरह से मालूम नहीं हुआ है। लेकिन हमने इस बार विशेष रूप से बजट स्पीच में उल्लेख किया है और आप देखेंगे कि जहां राजकीय संग्रालय, कुरूक्षेत्र के लिए भी पैसे का प्रोविजन किया है। उसके आगे माननीय सदस्या अगर दो शब्द और पढ़ेंगी तो आर्कियोलोजिकल साईट्स और आर्टिफैक्ट्स का जिक्र किया गया है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बजट में राखी गढ़ी का भी जिक्र किया जाना चाहिए था।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी थोड़ी राजनीति सीखनी पड़ेगी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि नेता प्रतिपक्ष और सी.एल.पी. लीडर ने मुझे राजनीति के दो शब्द क,ख सीखाये हैं। एक ने याद दिलाया कि मैं फौजी हूं इसलिए फौजियों का ध्यान रखना चाहिए और मैडम ने कहा कि अपने हल्के का ध्यान भी रखना चाहिए था। यदि सदन की अनुमति होगी तो यह ध्यान भी मैं रखूंगा।

Smt. Kiran Choudhry : Sir, I am concluding. सर, मैंने जो बात कही है because this is not merely archeological site. I am very deeply into all this. It is entirely for the benefit of future generation and we are sitting such on old civilization because, Rakhigarhi just not archeological site, it should be treated as separate thing and bring it forward accordingly because that will benefit the people and State of Haryana. Sir in the end, I would say that I am summing it up. Sir, we were really expecting big bang budget but I am really disappointing that the budget has not brought forward anything for the common men, for the people, for the farmers and we left confused. We do not know what is happening? The entire document is very confusing document we do not know what is the plan and what is the road map? How economy is going and which direction it is headed and what is going to happen? Sir, I would like to request the Hon'ble Finance Minister to shed light on the issue of confusion so that this confusion that is prevailing in our mind can be removed and can you assure of the fact that everything you are doing for the State of Haryana. Sir, in the end, I conclude my speech. The BJP Government swear by Lord Rama. (Interruption) All of us too. Sir, I would like to say that I remember the line that रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाये पर वचन न जाई। Why BJP is moving away from it? चाहे वचन जाये तो जाये परंतु सत्ता पक्ष के साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वचन चुनावी मैनीफैस्टो में प्रदेश की जनता से किए थे और बजट में सब वचनों को दर किनार कर दिया। यह जो रघुकुल है और वचन है इन दोनों पर सरकार ध्यान दे ताकि हरियाणा के लोगों ने इतने भारी मंडेट से जीता कर इनकी सरकार बनाई है उसका जनता को फायदा मिले। Thank you, Speaker Sir.

Captain Abhimanyu : Hon'ble Speaker Sir, I appreciate and fully understand the predicament of Hon'ble leader of CLP and I assure her to resolve all your bewilderment on the budget figures very soon when I will submit my reply. I am sure her confusion which she claim to be confusion actually bewilderment will be certainly settled and resolved.

Smt. Kiran Choudhry : Yes, I would like to clear my confusion.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 18-3-2015 दोपहर 2.30 बजे तक दूसरी बैठक तक के लिए स्थगित किया जाता है। (तत्पश्चात सदन दिनांक 18-3-2015 को दोपहर बाद 2.30 बजे तक के लिए (13:34 बजे) स्थगित हुआ)

53528-HVS-H.G.P.,Chd.